उत्तराखण्ड शासन

सामाजार्थिक समीक्षा

कुमाऊँ मण्डल

वर्ष 2017–18

कार्यालय उप निदेशक,
अर्थ एवं संख्या, कुमाऊँ मण्डल

दूरभाष संख्या – 05946–222465

E – Mail - dd1_stat@yahoo.co.in
ddecostat@gmail.com

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विभाग / अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	मण्डल का ऐतिहासिक परिचय / भौगोलिक स्थिति	1–4
2	खनिज सम्पदा	5
3	प्रशासनिक ढाँचा	6–7
4	जनसंख्या विवरण	8–9
5	कृषि	10–20
6	उद्यान	21–27
7	रेशम	28–29
8	सहकारिता	30–35
9	पशुपालन	36–39
10	वन	40–43
11	जल सम्पूर्ति	44–51
12	उद्योग	52–64

क्रम संख्या	विभाग / अध्याय	पृष्ठ संख्या
13	विद्युत	65–67
14	मार्ग परिवहन एवं संचार	68–69
15	पर्यटन	70–74
16	शिक्षा	75–78
17	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	79–83
18	बाल विकास	84–87
19	ग्राम्य विकास	88–94
20	प्रादेशिक विकास दल	95–96
21	दुग्ध विकास	97–103
22	मत्स्य विकास	104–107
23	बैंकिग सेवायें	108
24	समाज कल्याण	109–112

अध्याय – 1

मण्डल का ऐतिहासिक परिचय/भौगोलिक स्थिति

प्राकृतिक सौन्दर्य, सुरम्य घाटियों तथा धार्मिक व पौराणिक स्थलों से सुशोभित कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड प्रदेश की उत्तरी सीमा में स्थित है। उत्तर दिशा में तिब्बत, पूर्व दिशा में नेपाल की सीमायें, पश्चिम दिशा में चमोली, पौड़ी गढ़वाल तथा बिजनौर जनपद की सीमायें तथा दक्षिण दिशा में उ0प्र0 के जनपद मुरादाबाद, रामपुर, बरेली तथा पीलीभीत की सीमायें हैं। भौगोलिक दृष्टि से मण्डल 28'7° से 30° उत्तरी अक्षांश तथा 78'7°से 81'1° पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। कुमायूँ मण्डल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 21034 वर्ग किमी0 है, जो उत्तराखण्ड राज्य के कुल क्षेत्रफल का 39.33 प्रतिशत है।

कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कुल 6 जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा चम्पावत हैं। जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ का सम्पूर्ण क्षेत्र पर्वतीय है। जनपद चम्पावत के तीन विकास खण्ड लोहाघाट, पाटी एवं बाराकोट पूर्ण पर्वतीय तथा विकास खण्ड चम्पावत का कुछ क्षेत्र मैदानी है। जनपद नैनीताल में 6 विकास खण्ड पर्वतीय क्षेत्र तथा 2 विकास खण्ड हल्द्वानी तथा रामनगर भावर क्षेत्र में आते है। ऊधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग मैदानी क्षेत्र है।

मैदानी भाग भावर व तराई क्षेत्र में विभाजित है। पर्वतीय क्षेत्र के बाद तुरन्त ही एक पट्टी ऐसी पाई जाती है जहाँ पर्वतों के नीचे उतरने वाली नदियों ने बहुत दूर तक छोटे–बड़े शिलाखण्ड लाकर एकत्र कर दिये है। इस क्षेत्र में अधिक वन पाये जाते है। यहाँ भूमिगत जल का अभाव है। लगभग 50–60 मीटर गहराई तक भी जल प्रायः नहीं मिल पाता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से विकास खण्ड हल्द्वानी, कोटाबाग तथा रामनगर आते है। भावर क्षेत्र के दक्षिण में तराई क्षेत्र है। जहाँ भूमिगत जल प्रायः 10 मीटर की गहराई तक उपलब्ध हो जाता है। यह भाग उत्तर प्रदेश के रूहेलखण्ड तथा मुरादाबाद मण्डलों के मैदानी क्षेत्र से लगा है।

तराई क्षेत्र पूर्व में जनपद ऊधमसिंह नगर के विकास खण्ड खटीमा से लेकर पश्चिम में विकास खण्ड जसपुर तक फैला है। इनमें ऊधमसिंहनगर के समस्त सात विकास खण्ड सम्मिलित है। यह भाग सामान्य उतार–चढ़ाव के साथ दक्षिण पूर्व की ओर ढ़ला हुआ है, जो उत्तम प्रकार की दोमट मिट्टी से भरपूर है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की चट्टानें या कंकरीली भूमि नहीं पायी जाती है। मण्डल मुख्यालय नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्र में ऊँची पर्वत श्रेणियाँ तथा घाटियाँ हैं। पर्वत श्रेणियों की अधिकतम ऊँचाई 26 हजार फुट तक है। सर्वाधिक ऊंची चोटियां पंचाचूली एवं त्रिशूल शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए विख्यात है। इस क्षेत्र में समतल भूमि बहुत कम है, जिसके कारण आवागमन में विशेष रूप से कठिनाई आती है। पर्वतीय क्षेत्र में भूमिगत जल प्रायः नगण्य है। इसके अतिरिक्त कृषि के लिये बहुत कम भूमि उपलब्ध है। यह क्षेत्र वनों से आच्छादित है। केवल जनपद नैनीताल का भावर क्षेत्र तथा ऊधमसिंह नगर विकास की अग्रिम पंक्ति में है।

नैनीताल :– अन्तराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल नैनीताल जनपद में छोटे–बड़े अनेक ताल है, किन्तु सर्वाधिक प्रसिद्धि नैनीताल नगर में स्थित नैनीताल सरोवर ने प्राप्त की है। नीलमणी के नयनाभिराम ताल की सजग प्रहरियों के समान घिरे हुए सात पर्वतों से बनी रमणिक घाटी में नैनीताल बसा है। नैनीताल नगर का यह ताल कब और कैसे अस्तित्व में आया, इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं हैं स्कन्द पुराण के अनुसार किसी समय अत्रि, पुलस्य और पुलक नामक तीन ऋषि इस स्थान पर तपस्या किया करते थे। उन्होनें ही योगबल से इस सरोवर और स्थान का नाम त्रिरेश्वर रखा, परन्तु यह नाम न जाने कब लुप्त हो गया और "नैनीताल कहा जाने लगा"। नैनीताल शहर वर्ष 1841 में बसने

लगा। इसके पहले यहॉ जंगल था। नैना देवी के मन्दिर में मेला लगता था। सन् 1841 में मिस्टर बैरन ने इसे देखा। उससे पहले कुमाऊॅ के दूसरे कमिश्नर मिस्टर ट्रेल ने भी देखा था। बैरन साहब ने ''हिम्मला'' नामक पुस्तक में लिखा है कि वहॉ के थोकदार नरसिंह, नैनीताल को पवित्र देवता की भूमि समझकर अंग्रेजों को नहीं देना चाहते थे, परन्तु मि0 ट्रेल ने नरसिंह को नाव में बैठाकर ताल में डुबाने की धमकी देकर नोटबुक में दस्तखत करा लिये। बाद में थोकदार नरसिंह पॉच रूपये मासिक वेतन पर नैनीताल के पटवारी बना दिये गये। नैनीताल देश का प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ बारह महीने पर्यटको की आवाजाही रहती है।

<u>अल्मोड़ा</u> :– जनपद अल्मोड़ा प्राचीन शहरों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। ब्रिटिश काल में यह जनपद एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला था, जिसके अर्न्तगत वर्तमान में जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत एवं बागेश्वर जनपद थे। ब्रिटिश काल में अल्मोड़ा में कुमाऊॅ कमिश्नरी का मुख्यालय था। कालान्तर में कुमाऊॅ मण्डल की कमिश्नरी, जनपद नैनीताल स्थानान्तरित कर दी गयी। पॉच किमी. लम्बी पहाड़ी पर बसा अल्मोड़ा नगर चन्द राजाओं के शासन के बाद गोरखाओं के आधिपत्य में रहा, बाद में ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया।

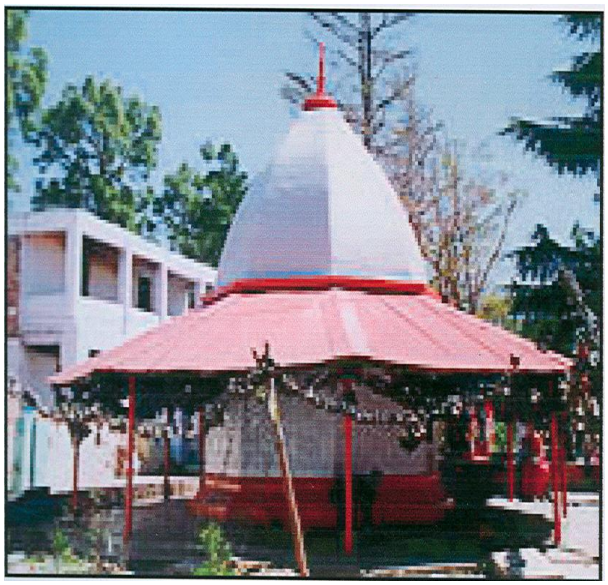

अल्मोड़ा अपनी बौद्धिक समृद्धि एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात है। प्राकृतिक वातावरण, हिमालय दर्शन के आकर्षण से स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गॉधी, पंडित नेहरू, लोहिया आदि राष्ट्रीय व्यक्तित्व यहॉ आये थे। पर्वतारोहण, ट्रैकिंग से ग्लेशियरों तक पहुॅचने वाले साहसी पर्यटकों के लिए अल्मोड़ा प्रारम्भिक पड़ाव है। ताम्र बर्तनों के पुश्तैनी व्यवसाय में कलश, परात, थाली और वाटर फिल्टर जैसी नवीन दस्तकारी में अल्मोड़ा अपनी पकड़ बनाये हुए है।

<u>बागेश्वर</u> :– जनपद बागेश्वर धार्मिक ही नहीं राष्ट्रीय तथा स्वराज आन्दोलन का भी केन्द्र रहा है। सन् 1921 में ब्राह्मण क्लब चामी के बुलावे पर राष्ट्रीय नेता श्री हरगोविन्द पन्त, श्री चिरंजीलाल तथा श्री बद्रीदत्त पाण्डेय बागेश्वर पहुंचे तथा सरयू नदी के तट पर कुली उतार आन्दोलन आरम्भ किया। राष्ट्र भक्त विक्टर मोहन जोशी जी द्वारा स्वराज मन्दिर की नींव डाली गयी। सन् 1933 में देश भक्त मोहन जोशी के नेतृत्व में जबरदस्त स्वदेशी प्रदर्शनी हुई। बागेश्वर में बागनाथ मन्दिर तथा गरूड़ में बैजनाथ मन्दिर ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देश–विदेश से लाखों की संख्या में लोग इन मन्दिरों के दर्शन तथा इनका ऐतिहासिक महत्व जानने के लिये आते है। बैजनाथ के समीप ही तैलीहाट है, जहाँ कभी कत्यूरी राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ अभी भी ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के मन्दिरों का समूह विद्यमान है। बागेश्वर में पावन सरयू, गोमती एवं अदृश्य भागीरथी नदी के संगम पर बागनाथ मन्दिर है। बताते है कि चन्दवंश के राजा लक्ष्मी चन्द द्वारा 1602 ई0 में पुनर्निर्माण के पश्चात् भगवान बागनाथ का भव्य मन्दिर बनाया गया । इस मन्दिर में सातवीं शताब्दीं से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक की मूर्तियॉ हैं। मन्दिर परिसर में ही अन्य देवी–देवताओं के अलग–अलग मन्दिर है। प्रतिवर्ष माह

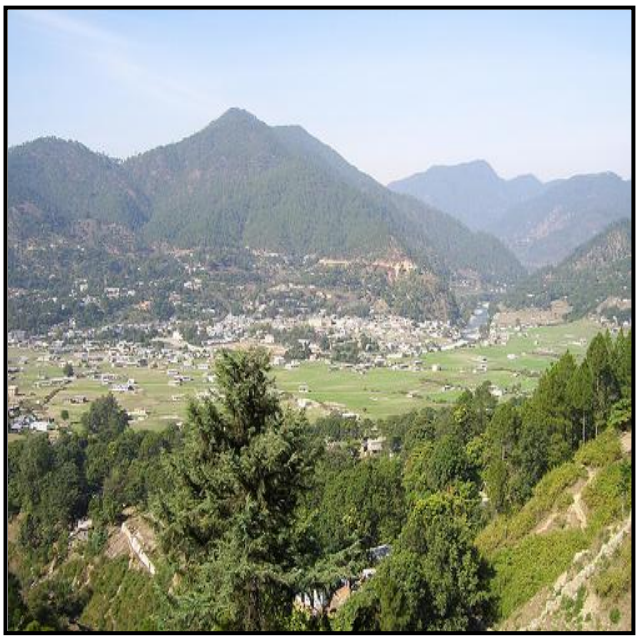

जनवरी में मकर संक्रान्ति को यहाँ भव्य मेला लगता है। जो उत्तरायणी नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन देश–विदेश के हजारों श्रद्धालु संगम में स्नान कर भगवान बागनाथ के दर्शन करते हैं तथा एक सप्ताह तक व्यवसायिक, सांस्कृतिक गतिविधियां होती है।

ऊधमसिंहनगर :– जनपद ऊधमसिंह नगर का सृजन सितम्बर, 1995 को जनपद नैनीताल के तराई सम्भाग को अलग कर किया गया । इतिहासकारों का मानना है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व भगवान रूद्र के किसी भक्त या रूद्र नाम के किसी हिन्दू कबीले के मुखिया द्वारा बसाया गया। रूद्रपुर गाँव आज भौतिक विकास की पगडंडियों से चलकर विशाल रूद्रपुर नगर का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। जनपद ऊधमसिंहनगर का मुख्यालय बन जाने से रूद्रपुर का महत्व और बढ़ गया है। काशीपुर का औद्योगिकीकरण बहुत पहले हो चुका है। हाल के उत्तराखण्ड राज्य के गठन के बाद रूद्रपुर तथा सितारगंज के सिडकुल क्षेत्र में औद्योगिकीकरण से जिला ऊद्यम सिंह नगर औद्योगिकी विकास के क्षेत्र में अग्रणी जनपद की श्रेणी में आ चुका है।

ब्रिटिश काल में 1861 में नैनीताल जनपद बन जाने के साथ ही 1864–65 में सम्पूर्ण तराई व भावर को "तराई व भावर गवर्नमेन्ट एक्ट" घोषित कर दिया गया, जो सीधे ब्रिटिश राज मुकुट के अधीन हो गया। देश के विभाजन के तुरन्त बाद शरणार्थी समस्या विकराल रूप में उपस्थित हुई । बड़ी संख्या में देश के पश्चिमोत्तर व पूर्वी क्षेत्र से आये शरणार्थियों को तराई के मध्य 35 किमी0 परिक्षेत्र में 164.2 वर्ग मील भू क्षेत्र पर उप निवेश योजना के अर्न्तगत पुर्नवासित किया गया। व्यक्तिगत आवासियों को क्राउन ग्रान्ट एक्ट के आधार पर भूमि आवंटित की गई। शरणार्थियों का पहला जत्था दिसम्बर 1948 में पहुँचा।

कश्मीर, पंजाब, केरल, पूर्वी उ0प्र0, गढ़वाल, कुमायूँ, बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, नेपाल और तमिलनाडू से लेकर भारत मूल के वर्मा प्रजातियों का समूह तराई में बसा है जो विभिन्न पेशों, धर्मों और जाति समूह के लोगों से मिलकर बना है। तराई का यह कोलोनाईजेशन क्षेत्र है और उसी का हृदय है, रूद्रपुर। इसीलिए 20–25 वर्ष पूर्व तराई को मिनी "हिन्दुस्तान" उपनाम से सम्बोधित किया था। जनपद ऊधमसिंह नगर कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र में मण्डल/प्रदेश में अग्रिम पंक्ति पर है।

पिथौरागढ़ :– जनपद पिथौरागढ़ हिमालय की गोद में बसा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा है। जनपद की उत्तरी तथा पूर्वी सीमायें क्रमशः तिब्बत तथा नेपाल से लगती है। उत्तरी सीमा पर गगनचुम्बी हिमाच्छादित गिरिमाल एक अभेद्य दीवार सी खड़ी है, जिसमें पंचाचूली और त्रिशूल शिखर अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिये विख्यात है। पर्वतारोहियों के लिए यह शिखर विशेष आकर्षक रहे हैं। त्रिशूल शिखर के नीचे स्थित मिलम ग्लैशियर सैलानियों को आकर्षित करता है। सुदूर मध्य हिमालय की दुर्गम बर्फीली चोटियों को अपने मस्तक पर धारण किये हुए है।

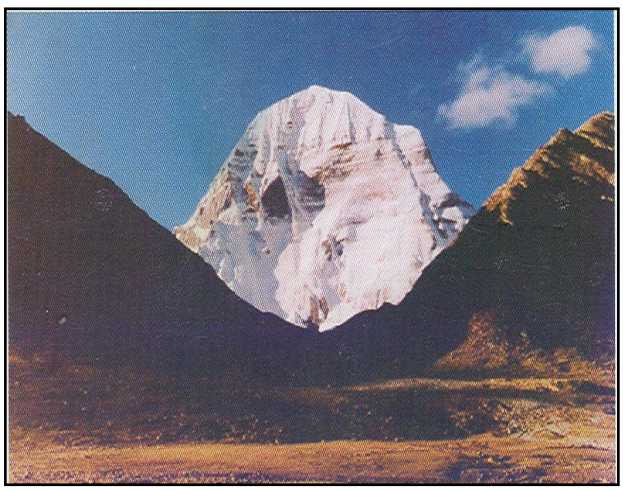

चम्पावत :– जनपद चम्पावत का सृजन सितम्बर, 1997 को जनपद पिथौरागढ़ की तहसील चम्पावत तथा जनपद ऊधमसिंहनगर के विकास खण्ड खटीमा के 35 राजस्व ग्राम एवं जनगणना ग्राम वनवसा तथा नगर पालिका परिषद टनकपुर को सम्मिलित कर किया गया है।

जनपद चम्पावत पर्वतों एवं घाटियों का क्षेत्र हैं। यहाँ पर्वत श्रृंखलायें दक्षिण से उत्तर की ओर कहीं कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई लेती है। इन पर्वत मालाओं के मध्य कहीं–कहीं सुन्दर घाटियाँ भी हैं, जिनमें चम्पावत से उत्तर की ओर कहीं कम तथा कहीं अधिक ऊँचाई लेती है।

जनपद चम्पावत में चम्पावत, खेतीखान, देवीधूरा, मायावती आश्रम, श्यामलाताल, लोहाघाट एवं पंचेश्वर आदि अति सुन्दर एवं आकर्षक है। प्रमुख धार्मिक स्थल में पूर्णागिरी धाम जनपद चम्पावत के भूभाग में स्थित है। जनपद के विकास खण्ड चम्पावत में सिक्खों का प्रमुख धार्मिक स्थल रीठा साहिब स्थित है। मॉ बाराही मंदिर देवीधुरा में रक्षा बन्धन के दिन होने वाला बग्वाल मेला जिसे देखने लाखों लोग आते है, जो जिला चम्पावत में ही स्थित है। जिला चम्पावत प्राकृतिक सौन्दर्य का धनी है।

जनपद में प्रमुख मंदिर बालेश्वर, गुरू गोरखनाथ, गोलू देवता का जन्म स्थान गौरेलचौड़, मानेश्वर, रिखेश्वर आदि है जिसमें समय–समय पर मेले आदि लगते है। जनपद मुख्यालय के समीप निर्मित एक हथिया नौले के सम्बन्ध में कहा जाता है इस नौलें का निर्माण एक ऐसे कारीगर द्वारा किया गया था जिसके पास एक ही हाथ था इसलिए उसको एक हथिया नौला कहा जाता है।

अध्याय – 2

खनिज सम्पदा

कुमायूँ मण्डल खनिज सम्पदा का परम्परागत इतिहास रहा है। यहाँ के स्थाई निवासी परम्परागत तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लौह, ताँबा, स्वर्ण सीसा तथा चूना पत्थर, मिट्टी आदि का उत्खनन एवं शुद्धिकरण किया करते थे। औषधि के रूप में प्रयोग की जाने वाली शिलाजीत एवं अभ्रक का शुद्धिकरण भी यहाँ प्राचीनकाल से किया जाता रहा हैं।

इस मण्डल में खनिज के रूप में चूने का पत्थर, खड़िया, डोलामाइट, कायनाईट, यूरेनाईट, पाइराइट व मैग्नासाइड आदि पाया जाता है, जो व्यवसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तथा इसका निर्यात भी होता है। भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पत्थर क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, स्लेट, रेता, गिट बोल्डर आदि भी व्यवसायिक स्तर पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कच्चा लोहा, ताँबा तथा जिप्सम आदि भी बहुत थोड़ी मात्रा में पाये जाते हैं, किन्तु इनका व्यवसायिक रूप से उपयोग अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है। जनपद बागेश्वर में झिरोली नामक स्थान पर मैग्नेसाइट का एक कारखाना स्थापित है। झिरोली स्थित मैग्नासाइट खदान से भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर आदि इस्पात संयंत्रों को मैग्नेसाइट की आपूर्ति की जाती है।

खड़िया जो व्यवसायिक क्षेत्र में सफेद सोने के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण खनिज है। मण्डल में खड़िया के वृहद भण्डार है। खड़िया जखेड़ा, हरपा, बिरखल, सुराग, कर्मी, चौड़ास्थल, लोहारखेत, लीती, चिंडग, तुपेड़, चौरा, रीमा, विजयपुर, काण्डा आदि जगहों पर प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है। कुमायूँ मण्डल के पर्वतीय भाग में खनिज पदार्थो के उत्खनन तथा उन पर आधारित उद्योगों की स्थापना से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को एक नया आयाम दिया जा सकता है।

अध्याय – 3

प्रशासनिक ढाँचा

भौगोलिक दृष्टि से कुमायूँ मण्डल में 6 जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर, बागेश्वर व चम्पावत सम्मिलित है, जिनमें 52 तहसील, 9 उपतहसील एवं 41 विकास खण्ड है। मण्डल में 3 नगर निगम, 18 नगर पालिका परिषद, 3 छावनी क्षेत्र, 17 नगर पंचायत तथा 9 सेन्सस टाऊन हैं। मण्डल मुख्यालय नैनीताल में है। जनगणना 2011 के अनुसार मण्डल में कुल 7457 ग्राम है, जिनमें से 279 ग्राम गैर आबाद, 141 आबाद वन ग्राम एवं 116 गैर आबाद वन ग्राम तथा 6921 आबाद ग्राम हैं। जनगणना 2011 के उपरान्त कुछ ग्राम नगर क्षेत्र में स्थानान्तरित होने के कारण 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार मण्डल में कुल ग्रामों की संख्या 7410 है। जिसमें से 280 ग्राम गैर आबाद, 141 आबाद वन ग्राम, 116 गैर आबाद वन ग्राम तथा 6873 आबाद ग्राम हैं। न्याय पंचायतें 289 हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या 3486 है। मण्डल में पुलिस स्टेशनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 35 व नगरीय क्षेत्र में 36 तथा 02 जी0आर0पी0 है।

मण्डल की मुख्य प्रशासनिक इकाईयॉ

क्र0 सं0	तहसील	विकास खण्ड
1.	1. अल्मोड़ा	1. भैसियाछाना (आंशक)
		2. लमगड़ा (आंशिक)
		3. धौलादेवी (आंशिक)
		4. हवालबाग (आंशिक)
		5. ताकुला (आंशिक)
	2. भनोली	1. धौलादेवी (आंशिक)
		2. लमगड़ा (आंशिक)
	3. सोमेश्वर	1. ताकुला (आंशिक)
		2. हवालबाग (आंशिक)
	4. भिक्यासैंण	1. भिक्यासैंण (आंशिक)
		2. सल्ट (आंशिक)
	5. रानीखेत	1. ताड़ीखेत
		2. द्वाराहाट (आंशिक)
	6. चौखुटिया	1. चौखुटिया
	7. द्वाराहाट	1. द्वाराहाट (आंशिक)
		2. भिक्यासैंण (आंशिक)
	8. सल्ट	1. सल्ट (आंशिक)
	9. जैती	1. लमगड़ा (आंशिक)
	10. स्याल्दे	1. स्याल्दे
	11.लमगड़ा	1.लमगड़ा (आशिक)
	12.धौलछीना	1.भैसियाछाना (आंशिक)

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	विकास खण्ड
2.	बागेश्वर	1. कपकोट	1. कपकोट (आंशिक)
		2. गरूड़	1. गरूड़–बैजनाथ
		3. बागेश्वर	1. बागेश्वर (आंशिक) 2. कपकोट (आंशिक)
		4. काण्डा	1. बागेश्वर (आंशिक) 2. कपकोट (आंशिक)
		5.दुग नाकुरी	1. बागेश्वर (आंशिक) 2. कपकोट (आंशिक)
		6. कठपुड़ियाछीना	1. बागेश्वर
3.	नैनीताल	1. नैनीताल	1. भीमताल 2. रामगढ़ (आंशिक) 3. कोटाबाग (आंशिक)
		2. कालाढूँगी	1. कोटाबाग (आंशिक)
		3. कोश्याकुटोली	1. रामगढ़ (आंशिक) 2. बेतालघाट (आंशिक)
		4. धारी	1. धारी
		5. बेतालघाट	1. बेतालघाट (आंशिक)
		6. ओखलकांडा	1. ओखलकांडा
		7. हल्द्वानी	1. हल्द्वानी (आंशिक)
		8. लालकुआँ	1. हल्द्वानी (आंशिक)
		9. रामनगर	1. रामनगर
4.	ऊधमसिंहनगर	1. काशीपुर	1. काशीपुर
		2. जसपुर	1. जसपुर
		3. बाजपुर	1. बाजपुर
		4. किच्छा	1. रूद्रपुर (आंशिक)
		5. रूद्रपुर	1. रूद्रपुर (आंशिक)
		6. गदरपुर	1. गदरपुर
		7. खटीमा	1. खटीमा
		8. सितारगंज	1. सितारगंज
5.	पिथौरागढ़	1. डीडीहाट	1. डीडीहाट (आंशिक)
		2. बेरीनाग	1. बेरीनाग (आंशिक)
		3. धारचूला	1. धारचूला (आशिक)
		4. पिथौरागढ़	1. पिथौरागढ़ (विण) 2. मूनाकोट
		5. गंगोलीहाट	1. गंगोलीहाट (आशिक)
		6. मुनस्यारी	1. मुनस्यारी (आशिक)
		7. बंगा पानी	1. धारचूला (आशिक) 2 मुनस्यारी (आशिक)
		8. थल	1. बेरीनाग (आशिक) 2. डीडीहाट (आशिक)
		9. कनालीछीना	1. कनालीछीना (आशिक) 2. डीडीहाट (आशिक)
		10. गणाई गंगोली	1. गंगोलीहाट (आशिक)
		11. देवथल	1. कनालीछीना (आशिक)
		12. तेजम	1. मुनस्यारी (आशिक)
6.	चम्पावत	1. चम्पावत	1. चम्पावत (आंशिक)
		2. श्री पूर्णागिरी	1. चम्पावत (आंशिक)
		3. लोहाघाट	1. लोहाघाट 2. पाटी (आंशिक)
		4. पाटी	1. पाटी (आंशिक)
		5. बाराकोट	1. बाराकोट

अध्याय - 4

जनसंख्या वितरण

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या 10086292 में से कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या 4228998 है। कुमाऊँ मण्डल की जनसंख्या राज्य की जनसंख्या का 41.93 प्रतिशत है।

जनगणना 2011 के अनुसार मण्डल के जनपदों की जनसंख्या निम्न प्रकार है :

क्र0 सं0	जनपद का नाम	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किमी0)	कुल जनसंख्या	पुरूष	स्त्री	जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किमी0	लिंगानुपात (प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या)	साक्षरता प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	8	**9**
1	पिथौरागढ़	7090	483439	239306	244133	68	1020	82.25
2	बागेश्वर	2246	259898	124326	135572	116	1090	80.01
3	अल्मोड़ा	3139	622506	291081	331425	198	1139	80.47
4	चम्पावत	1766	259648	131125	128523	147	980	79.83
5	नैनीताल	4251	954605	493666	460939	225	934	83.88
6	ऊधमसिंहनगर	2542	1648902	858783	790119	649	920	73.10
योग मण्डल		**21034**	**4228998**	**2138287**	**2090711**	**201**	**978**	**78.52**

कुमायूँ मण्डल में क्षेत्रफल की दृष्टि से पिथौरागढ़ तथा जनसंख्या की दृष्टि से ऊधमसिंहनगर सबसे बड़ा जनपद है। मण्डल में सबसे कम क्षेत्रफल व जनसंख्या वाला जनपद चम्पावत है। ऊधमसिंहनगर का जनसंख्या घनत्व 649 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है, जबकि जनपद पिथौरागढ़ का जनसंख्या घनत्व 68 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है, मण्डल के जनपदों में जनपद ऊधमसिंहनगर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक तथा जनपद पिथौरागढ का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। मण्डल का जनसंख्या घनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है तथा उत्तराखण्ड की जनसंख्या का घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत 78.82 तथा कुमायूँ मण्डल में साक्षरता का प्रतिशत 78.52 है। जनपद पिथौरागढ़ में 82.25%, अल्मोड़ा में 80.47%, नैनीताल में 83.88%, बागेश्वर में 80.01%, चम्पावत में 79.83% तथा उधमसिंह नगर में 73.10% व्यक्ति साक्षर हैं।

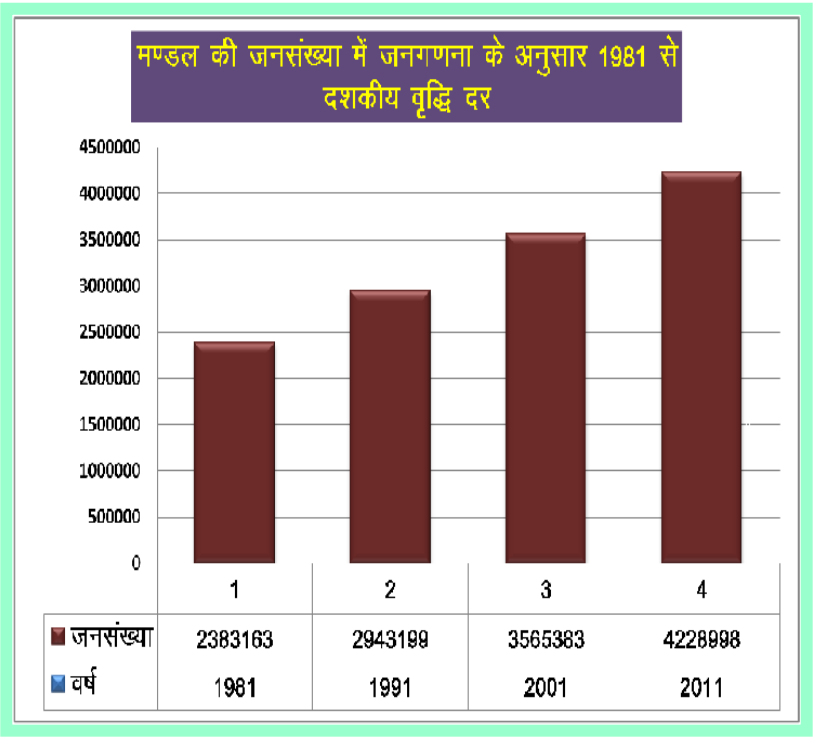

जनगणना 2011 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में 1000 हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 978 है, जबकि उत्तराखण्ड में 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 963 है। कुमाऊ मण्डल के पर्वतीय जनपद पिथौरागढ़ में 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या 1020, अल्मोड़ा में 1139, बागेश्वर में 1090, चम्पावत में 980, नैनीताल में 934 तथा ऊधमसिंह नगर में 920 है। पर्वतीय भू–भाग में निवास कर रहे अधिकांश पुरूष सेना में सेवारत रहने के कारण बाहर है तथा इसी तरह पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार के साधनों की कमी के कारण रोजगार की तलाश में पर्वतीय क्षेत्र में निवास कर रहे पुरूष मैदानी भागों में रोजगार के लिये बाहर रहते है, जिस कारण पूर्णतः पर्वतीय जनपद अल्मोड़ा,बागेश्वर पिथौरागढ़ तथा चम्पावत में प्रति हजार पुरूषों पर महिलाओं की संख्या अधिक है, जबकि मैदानी भाग में कम है।

कुमाऊँ मण्डल में जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण जनगणना 2011 के अनुसार मुख्य कर्मकरों में कृषक 40.60%, कृषि श्रमिक 11.19%, पारिवारिक उद्योग 2.59% तथा अन्य कर्मकर 45.62%, पाये गये। इस प्रकार मुख्य कर्मकर 1234528 व सीमान्त कर्मकर 471016 को सम्मिलित करते हुए, कुल कर्मकरों की संख्या 1705544 है।

अध्याय – 5

कृषि

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुमाऊँ मण्डल में कुल कर्मकरों में से 44 प्रतिशत कर्मकर कृषि पर आश्रित है। यह अनुपात जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर पिथौरागढ़ तथा चम्पावत के लिये क्रमशः 69.62, 68.85, 36.56, 20.74, 63.44 तथा 60.25 प्रतिशत है। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मण्डल में अर्थ व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग कृषि है परन्तु जिला ऊधमसिंह नगर में सम्पूर्ण भाग तथा जिला नैनीताल के मैदानी भाग को छोड़कर पर्वतीय भाग में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है।

खेत छोटे–छोटे तथा छिटके है, जिस कारण कृषि से बहुत कम आय अर्जित होती है। अतः कृषि विविधिकरण योजना के अन्तर्गत कृषकों को व्यवसायिक फसलों/गैर मौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा सहायतित त्वरित सिंचाई लाभ योजना से असिंचित भूमि में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं। जिला योजना में पौध सुरक्षा कार्यक्रम, कृषि यंत्रों की योजना तथा उन्नत कृषि तकनीक हस्तान्तरण की योजनाओं से कृषि को लाभकारी बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्र सहायतित योजना माईक्रोमोड योजना में धान्य विकास, दलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन, कृषि यंत्रों का वितरण की योजना संचालित हैं।

कृषि विभाग की स्थापना ब्रिटिशकालीन भारत में सन् 1875 में की गयी। प्रारम्भ में विभाग का कार्य कृषि ऑकडे एकत्रित करना एवं कुछ आदर्श फार्म स्थापित करने तक सीमित था। सन् 1980 में इसे भूमि अभिलेख विभाग से सम्बद्व किया गया। कालान्तर में GOVERNMENT OF INDIA ACT 1919 के पारित होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा कृषि नीति प्रतिपादित किये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश कृषि विभाग को दिनांक 01.12.1919 से स्वतंत्र विभाग बनाया गया। उत्तर प्रदेश पुर्नगठन अधिनियम 2000 के अधीन 09 नवम्बर 2000 से उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के साथ उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कृषि विभाग उत्तराखण्ड का पुर्नगठन किया गया। विभागीय विस्तार के फलस्वरूप वर्तमान में एकल खिडकी व्यवस्था के अर्न्तगत कृषि निवेश केन्द्र न्यायपंचायत स्तर पर स्थापित कर समस्त विभागीय कार्य न्यायपंचायत स्तर से सम्पादित किये जा रहे हैं।

वर्तमान में विभाग का कार्य जनपद में कृषकों की जोत कृषि भूमि की मृदा का परीक्षण प्रयोगशाला में कर कृषकों को उनकी मृदा के बारे में जानकारी एवं मृदा सुधार हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए उन्नतशील प्रजातियों के बीज, कृषि यंत्र, कृषि रक्षा रसायन अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराता है। कृषकों को

नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी प्रशिक्षण/फसल प्रर्दशन के माध्यम से समय–समय पर उपलब्ध करायी जाती है। विभाग द्वारा दैवी आपदा एवं अन्य कारणों से कृषि भूमि के कटाव/क्षरण होने की स्थिति में चैक डैम, ब्रस्टवाल, स्पर आदि के माध्यम से कृषि भूमि की सुरक्षा करते हुए जल संरक्षण कार्य भी सम्पादित करता है। कृषकों के रोजगार क्षमता में अतिरिक्त वृद्वि हेतु विभाग द्वारा बहुउद्देशीय जल संभरण टैंक का निर्माण कर सिंचाई क्षमता में वृद्वि करते हुए कृषकों को मत्स्य पालन करने पालीहाउस से सब्जी उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करता है।

भूमि को कृषि की दृष्टि से सामान्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है प्रथम तलाऊ भूमि जो कि प्रायः समतल होती है और जिस पर सिंचाई साधन उपलब्ध है। 'तलाऊ' भूमि सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है इसमें रवी, खरीफ जायद फसलें ऊगाई जाती है। फसलें जैसे आलू ,प्याज अथवा सोयाबीन, जिसे 'भट्ट' भी कहा जाता है, नकदी फसलें उगाई जाती हैं। असिंचित क्षेत्र को 'उपराऊ' भूमि कहते है। यह दो भागों में बाटी जा सकती है– 1. अब्बल 2. दोयम। अब्बल में मिट्टी अच्छी होने के कारण उपज दोयम से अधिक होती हैं उपजाऊ भूमि में फसल चक्र इस प्रकार रखे जाते हैं कि दो वर्षांत में एक न एक बार भूमि परती रखी जाती है। साधारणतया खरीफ में सभी कृषि क्षेत्र में फसल बोयी जाती है, परन्तु रवी में एक भू–भाग परती छोड़ना पड़ता है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु वित्तीय संसाधन सुलभ कराने के साथ साथ नवीनतम वैज्ञानिक कृषि विधियों एवं उपकरणों की आवश्यकता की जानकारी सुलभ कराने हेतु प्रदशर्नियों के आयोजन, बीज उर्वरक, कीटनाशक औषधियों आदि आवश्यक कृषि निवशों की ससमय सम्पूर्ति की व्यवस्था, फसल सुरक्षा तथा आवश्यक कृषि निवेश जुटाने हेतु उत्पादन एवं ऋण की व्यवस्था जैसे अनेक उपाय किये जा रहे है।

1. केन्द्रपोषित योजनाः–

(अ) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :–

- **जैविक कार्यक्रमः–**जैविक कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ में जैविक संरचना निर्माण के अन्तर्गत क्रमश 184, 313, 80, 75, 156, 200 वर्मी कम्पोस्ट, क्रमश 69, 123, 19, 27, 76, 110 नाडेप, क्रमशः 10, 18, 2, 5, 15, 15 प्रशिक्षण एवं क्रमशः 7, 10, 3, 3, 7, 7 मास्टर ट्रेनरों के मानदेय के योजनान्तर्गत क्रमशः. रू0 16.76, 29.58, 7.76, 6.94, 16.76, 21.08 लाख व्यय किया गया।
- **कृषक महोत्सवः–** रवी वर्ष 2017–18 में कृषक महोत्सव का आयोजन कुमाऊॅ मण्डल की समस्त न्याय पंचायतों में किया गया। जिसमें कृषि व सम्बन्धित रेखीय विभागों द्वारा स्टालों व प्रदर्शनों के माध्यम से कृषि व विभाग सम्बन्धित जानकारियॉ दी गयी। कृषि निवेश वितरित किये गये। महोत्सव के दौरान वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 44, 64, 95, 24, 35, 27 न्याय पंचायतों में कृषक महोत्सव रवी, 2017 का आयोजन किया गया।

- **एकीकृत बहुद्देशीय जल सम्भरण योजनाः–** इस योजना अन्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर में क्रमश 26, 14, 25, 4, 4 बहुद्देशीय जल संभरण टैकों का निर्माण कराया गया जिसमें 35000 लीटर व 50000 लीटर की क्षमता के जल संभरण टैक निर्मित किए गए साथ ही पॉलीहाउस, मुर्गी पालन व मत्स्य पालन का कार्य भी किया गया। जिसमें क्रमशः रू0 97.41, रू0 57.05, रू0 132.16, रू0 15.00, रू0 16.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी।
- **मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम परीक्षण(दैवीय आपदा) :–** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भू–कटाव की रोकथाम हेतु ब्रेस्टवॉल, जल निकास नाली, रिटेनिंग वॉल चैकडैम, पुस्ता व सुरक्षा दीवार आदि के निर्माण हेतु वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर में क्रमशः रू0 104.49,रू0 0.84, रू0 0.96, रू0 30.27 लाख की धनराशि व्यय की गई।
- **घेरबाड़ योजना :–** जंगली जानवरों के कृषि फसल के बचाव हेतु जनपद अन्तर्गत घेरबाड़ योजना संचालित की गयी वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, में 11413.00 मी घेरबाड़ का निर्माण कराया गया, जिसमें क्रमशःरू0 94.92, रू0 8.346, रू0 52.64, रू0 12.00 लाख की धनराशि व्यय की गई।
- **कृषि यंत्रीकरण :–** कृषकों को 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम अनुमन्य अनुदान सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में विभिन्न प्रकार के मानव चालित, बैलचालित, ट्रैक्टरचालित एवं शक्ति चालित यंत्रों पर क्रमशः रू0 32.24, रू0 16.67, रू0 18.42, रू0 9.50, रू0 13.84, रू0 29.97 लाख अनुदान उपलब्ध कराया गया।
- **फसलोत्पादन (धान/गेहूँ) कार्यक्रम :– धान फसलोत्पादन** योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, चम्पावत, बागेश्वर में क्रमशः 60, 50, 60 है0 क्षेत्रफल में कलस्टर प्रदर्शनों का आयोजन कराया गया। जिस पर कुल मूल्य क्रमशः.रू0 2.62, रू0 1.60, रू0 2.02 लाख कृषकों को कृषि निवेशों पर अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया। अधिक उपजदायी बीजों के वितरण पर कुल मूल्य क्रमशः रू0 0.05, रू0 0.60, 0.00 लाख कृषकों को अनुदान के रूप में दिया गया। पौघ रक्षा रसायन/खरपतवार नियंत्रण मद में क्रमशः रू0 5.73, रू0 0.00, रू0 3.75 लाख कृषि रक्षा रसायनों पर अनुदान के रूप में कृषकों को अनुमन्य कराया गया । इस प्रकार कुल क्रमशः रू0 11.39, रू0 1.60, रू0 5.95 लाख व्यय किया गया।

  गेहूँ फसलोत्पादन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद चम्पावत में 100 है0 क्षेत्रफल में कलस्टर प्रदर्शनों का आयोजन कराया गया। जिस पर कुल मूल्य .रू0 7.50 लाख कृषकों को कृषि निवेशों पर अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया। अधिक उपजदायी बीजों के वितरण पर कुल रू0 1.50 लाख कृषकों को अनुदान के रूप में दिया गया। जल संवहन पाईप के अन्तर्गत क्रमशः 6200 मी0 पाइप कृषकों को अनुदान पर वितरण किया गया। इस प्रकार योजना के अन्तर्गत कुल रू0 10.00 लाख व्यय किया गया।

(ब) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

- **चावल कार्यक्रमः–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 190, 220, 580 है0 क्षेत्रफल में कलस्टर प्रदर्शनों का आयोजन कराया गया। जिस पर कुल मूल्य क्रमशः.रू0 9.477, रू0 12.182, रू0 28.087 लाख कृषकों को कृषि निवेशों पर अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया गया। अधिक उपजदायी बीजों के वितरण पर कुल मूल्य क्रमशः रू0 0.880, रू0 0.045, 1.548 लाख कृषकों को अनुदान के रूप में दिया गया। पौघ रक्षा रसायन/खरपतवार नियंत्रण मद में क्रमशः रू0 1.910, रू0 1.871, रू0 19.512 लाख कृषि रक्षा रसायनों पर अनुदान के रूप में कृषकों को अनुमन्य कराया गया। मानव चालित नैपसैक स्प्रेयर वितरण में क्रमशः रू0 0.00, रू0 0.054, रू0 0.000 लाख अनुदान दिया गया। कृषकों को 15000 प्रति पावर वीडर की दर में क्रमशः रू0 0.15, रू0 0.00, रू0 0.00 लाख अनुदान उपलब्ध कराया गया। जल पम्प वितरण मद में क्रमशः 1, 2, 9 जल पम्प 10000 रू0 प्रति जल पम्प की दर से क्रमशः रू0 0.10, रू0 0.20, रू0 0.90 लाख कृषकों को अनुदान के रूप में अनुमन्य कराया गया। कृषक प्रशिक्षण मद में क्रमशः.रू0 0.30, रू0 0.70, रू0 0.55 लाख व्यय किया गया । इस प्रकार कुल क्रमशः रू0 22.925, रू0 22.821, रू0 72.362 लाख व्यय किया गया जिसमें से क्रमशःरू0 1.372, रू0 3.773, रू0 23.35 लाख अनुसूचित जाति के कृषकों पर व्यय किया गया। इस प्रकार क्रमशः रू0 19.932, रू0 18.048, रू0 44.18 लाख सामान्य कृषकों पर व्यय किया गया। योजनान्तर्गत क्रमशः रू0 1.622, रू0 0.00, रू0 4.83 लाख अनुसूचित जनजाति कृषकों हेतु व्यय किया गया।
- **गेहूॅ कार्यक्रमः–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूॅ कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में कलस्टर प्रदर्शन के अन्तर्गत क्रमशः 290, 180, 180, 60, 655 है0 क्षेत्र में प्रदर्शन का आयोजन किया गया। उर्द/मूंग–गेहूॅ कलस्टर प्रदर्शनों में क्रमशः 40, 30 30, 10, 55 है0 क्षेत्र में प्रदर्शन आयोजित किया गया। कलस्टर प्रदर्शन कार्यक्रम हेतु क्रमशः.रू0 12.96, रू0 5.57, रू0 6.01, रू0 3.37, रू0 20.71 लाख की धनराशि कृषि निवेशों अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये गए। सूक्ष्म तत्व वितरण/पौघ रक्षा रसायन/ खरपतवार नियंत्रण मद में क्रमशः रू0 3.46, रू0 0.01, रू0 0.883, रू0 2.100, रू0 20.88 लाख की लागत से 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध कराये गए। नैपसैक स्प्रेयर वितरण में क्रमशः 22, 0, 1, 0, 2 स्प्रे मशीनों पर क्रमशः रू0 0.13, रू0 0.000, रू 0.006, रू0 0.00, रू0 0.06 लाख का अनुदान कृषकों को अनुमन्य कराया गया। पावर वीडर मद में क्रमशः 4, 1, 1, 0, 0 पावर वीडर कृषकों को 15000 रू0 प्रति पावर वीडर की दर से अनुदान अनुमन्य कराया गया। जल संवहन पाइप में क्रमशः 0, 400, 2150, 0, 0 मीटर पाइप कृषकों को अनुदान पर वितरण किया गया। जल पम्प मद में क्रमशः 1, 0, 0, 0, 1 जल पम्प कृषकों का 10000 रू0 प्रति जल पम्प की दर से वितरण किये गये। इस प्रकार योजनान्तर्गत क्रमशः.रू0 30.70, रू0 7.45, रू0 7.23, रू0 7.39, रू0 90.71

लाख व्यय किया गया। क्रमशः रू0 22.32, रू0 5.28, रू0 5.24, रू0 6.71, रू0 59.45 लाख की धनराशि सामान्य कृषकों हेतु, क्रमशः रू0 8.38, रू0 1.58, रू0 1.99, रू0 0.68, रू0 24.63 लाख की धनराशि अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु एवं क्रमशः रू0 0.00, रू0 0.59, रू0 0.00, रू0 0.00, रू0 6.15 लाख की धनराशि अनुसूचित जनजाति कृषकों हेतु व्यय की गयी।

- **दलहन कार्यक्रमः–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में दलहन कार्यक्रम के क्लस्टर प्रदर्शन मद में क्रमशः 140, 120, 170, 80, 30, 150 है0 क्षेत्र में क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये। जिस पर कुल क्रमशः रू0 6.26, रू0 5.798, रू0 6.905, रू0 2.099, रू0 1.438, रू0 5.050 लाख धनराशि कृषि निवेशों पर अनुदान के रूप में कृषकों को उपलब्ध करायी गयी। अधिक उपजदायी बीज वितरण मद में क्रमशः 20.46, 14.60, 16.04, 29.67, 17.66, 89.17 कु0 उन्नत बीज कृषकों को रू0 2500.00 प्रति कु0 की दर से वितरण अनुदान उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म तत्व वितरण अन्तर्गत कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर क्रमशः रू0 1.29, रू0 0.42, रू0 0.014, रू0 0.00, रू0 0.00, रू0 9.346 लाख अनुदान के रूप में व्यय किया गया एवं पौंध सुरक्षा रसायन/खरपतवार नियंत्रण वितरण अन्तर्गत कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान पर क्रमशः रू0 2.917, रू0 1.24, रू0 2.429, रू0 0.00, रू0 0.00, रू0 2.177 लाख अनुदान के रूप में व्यय किया गया। कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः.रू0 0.35, रू0 0.40, रू0 0.436, रू0 0.00, रू0 0.00, रू 22.25 लाख व्यय किया गया। जल संवहन पाईप के अन्तर्गत क्रमशः 1000, 800, 1381, 0, 0, 0 मी0 पाइप कृषकों को अनुदान पर वितरण किया गया। जल पम्प वितरण मद में क्रमशः 0, 2, 7, 0, 0, 6 जल पम्प 10000 रू0 प्रति जल पम्प अनुदान के रूप में कृषकों को वितरण किया गया, जिस पर क्रमशः रू0 0.00, रू0 0.20, रू0 0.70, रू0 0.00, रू0 0.00, रू0 0.60 अनुदान के रूप में व्यय किया गया। इस प्रकार क्रमशः रू0 3.18, रू0 1.991, रू0 1.83, रू0 0.93, रू0 0.37, रू0 12.24 लाख अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु, रू0 13.15, रू0 8.614, रू0 11.88, रू0 9.27, रू0 4.21, रू0 26.61 लाख की धनराशि सामान्य जाति के कृषकों हेतु एवं क्रमशः रू0 0.00, रू0 1.55, रू0 0.00, रू0 0.00, रू0 0.00, रू0 4.76 लाख की धनराशि अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु व्यय की गयी।
- **मोटा अनाज :–** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ में उन्नतशील प्रजातियों के बीज वितरण/क्लस्टर प्रदर्शन मद में क्रमशः रू0 0.323, रू0 0.967, रू0 0.632, रू0 0.371 लाख अनुदान के रूप में व्यय किया गया। जिसमें क्रमशः रू0 0.01, रू0 0.01., रू0 0.180, रू0 0.14 लाख की धनराशि अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु व्यय की गयी।

(स) राष्ट्रीय तिलहन एवं आयलपॉम मिशन योजना :–इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल में क्लस्टर प्रदर्शन के अन्तर्गत क्रमशः 40 है0 क्षेत्र में तिलहन फसलों के क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित कराये गये जिसमें रू0 2.00 लाख की धनराशि व्यय करते हुए कृषि निवेश कृषको को उपलब्ध

कराये गये। योजनान्तर्गत नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर जनपदवार क्रमशः रू0 6.83, रू0 0.421, रू0 0.491, रू0 0.633, रू0 0.462, रू0 0.304 लाख कृषको को कृषि निवेश/यंत्रों /प्रशिक्षण इत्यादि मदों में अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये गए। जिसमें से क्रमशः.रू0 1.350, रू0 0.020, रू0 0.094, रू0 0.00, रू0 0.010, रू0 0.005 लाख की धनराशि अनुसूचित जाति के कृषकों हेतु एवं क्रमशः रू0 5.48, रू0 0.399, रू0 0.397, रू0 0.308, रू0 0.452, रू0 0.299 लाख की धनराशि सामान्य श्रेणी के कृषकों हेतु व्यय की गयी।

(द) नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी मिशन (नामेट):–

1अ. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एस0एम0ए0एम0) :–योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में निम्न कार्य सम्पादित कराये गये।

- **कस्टम हायरिंग केन्द्र :–**इसके अन्तर्गत वर्ष 2017–18 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद ऊधमसिंह नगर में 7 कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये गए, जिस पर रू0 28.00 लाख अनुदान के रूप में कृषकों/कृषक समूहों को उपलब्ध कराये गए।
- **फार्म मशीनरी बैंकः–**इसके अन्तर्गत कृषकों के समूहों का गठन कर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की गयी। जिसमें ट्रैक्टर, पावर वीडर, थ्रेसर, ब्रशकटर आदि यंत्रों के कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 6, 4, 4, 2, 2, 0 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये गए एवं 80 प्रति0 अनुदान की धनराशि कृषक समूहों के बैंक खाते में भुगतान की गयी। फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से कृषि यंत्रों का अधिक से अधिक कृषकों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इस पर क्रमशः रू0 30.00, रू0 20.00, रू0 20.00, रू0 10.00, रू0 10.00, रू0 0.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी, जिसमें क्रमशः.रू0 0.00, रू0 20.00, रू0 0.00, रू0 5.00, रू0 5.00, रू0 0.00 लाख की धनराशि अनुसूचित जाति के समूह में व्यय की गयी।

  उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत 40 प्रतिशत या अधिकतम अनुमन्य सीमा तक ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चालित यंत्र, पावर टिलर, मानव/शक्ति चालित कृषि रक्षा यंत्र, थ्रैसर, एच0डी0पी0ई0 पाईप, ब्रश कटर, मल्टी क्रॉप थ्रैसर इत्यादि पर भी अनुदान उपलब्ध कराया गया।

1ब. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (एस0एम0ए0एम0) अतिरिक्त योजना :– एस0एम0ए0एम0 अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में निम्न कार्य सम्पादित कराये गये।

- **कस्टम हायरिंग केन्द्र :–**इसके अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 2, 6 कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित किये गए।
- **फार्म मशीनरी बैंकः–**इसके अन्तर्गत कृषकों के समूहों का गठन कर फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की गयी। जिसमें ट्रैक्टर, पावर वीडर, थ्रेसर, ब्रशकटर आदि यंत्रों के कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 30, 19, 47, 11, 15, 9 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये गए एवं 80 प्रति0 अनुदान की धनराशि कृषक समूहों के बैंक खाते में भुगतान की गयी। फार्म मशीनरी बैंक के माध्यम से कृषि यंत्रों का अधिक से अधिक कृषकों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत 40 प्रतिशत या अधिकतम अनुमन्य सीमा तक ट्रैक्टर, ट्रैक्टर चालित यंत्र, पावर टिलर, मानव/शक्ति चालित कृषि रक्षा यंत्र, थ्रैसर, एच0डी0पी0ई0 पाईप, ब्रश कटर, मल्टी क्रॉप थ्रैसर इत्यादि पर भी अनुदान उपलब्ध कराया गया।

(3) नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टैक्नोलॉजी मिशन (नामेट–आत्मा):–

आत्मा योजनान्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में वर्ष 2017–18 में क्रमशः 1434, 545, 1687, 154, 0, 1169 मैनडेज कृषक प्रशिक्षण, क्रमशः 1402, 1033, 1687, 455, 245, 976 एक्सपोजर बिजिट आयोजन कराया गया एवं 0, 26, 44, 0, 27, 32 कृषक पुरूस्कार वितरित किए गए। कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 202, 224, 176, 38, 35, 131 प्रदर्शन आयोजित किये गए एवं 24, 0, 9, 12, 0, 21 फार्म स्कूल संचालित किये गए। योजनान्तर्गत क्रमशः रू0 63.40, रू0 49.63, रू0 67.49, रू0 26.59, रू0 25.05, रू0 61.72 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

(4) सब मिशन ऑन सीड्स एण्ड प्लांटिग मैटिरियल (एस0एम0एस0पी0) बीज ग्राम योजनाः–

खरीफ वर्ष 2017–18 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में योजनान्तर्गत क्रमशः 44, 64, 95, 24, 35, 0 न्याय पंचायतों में क्रमशः 898, 867, 868, 92, 1438, 0, कृषकों को क्रमशः 206.97, 105.02, 53.82, 0, 102.18, 0 कुन्तल अनुदान पर वितरित किया गया। क्रमशः 14, 22, 17, 8, 4, 0 तीन चरणों के कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये गए।

रबी वर्ष 2017–18 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में योजनान्तर्गत क्रमशः 44, 64, 95, 24, 35, 0 न्याय पंचायतों में क्रमशः 4423, 2681, 0, 1430, 2293, 0, कृषकों को क्रमशः 1600.00, 665.00, 0, 609.00, 432.00, 0 कुन्तल गेहूँ बीज 50 प्रति0 अनुदान पर वितरित किया गया। क्रमशः 14, 15, 0, 4, 11, 0 तीन चरणों के कृषक प्रशिक्षण आयोजित किये गए।

(य) राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशनः–

- **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम :–**इस योजना में वर्षा आधारित क्षेत्रों में विकास हेतु कृषि आधारित फसल प्रणाली पशुपालन/दुग्ध आधारित फसल कार्यक्रम उद्यान आधारित कार्यक्रम आयोजित किये गये है। जिसमें सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदर्शन आयोजित कराये गये है, वर्ष 2017–18 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, में क्रमशः 2, 3, 8, 3, 3 क्लस्टरों में चयनित कृषकों को लाभान्वित किया गया। उक्त कार्यक्रम में कृषकों को कृषि व रेखीय विभागों सम्बन्धी जानकारी हेतु, सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण/भ्रमण आयोजित कराये गये। जिसमें क्रमशः 140, 225, 600, 210, 210 कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। योजना के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक जल सम्भरण टैंक का निर्माण कराया गया। साथ ही जल सम्वहन पाइप का भी वितरण किया गया। उक्त योजना अन्तर्गत क्रमशः..रू0 42.325, रू0 53.020, रू0 85.630, रू0 44.025, रू0 32.430 लाख की धनराशि व्यय की गई है।

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाः–**उक्त योजना के अन्तर्गत मृदा परीक्षण/विश्लेषण के महत्व व उपयोगिता को बढ़ाया देने हेतु, वर्ष 2017–18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 4682, 1925, 4002, 1480, 1245, 20044 मृदा नमूना एकत्रीकरण/विश्लेषण के लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः 4371, 1926, 4002, 1481, 1247, 2011 एकत्रीकरण/विश्लेषण किया गया। कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 17727, 38926, 54642, 13257, 27052, 46095 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये।
- **परम्परागत कृषि विकास योजनाः–** परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, में क्रमशः 15, 32, 55, 25, 20 चयनित कलस्टरों में जैविक कलस्टर बनाने हेतु योजना का क्रियान्वयन किया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक क्रमशः रू0 163.876, रू0 365.013, रू0 632.40, रू0 296.00, रू0 211.913 लाख व्यय किया गया। वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण हेतु अभिलेखीकरण मद में क्रमशः 750, 1600, 2750, 1250, 1000 कृषकों का अभिलेखीकरण कार्य किया गया। मृदा नमूना एकत्रीकरण मद में क्रमशः 945, 2016, 3465, 1575, 1260 नमूनों का विश्लेषण किया गया। योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक क्रमशः 750, 1600, 2750, 1250, 1000 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट निर्मित किये गए, जिस पर क्रमशः रू0 37.50, रू0 80.00, रू0 137.50, रू0 62.50, रू0 50.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी, तथा क्रमशः 750, 1600, 2750, 1250, 1000 एकड़ क्षेत्र हेतु फॉस्फेट रिच जैव खाद का वितरण किया गया।

(र) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनाः– प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 25, 20, 20, 10, 10, 0 सामुदायिक सिंचाई टैंक, क्रमशः 20, 20, 15, 10, 10, 0 चैकडैम, क्रमशः 15, 25, 20, 20, 14, 0 डग आऊट तालाब, क्रमशः 0, 0, 0, 0, 0, 70 नलकूप, क्रमशः 4, 15, 10, 10, 7, 5 पुराने टैको का जीर्णोधार, क्रमशः 20, 25, 15, 30, 10, 0 छत वर्षा जल सम्भरण टैकं निर्मित किये गए। जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 1, 1, 1, 1, 1, 1 जिला स्तरीय कृषक प्रशिक्षण एवं क्रमशः 1, 1, 1, 1, 1, 1 राज्य स्तरीय कृषक एक्सपोजर बिजिट का आयोजन कराया गया। योजनान्तर्गत वर्ष क्रमशः रू0 120.785, रू0 117.185, रू0 99.195, रू0 60.685, रू0 57.485, रू0 80.435 लाख व्यय किया गया।

2. राज्य सैक्टरः–

(क) अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रमः–इसके अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में मृदा परीक्षण, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, अतिरिक्ति सिंचन क्षमता सृजन, बहुउद्देशीय टैंक, कृषि यंत्र वितरण, प्रशिक्षण इत्यादि मद अन्तर्गत क्रमशः रू0 26.84, रू0 19.22, रू0 20.00, रू0 18.00, रू0 18.00, रू0 15.40 लाख व्यय किया गया।

(ख) अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास कार्यक्रमः–इसके अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर में मृदा परीक्षण, बीज मिनीकिट वितरण, पौंध सुरक्षा कार्यक्रम, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, अतिरिक्ति सिंचन क्षमता सृजन, बहुउद्देशीय टैंक, कृषि यंत्र वितरण, प्रशिक्षण इत्यादि मद अन्तर्गत क्रमशः रू0 11.84, रू0 30.75 लाख व्यय किया गया।

(ग) जैविक मडुवा प्रोत्साहन कार्यक्रमः–उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद में मडुवा की फसल को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 2000 है0 क्षेत्र में कार्यक्रम संचालित किया गया। जिसमें वर्ष 2017–18 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़ में रू0 25.00 लाख की लागत से 556 वर्मी कम्पोस्ट/नाडेप पिट का निर्माण किया गया।

3. जिला योजनाः–

जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में चयनित ग्रामों में कृषकों/कृषक समूहों में बीज मिनिकिट वितरण, कृषि यंत्र वितरण एवं अतिरिक्त सिंचन क्षमता/मृदा एवं जल संरक्षण कार्य सम्पादित कराये गये। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

1. बीज मिनिकिट वितरणः– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में के चयनित ग्रामों में क्रमशः 863, 0, 13887, 1000, 0, 0 कृषकों को विभिन्न फसलों की अधिक उपजदायी नवीनतम प्रजातियों के बीज मिनी किट वितरित किये गये। इस प्रकार उक्त कार्यक्रम पर क्रमशः रू0 2.80, रू0 0.00, रू0 24.12, रू0 2.00, रू0 0.00, रू0 0.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

2. कृषि यंत्र वितरणः– इस कार्यमद के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर के चयनित ग्रामों में कृषकों/कृषक समूहों को कृषि यंत्रों के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न प्रकार के मानव चालित बैल चालित एवं शक्ति चालित कृषि यंत्रों यथा विवके स्याही हल, पावर वीडर, पावर टिलर, मडुवा थ्रेसर एवं नैपसैप स्प्रेयर आदि का 90 प्रतिशत अथवा अधिकतम सीमा तक अनुमन्य अनुदान पर वितरण कर क्रमशः 0, 30, 85, 9, 358, 0 कृषकों/कृषक समूहो को लाभान्वित किया गया, जिस पर क्रमशः रू0 0.00, रू0 14.00, रू0 26.84, रू0 9.19, रू0 21.00, रू0 0.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

3. अतिरिक्त सिंचन क्षमता/मृदा एवं जल संरक्षण कार्यः– इस कार्य मद के अन्तर्गत उत्पादकता में वृद्धि लाने एवं चयनित ग्रामों के कृषकों/कृषक समूहों की आजीविका में सुधार लाने हेतु क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार बहुउद्देशीय टैकों का निर्माण, मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाओं/मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, गूल निर्माण एवं सुरक्षा दीवार आदि से सम्बन्धित कार्य सम्पादित कराकर वर्ष 2017–18 कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः.रू0 26.45, रू0 27.82, रू0 23.31, रू0 34.73, रू0 29.86, रू0 24.20 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

योजनान्तर्गत क्रमशः रू0 9.88, रू0 0.00, रू0 4.34, रू0 2.25, रू0 2.00, रू0 50.00 लाख की धनराशि पौंध सुरक्षा कार्यक्रम हेतु व्यय की गयी। इस मद अन्तर्गत क्रमशः 2000, 0, 13605, 1125, 400, 24965 है0 क्षेत्रफल में कार्यक्रम का संचालन करते हुए कृषकों को लाभान्वित किया गया।

कृषि जोतों का आकार :–

कृषि गणना 2010–11 के अनुसार कुमायूँ मण्डल के जनपदों में भूमि जोतों की संख्या तथा क्षेत्रफल हैक्टेयर में निम्न प्रकार है :–

मण्डल/जनपद	0.5 है0 से कम		0.5 से 1.0 है0		1.0 से 2.0 है0	
	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)
1	2	3	4	5	6	7
पिथौरागढ़	45971	12706.66	24603	16976.05	7881	10669.42
अल्मोड़ा	43532	12887.57	38511	27853.65	22451	30576.95
नैनीताल	21987	6670.77	12247	9804.73	9637	14450.52
ऊधमसिंहनगर	44014	9628.00	20523	14355.96	20213	27664.95
बागेश्वर	34858	8507.46	13998	9426.99	4479	5742.04
चम्पावत	15848	5122.47	11542	8566.41	6517	9381.81
योग मण्डल	**206210**	**55522.93**	**121424**	**86983.79**	**71178**	**98485.69**

जहॉ तक जोतों के आकार का प्रश्न है, पर्वतीय भू–भाग में एक ओर तो जोतें छोटी है दूसरी ओर जोत के अर्न्तगत आने वाले खेत भी छोटे–छोटे व ढालदार हैं।

मण्डल/जनपद	2.0 है0 से 4.0 कम		4.0 से 10.0 है0		10.0 तथा उससे अधिक		कुल जोतों की संख्या	
	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)	संख्या	क्षे0(है0)
	8	9	10	11	12	13	14	15
पिथौरागढ़	1335	3369.67	55	277.48	1	18.25	79846	44017.53
अल्मोड़ा	4570	11578.28	201	1000.16	3	48.31	109268	83944.92
नैनीताल	5069	13774.98	1556	8709.17	167	2484.22	50663	55894.39
ऊधमसिंहनगर	14804	40490.99	6793	37804.70	512	15899.19	106859	145843.79
बागेश्वर	503	1269.69	30	144.27	1	12.44	53869	25102.89
चम्पावत	2113	5803.24	244	1226.13	10	165.89	36274	30265.95
योग मण्डल	**28394**	**76286.85**	**8879**	**49161.91**	**694**	**18628.30**	**436779**	**385069.47**

कृषि गणना वर्ष 2010–11 के अनुसार मण्डल की लगभग 75.01 प्रतिशत जोतों का आकार एक है0 से कम है। लगभग 16.30 प्रतिशत जोतों का आकार एक से दो है0 के बीच, 8.53 प्रतिशत जोतों का आकार दो है0 से दस है0 के बीच तथा 0.16 प्रतिशत जोतों का आकार दस है0 से ऊपर है। मण्डल की भॉति जनपदों में भी जोतों के वितरण की लगभग यही स्थिति है।

उक्त के अलावा एक है0 तक की जोतों के अन्तर्गत क्षेत्रफल मात्र 37.01 प्रतिशत क्षेत्र हैं जबकि 25.57 प्रतिशत क्षेत्र एक से दो है0 क्षेत्रफल वाली जोतों के बीच है, 32.58 प्रतिशत क्षेत्र दो से दस है0 तक की जोतों, एवं शेष 4.84 प्रतिशत दस है0 से अधिक जोतों के अन्तर्गत हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर में प्रदेश के सबसे बड़े निजी कृषि फार्म एवं सार्वजनिक क्षेत्र के फार्म (कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर, सितारगंज जेल, हेमपुर का आर्मी फार्म) स्थित है।

मण्डल में जनपदवार वर्ष 2017–18 में उर्वरक का उपभोग (मै0टन में) निम्नानुसार रहा :–

क्रम संख्या	जनपद का नाम	नाइट्रोजन	फास्फोरस	पोटाश	योग
1	पिथौरागढ़	157.35	71.55	14.87	243.77
2	अल्मोड़ा	209.76	37.45	15.59	262.80
3	नैनीताल	3477.53	1300.09	554.06	5331.68
4	ऊधमसिंह नगर	89459.00	9977.00	3495	102931.00
5	बागेश्वर	257.00	84.00	19	360.00
6	चम्पावत	287.34	84.85	39.576	411.76
योग मण्डल		93847.98	11554.94	4138.10	109541.01

अध्याय – 6

उद्यान

जिला योजना तथा विकास – इस अध्याय के अंतर्गत राज्य निर्माण से अब तक के विभागवार जिला योजनाओं के परिव्यय, अवमुक्त एवं व्यय की स्थिति एवं योजनाओं से प्राप्त प्रमुख–प्रमुख विभागों की भौतिक प्रगति तथा रोजगार सृजन परिसंपत्तियों का निर्माण आजीविका सृजन क्लस्टर आधारित कृषि, उद्यानीकरण, औषधि पादप आदि का उत्पादन, निर्माण कार्यों की स्थिति, सडक पुल, सिंचाई गूल तथा विभागों द्वारा किए गए नव परिवर्तन का विवरण होगा।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग कुमाऊँ मण्डल

क्र0सं0	जनपद का नाम	जिला सैक्टर			राज्य सैक्टर		
		अनुमोदित	अवमुक्त	व्यय	अनुमोदित	अवमुक्त	व्यय
1.	नैनीताल	47.00	33.48	33.48	–	121.5648	121.5648
2.	अल्मोड़ा	70.00	53.93	53.93	–	39.477	39.477
3.	पिथौरागढ़	60.00	42.72	42.26	–	54.69	52.47
4.	उधमसिंह नगर	18.65	18.65	18.65	–	71.03	68.82
5.	बागेश्वर	77.60	60.71	60.709	–	25.85	25.84
6.	चम्पावत	120.00	73.20	73.20	–	25.98	25.98

क्र0सं0	जनपद का नाम	केन्द्रपोषित			वाह्य सहायतित		
		अनुमोदित	अवमुक्त	व्यय	अनुमोदित	अवमुक्त	व्यय
1.	नैनीताल	328.225	242.67	164.675	8.00	8.00	6.00
2.	अल्मोड़ा	90.611	79.787	34.819	–	2.29	2.29
3.	पिथौरागढ़	–	64.05	59.803	–	13.09	0.00
4.	उधमसिंह नगर	161.43	161.43	119.61	4.16	4.16	4.16
5.	बागेश्वर	–	38.90	26.31	–	6.984	4.6165
6.	चम्पावत	72.982	65.822	54.551	18.00	18.00	18.00

उद्यान के अन्तर्गत रोजगार सृजन की स्थिति एवं उद्यानीकरण का पर्यटन के सम्बन्ध में – विभाग द्वारा वर्तमान में उद्यानपतियों के यहॉ स्वरोजगार हेतु उद्यानों की स्थापना की जा रही है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के विभिन्न विकासखण्डो के अन्तर्गत आम, लीची, अमरूद, सेव, खुबानी, आडू एवं प्लम आदि के उद्यान लगाये जा रहे है, जिससे उद्यानपतियों को अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। इसके साथ आलू, शिमला मिर्च, बन्दगाभी, टमाटर, मटर की खेती बहुतायत की जा रही है। इसके साथ–साथ टमाटर की खेती की जा रही है। जिससे लोगो को रोजगार भी प्राप्त हो रहा है, जिससे क्षेत्रीय युवा पुष्प एवं सब्जी उत्पादन करके अच्छी आय प्राप्त कर रहे है। जनपदो में स्थापित उद्यानों का अवलोकन भी जनपदो में पर्यटको द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 11, 16, 10, 06, 02, 03 राजकीय उद्यान/ नर्सरी, क्रमशः 31, 24, 36, 12, 10, 14 उद्यान सचल दल केन्द्र तथा क्रमशः 05, 03, 06, 03, 01, 03 फल संरक्षण केन्द्र हैं। कृषि कार्य आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद न होने के कारण जनपद उद्यान विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। औद्यानिक कार्यक्रम से लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। इन उद्यानों की मुख्य समस्या समीपस्थ विपणन केन्द्रो का न होना है। जिससे उद्यानपतियों/सब्जी उत्पादकों को

अपना उत्पादन बिक्री हेतु काफी दूर ले जाना पड़ता है। मौसमी फलों सब्जियों आदि के उचित भण्डारण की व्यवस्था न होने के कारण उद्यानपतियों को उनके द्वारा उत्पादित सामग्री का उचित मूल्य प्राप्त नही हो पा रहा है। जिस कारण उद्यानपतियों/कृषको को आर्थिक नुकसान के साथ–साथ मौसमी फलो, सब्जियों आदि का नुकसान होता है।

जिला योजना

स्पेशल कम्पोनेंट योजना :– जिला योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास के अन्तर्गत 50% राज सहायता पर 32.96 है0 क्षेत्रफल मे मुख्यतया आम, लीची, आड़ू प्लम व नीबू प्रजाति के फल पौधों का रोपण किया गया है। जिसमें वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 1408, 877, 1232, 247, 529, 123 कृषकों को लाभान्वित किया गया। 60% राज सहायता पर क्रमशः 124.25, 415.25, 308.00, 5.96, 174.29, 50.13 हैक्टेयर क्षेत्रफल में पौध सुरक्षा कार्य कराया गया, जिसमें क्रमशः 297, 171, 1529, 66, 1896, 85 कृषको को लाभान्वित किया गया। 75 प्रतिशत राज सहायता के अन्तर्गत क्रमशः 17.50, 143.50, 82.00, 7.02, 64.42, 13.00 हैक्टेयर क्षेत्रफल में कुरमुला नियंत्रण का कार्य कराया गया। जिसके अन्तर्गत क्रमशः 148, 64, 975, 54, 615, 23 कृषको को लाभान्वित किया गया। पाली हाउस (30X11X9) वर्ग फीट में क्रमशः 0, 0, 15, 21, 59, 0 पाली हाउस निर्माण कराये गये। जिसमें 90% राज सहायता क्रमशः.रू0 0.00, 0.00, 5.38, 10.70, 4.87, 0.00 राज सहायता क्रमशः 0, 0, 15, 21, 59, 0 कृषकों को दी गयी। क्रमशः 0.00, 709.25, 11.00, 190.50, 1.80, 0.00 कुन्टल आलू बीज क्रमशः 0, 141, 19, 226, 46, 0 कृषको में वितरण करवाया गया। फल एसं सब्जी प्रसंस्करण के अन्तर्गत क्रमशः 63.78, 46.21, 25.20, 1.46, 20.65, 96.85 किग्रा0, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण कार्य तथा क्रमशः 233, 52, 246, 05, 13, 87 प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण दिया गया ।

सामान्य योजनाः– योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 1374.00, 999.00, 1532.00, 54.64, 467.95, 26.00 क्टेयर क्षेत्रफल में पौध सुरक्षा कार्य किया गया। जिसमें क्रमशः1671, 470, 7645, 285, 2560, 829 कृषको को लाभान्वित किया गया । क्रमशः282.00, 238.75, 392.00, 33.58, 187.02, 53.00 है0 क्षेत्रफल में 75% राजसहायता में कुरमुला कीट नियंत्रण का कार्य किया गया, जिसके अन्तर्गत क्रमशः 825, 180, 4874, 188, 1170, 508 कृषक लाभान्वित हुये। क्रम 0, 0, 71, 87, 67, 0 पाली हाउस 90% राज सहायता का निर्माण करवाया गया। जिसके अन्तर्गत क्रमशः 0, 0, 71, 87, 67, 0 .कृषकों को लाभान्वित किये गये । सब्जी प्रसंस्करण के अन्तर्गत क्रमश 388.04, 107.95, 379.25, 161.22, 58.81, 108.58 .कुन्तल फल प्रसंस्करण कार्य करवाया गया जिसमें क्रमशः 2951, 1395, 5033, 1181, 1599, 987 .कृषकों लाभान्वित हुवे तथा क्रमश 1482, 182, 1204, 535, 49, 931 .प्रशिक्षार्थियों को फल एवं सब्जी प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया गया है।

राज्य सैक्टरः– राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में कृषको के पूर्व स्थापित उद्यानों को जंगली जानवरों/पालतू जानवरों से सुरक्षा हेतु क्रमश 0.00, 1.50, 3.00, 1.50, 1.00, 0.00 प्रति हैक्टयेर 75% राज सहायता प्रदान की जाती है। क्रमशः0, 2, 4, 5, 1, 0 कृषकों के उद्यानों में क्रमशः.0.00, 1.50, 2.75, 1.50, 1.00, 0.00 हैक्टेयर में एगिल आयरन/वायर की फैन्सीगल लगाकर व्यक्तिगत उद्यानों का घेरबाड़ किया गया है। क्रमशः. 5000, 167, 440, 1350, 0, 3937 उद्यान कार्डो का पंजीकृत किया गया।

उद्यानों का जीर्णोद्धारः–उद्यानों का जीर्णोद्धार के अन्तर्गत 45.00 हैक्टेयर क्षेत्र में पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार कार्य करवाया गया। जिसमें क्रमशः 15, 0, 0, 0, 0, 20 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

ग्रीन हाउस की पालीथीन बदवाल योजनाः– ग्रीन हाउस की पालीथीन बदवाल योजना के अन्तर्गत क्रमशः6000.00, 0.00, 0.00, 3733.00, 2000.00, 0.00 वर्ग मी0 में पुराने पाली हाउसों की पालीथीन का बदलाव कर 31 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

वृहद फल पौध रोपणः–वृहद फल पौध रोपण के अन्तर्गत क्रमशः 22450, 7985, 11835, 0, 5290, 5700 निःशुक्ल फल पौध का रोपण कर क्रमशः 7000, 2350, 11835, 0, 2200, 673 कृषको को लाभन्वित किया गया।

नमसा योजनाः–नमसा योजनान्तर्गत मण्डल में रू0 7.62 लाख धनराशि प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष 15.32 कि0ग्रा0 हाईब्रीड सब्जी बीज बन्दगोभी, टमाटर तथा फ्रैचबीन 50% राज सहायता पर 1674 कृषकों में वितरण किया गया।

हार्टिकल्चर टेक्नोलाजी मिशन (HMNEH) :– एच0एम0एन0ई0एच योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में निम्नानुसार औद्यानिक कार्य करवाये गये।

- **फल पौध क्षेत्रफल विस्तारः–**इस योजना के अन्तर्गत 405.00 है0 क्षेत्रफल में आम, लीची, अमरूद, आडू, सेव, प्लम तथा खुमानी फल पौधो का रोपण किया गया, जिस पर रू0 64.69 लाख धनराशि व्यय कर 996 कृषको को लाभान्वित किया गया।
- **सब्जी क्षेत्रफल विस्तारः–**हाइब्रिड सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना में टमाटर, बन्दगोभी, शिमला मिर्च तथा फूलगोभी हाईब्रीड सब्जी बीज का वितरण कर 251.00 है0 क्षेत्रफल में सब्जी उत्पादन किया गया तथा 2131 कृषको को लाभान्वित किया गया।
- **मसाला क्षेत्रफल विस्तारः–** योजना के अन्तर्गत 182.00 है0 क्षेत्रफल में मसाला मिर्च, अदरख, हल्दी मसाला उत्पादन का कार्य करवाया गया, जिससे 1842 कृषको को लाभान्वित किया गया।
- **पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धारः–** 182.00 है0 क्षेत्रफल में नीबू, आम, तथा आडू एवं सेव के पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार करवाया गया, जिससे 130 कृषक लाभान्वित किये गये।
- **वर्मी कम्पोस्ट पिटः**– वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण योजनान्तर्गत धनराशि प्राप्त न होने से कोई कार्य नहीं किया गया। वर्मी कम्पोस्ट पिट का निर्माण राज्य सैक्टर की योजना से किया गया।

पॉलीहाउस निर्माण– पॉलीहाउस निर्माण योजनान्तर्गत 9281.75 वर्ग मी0 में पॉलीहाउस का निर्माण कर 1436 कृषको को लाभान्वित किय गया है।

मौन पालन – राज्य में शहद उत्पादन तथा परपरागण द्वारा फलो एवं सब्जियों की उत्पादकता बढाने के लिए मौनपालन विकास का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

क्रम सं0	जनपद	मौनपालकों की संख्या	मौन कलौनियों की संख्या	शहद उत्पादन मी0 टन
1	2	3	4	5
1	नैनीताल	650	6008	42.05
2	पिथौरागढ	650	4056	28.39
3	अल्मोडा	370	1271	8.90
4	चम्पावत	300	1734	12.12
5	बागेश्वर	215	645	4.56
6	ऊधमसिंह नगर	24	1040	33.00
	योग	2209	14754	139.04

मशरूम उत्पादन – इस योजना के अन्तर्गत काश्तकारों को 50 प्रतिशत राज्य सहायता पर स्पान (मशरूम बीज) एवं पाश्चुराज्ड कम्पोस्ट वितरित किया जा रहा है साथ ही ग्राम स्तर पर मशरूम उत्पान पैंकिग तथा वितरण सम्बन्धी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल के ज्यौलीकोट तथा भवाली में एक–एक कम्पोस्ट इकाई स्थापित है।

क्र0 सं0	**जनपद**	**वितरित कम्पोस्ट (टन)**	**कृषको की संख्या**	**बटन मशरूम ईकाईया**	**प्रशिक्षणार्थी**
1	नैनीताल	**42.00**	**40**	**40**	**165**
2	पिथौरागढ	**18.50**	**15**	**15**	**38**
3	अल्मोडा	**36.00**	**26**	**26**	**175**
4	चम्पावत	**6.00**	**05**	**05**	**33**
5	बागेश्वर	**2.00**	**02**	**02**	**41**
6	ऊधमसिंह नगर	**16.50**	**13**	**13**	**30**
	योग	**125.00**	**103**	**103**	**482**

फसल/उद्यान बीमा योजना –

क्रम सं0	जनपद	फसलों का बीमा के अन्तर्गत बीमित कृषक			लाभान्वित कृषक		
		2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	नैनीताल	19959	17384	13848	19959	17384	13848
2	पिथौरागढ	0	0	0	0	0	0
3	अल्मोडा	0	0	1910	0	0	1910
4	चम्पावत	5002	3918	3135	5002	3918	3135
5	बागेश्वर	0	2436	2969	0	2436	2969
6	ऊधमसिंह नगर	53	8	18	53	8	18
	योग	25014	23746	21880	25014	23746	21880

मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना :– इस योजना के अन्तर्गत कुमायूँ मण्डल में 105 कृषकों को 9023 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के 105 पॉलीहाउस निर्मित किये गये जिसमें कृषकों को 30 प्रतिशत राजसहायता का भुगतान किया गया तथा 50प्रतिशत राजसहायता का भुगतान एच0एम0एन0इ0एच0 योजना से किया गया।

आतमा परियोजना :– वर्ष 2017–18 में आत्मायोजनार्न्तगत मण्डल को 5.2801 धनराशि प्राप्त व्यय की गई जिसे कृषकों को जनपद एवं जनपद से बाहर भ्रमण कराया गया । भ्रमण पर 2.654 लाख धनराशि व्यय की गई । जिसके सापेक्ष 246 कृषक लाभान्वित हुये तथा सब्जी प्रदर्शन मद में रू0 2.6261 लाख व्यय धनराशि के सापेक्ष 8.536 कि0ग्रा0 हाइब्रीड सब्जी बीज का वितरण कर 145 कृषको को लाभान्वित किया गया।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में प्राप्त रू0 28.52 लाख धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत राज सहायता पर 544.00 कु0 आलू बीज क्रयकर कृषकों को वितरित किया गया तथा 4.495 कु0 सब्जी बीज मटर, फ्रासबीन आदि वितरित कर 10102 कृषको को लाभान्वित किया।

उन्नत किस्म की रोपण सामग्री हेतु पौधालय प्रक्षेत्रों का विकास– इस योजना के अर्न्तगत जनपदो में औद्यानिक विकास को गति प्रदान करने हेतु संचालित विभिन्न राजसहायता की योजनाएं सम्मिलित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष हेतु रू0 117.96 लाख धनराशि व्यय की गई। योजनावार वर्ष 2017–18 के किये गये व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

फल पौध, सब्जी बीज एवं पौध, आलू बीज वितरण एवं परिवहन पर राज सहायता :– इस योजना का उद्देश्य सभी उद्यानपतियों को फल पौध, सब्जी बीज व पौध रसायनिक दवायें/औजार एक ही दर पर उपलब्ध कराना है। अतः उक्त इनपुटस् को उद्यान सचल दल केन्द्रों/विकास खण्ड़ स्तर तक पहुंचाने हेतु ढुलान पर शत–प्रतिशत राज सहायता दी जाती है, जिस हेतु रू0 42.41 लाख व्यय किया गया है।

औद्यानिक फसलों पर कीट व्याधि की रोकथाम :–इस योजनान्तर्गत जनपद के फल/सब्जी उत्पादकों को उनकी फसलों को कीट–व्याधि से बचाने हेतु 60 प्रतिशत राज सहायता पर कीट–व्याधि रसायन कृषकों की मांगानुसार निकटतम उद्यान सचल दल केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं,जिस हेतु वर्ष 2017–18 में रू0 31.874 लाख व्यय किया गया। इस योजना के अर्न्तगत जनपद के विकासखण्ड रामनगर, हल्द्वानी, कोटाबाग हेतु आम फसल को मैंगोसूटगाल से बचाने हेतु 50 प्रतिशत राजसहायता पर कीट/व्याधिनाशक रसायन उपलब्ध कराये जाते हैं।

औद्यानिक औजार संयंत्रों पर राज सहायता :– इस योजनान्तर्गत औद्यानिक कार्यो जैसे कटाई, छटाई एवं कीट व्याधि के छिडकाव आदि कार्यो हेतु कृषकों को उन्नत किस्म के औद्यानिक औजार/संयंत्र 50 प्रतिशत राज सहायता पर उपलब्ध कराये जाते हैं। कृषक अपने उद्यानों में आवश्यक कटाई, छटाई का कार्य सुगमतापूर्वक कर सकेगें। इस वर्ष रू0 10.634 लाख व्यय किया गया, जिससे 2193 कृषको को लाभान्वित किया गया।

कुरमुला कीट के विरुद्ध अम्लीय भूमि सुधार :– जनपद के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खण्ड़ों में कुरमुला कीट बहुतायत मे पाया जाता है। जिस कारण कृषकों की आलू एवं सब्जियों की फसल क्षतिग्रस्त हो जाती है। अतः आलू/सब्जी फसल को कुरमुला कीट के नुकसान से बचाने के लियें कीटनाशक

रसायन 60 प्रतिशत राज सहायता पर उपलब्ध कराये जाते हैं जिस हेतु रू0 14.128 लाख व्यय किया गया।

50 प्रतिशत राज सहायता पर हल्दी, अदरक, ग्लेडियालाई बल्ब, सब्जी बीजों का वितरण जनपद के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खण्ड़ों में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सब्जी बीजों पर रू0 10.268 लाख व्यय किया गया। चयनित क्षेत्रो में विभिन्न फल पट्टियों का समुचित विकास (वर्षाकालीन/शीतकालीन) के अन्तर्गत फल पट्टियों का विकास किया गया, जिस पर रू0 8.6438 लाख व्यय किया गया है। कुल 268 कृषको को इसके अन्तर्गत लाभान्वित किया गया।

फल /सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना– इस योजनान्तर्गत 2 योजनाएं सम्मिलित की गई है जिसके अन्तर्गत कुल रू0 126.66 लाख व्यय किया गया।

फलों की पैकिंग में कोरोगेटेड बक्सों का प्रोत्साहन :– जनपदो में उत्पादित किये जा रहे फलो के विपणन हेतु देश–प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में भेजा जाता है। वर्तमान में फलों की पैकिंग हेतु लकड़ी के बक्सों का प्रयोग हो रहा है चूंकि लकड़ी की उपलब्धता बहुत कम हो गई है। अतः लकड़ी के बक्सों के स्थान पर कोरोगेटेड बक्से उपलब्ध कराये गये। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत रू0 13.871 लाख व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त उत्पादन स्तर से (फील्ड से) गोदाम तक फलो/सब्जियों को सुरक्षित लाने हेतु 50 प्रतिशत राजसहायता पर प्लास्टिक क्रेट्स क्रय कर उपलब्ध कराये गये, जिससे 4157 कृषको को लाभान्वित किया गया।

फल एवं सब्जियों के प्रसंस्करण में प्रशिक्षण :– कृषकों /उद्यापतियों को फल सब्जियों के प्रसंस्करण पर विभागीय फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा सात दिवसीय रू0 350/– प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से प्रशिक्षण का प्राविधान है। आलोच्य वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत रू0 3.50 लाख व्यय किया गया, जिससे 250 कृष्को को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रदेश के अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्रों मे औद्यानिक विकास – योजनान्तर्गत अनु0जाति/जनजाति के कृषको को औद्यानिक फसलों को व्यवसायिक रुप प्रदान करने के लिए औद्यानिक फसलों पर 50 प्रतिषत अनुदान दिया जाता है। आलोच्य वर्ष में आलू विकास पर 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 20000/–प्रति हैक्टर की दर से राज सहायता दी गयी, जिस पर रू0 10.41 लाख व्यय किया गया, इससे 303 कृषक लाभान्वित हुए।

विगत पॉच वर्षो में निर्मित पॉलीहाउसो का जीर्णोद्धार – इस योजना के अन्तर्गत जनपद में विगत पॉच वर्षो में निर्मित पॉलीहाउसो, जिनकी पॉलीसीट फट चुकी है, का जीर्णोद्धार किया जा रहा हैं। इस योजना में रू0 1.569 लाख धनराशि व्यय कर 26 कृषको को लाभान्वित किया गया।

कीटव्याधि की रोकथाम पर 50%की राजसहायता :– जनपद में औद्यानिक फसलों जैसे फलों, सब्जियों, आलू, व मशाला फसलों के उत्पादन में लगने वाले कीड़ो व बीमारियों से फसल को बचाने हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 60% राजसहायता पर सभी प्रकार के कीट/व्याधिनाशक रसायन उपलब्ध कराये जाते हैं, जिससे कृषकों की फसलों को कीटों से होने वाली क्षति को बचाते हुए अधिक आर्थिक आय अर्जित की जा सकें।

कुरमुला कीट नियन्त्रण पर 60%राजसहायता :– कुरमुला कीट जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में औद्यानिक फसलों जैसे सब्जी, आलू, अदरक व फलदार पेड़ों को जमीन के अन्दर रहकर विशेष रूप से हानि पहॅुचाता हैं इसकी रोकथाम न होने की स्थिति में फसल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं। कुरमुला कीट

का यदि नियन्त्रण न किया गया तो ये आगे बोयी जाने वाली फसलों को भी क्षति पहुॅचाता हैं। जिसके नियन्त्रण हेतु विभाग द्वारा 60% राजसहायता पर कृषकों को कीटनाशक रसायन उपलब्ध कराये जाते हैं, जिससे कृषकों को निश्चित रूप से काफी लाभ हो रहा हैं। कुरमुला कीट नियन्त्रण होने से सब्जी उत्पादन का कार्य काफी अच्छी प्रगति में हैं।

औद्यानिक औजार वितरण पर 50%राजसहायता :– औद्यानिक फसलों के उत्पादन में काम आने वाले सभी प्रकार के औजार व संयन्त्रों जैसे स्प्रे मशीन, स्केटियर, आरी, बडिंग ग्राफ्टिंग चाकू आदि संयंत्र 50%राजसहायता पर कृषकों को जनपद में स्थित उद्यान सचल दल केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाते हैं। जनपद में औद्यानिक कार्यो की गुणात्मक प्रगति के कारण औद्यानिक औजार/संयंत्रों की मॉग प्रतिवर्ष बढ़ रही हैं। वर्ष 2017–18 में 382 औद्यानिक औजारों वितरण कर योजनान्तर्गत 327 कृषकों को लाभान्वित किया गया हैं।

1. **औद्यानिक फसलों के व्यवर्तनीकरण पर 50% राजसहायता** :– इस योजना के अन्तर्गत हल्दी एवं अदरक बीज 50% राजसहायता पर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 1.77 कु0 अदरक बीज व उन्नत किस्म की 155.35 कु0 हल्दी बीज का वितरण कृषकों में किया गया, जिसमें 641 एवं 346 कृषको को लाभान्वित किया गया।

2. **चयनित क्षेत्रो में विभिन्न फल पट्टी का समुचित विकास** :– इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 में 4.10 है0 क्षेत्रफल में आम, लीची, अमरूद एवं नीबू प्रजाति पौधो का रोपण किया गया हैं।

अध्याय – 7

रेशम

रेशम उद्योग कृषि पर आधारित एक सहायक उद्योग है। कृषि से सम्बन्धित समस्त उद्योगों में रेशम उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तराखण्ड राज्य में 90 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र व 10 प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है ऐसे में रेशम उद्योग राज्य में अल्प पूंजी निवेष से अधिक आय सर्जन का साधन है, जो समस्त आयु एवं आय वर्ग के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराता है। उत्तराखण्ड राज्यके दूरस्थ, पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने के साथ–साथ संवेदनशील पर्यावरण के संरक्षण व सम्वर्धन हेतु रेशम उद्योग काफी सहायक सिद्ध हो रहा है। उत्तराखण्ड राज्य के कुमायूँ मण्डल में रेशम उत्पादन हेतु अनुकूल वातावरण है, जिसके कारण यहॉ सभी प्रकार के रेशम जैसे– शहतूती, टसर, मूंगा एवं एरी रेशम पैदावार की अपार सम्भावनायें है।

रेशम उद्योग की स्थापना करने में कृषक के स्तर पर बहुत ही न्यून धनराशि लगती है। वास्तव में कृषक की मेहनत ही मुख्य रूप से इस उद्योग को चलाती है एवं यह उद्योग किसी भी सीमा तक कृषक द्वारा बढ़ाया जा सकता है जिसके फलस्वरूप उसकी आमदनी की भी उसी अनुपात में बढ़ोत्तरी सम्भव है।

वर्तमान में कुमायू मण्डल में, चम्पावत जनपद को छोड़कर शेष सभी जनपदों में रेशम उद्योग की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। रेशम उद्योग को अपनाने वाले कृषक अतिरिक्त आमदनी रेशम उद्योग से प्राप्त कर रहे हैं। कुमायूँ मण्डल के आच्छादित जनपदों के कुछ विकास खण्डों में रेशम उद्योग को बड़े पैमाने पर कृषकों द्वारा स्वीकार किया गया है, उदाहरणार्थ जनपद नैनीताल के कोटाबाग एवं रामनगर विकास खण्ड जनपद उधमसिंह नगर के गदरपुर, जसपुर, बाजपुर विकास खण्डों में शहतूती रेशम कार्य का काफी विकास हुआ है। कुमायूँ मण्डल के पर्वतीय जनपदों बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में ओक तसर एवं मूंगा रेशम के लिये वृहद परियोजना वर्तमान में स्वीकृत हुयी है, जिसके माध्यम से पर्वतीय जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले कृषकों को रेशम उत्पादन के माध्यम से स्थानीय रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है जिससे न सिर्फ उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि पलायन रोकने में भी कारगर है।

कुमायूँ मण्डल के विभिन्न जनपदों में वर्ष 2017–18 में रेशम विभाग की निम्नानुसार योजनायें संचालित की गयी।

1. **जिला योजना–** वर्ष 2017–18 में कूमायु मण्डल के विभिन्न जनपदों हेतु (जनपद चम्पावत को छोड़कर) जिला योजना के अन्तर्गत 63.84 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी, जिसका पूर्ण व्यय कर लिया गया है, इससे जनपदों में स्थापित कुल 23 राजकीय शहतूत उद्यानों का रख–रखाव, रेशम कीटपालकों के लिये सामग्री, औषधियों, विशुद्धिकारकों का क्रय किया जाता है। इससे ग्रामीणों को उनके आवास के निकट रोजगार प्राप्त होता है।
2. **राज्य सैक्टर योजना–** वर्ष 2017–18 में कूमायु मण्डल के विभिन्न जनपदों हेतु (जनपद चम्पावत को छोड़कर) राज्य सैक्टर योजना के अन्तर्गत 16.10 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी, जिसके अन्तर्गत कुमायू मण्डल के विभिन्न जनपदों में वृक्षारोपण कार्य, जैविक रेशम विकास सम्बन्धी कार्य, कृषकों को विभिन्न तकनीकी विषयों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्य तथा वान्या रेशम जैसे एरी, मूंगा, टसर आदि के प्रसार हेतु कार्यों का सम्पादन किया गया।

3. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना**– आर.के.वी.वाई. योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में चाकी कीटपालन हेतु एक चाकी रेशम केन्द्र की स्थापना हेतु 10.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी, जिसके अन्तर्गत 5000 डीएफल्स क्षमता का चाकी कीटपालन किया जायेगा।

4. **अनुसूचित जाति उप नियोजन योजना** :– जनपद नैनीताल में वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जाति उप नियोजन योजना के अन्तर्गत कुल 113 कृषकों को चयनित कर उनकी भूमि पर शहतूत वृक्षारोपण सम्पन्न कराया गया, जिसमें प्रति कृषक 300 शहतूत पौध उपलब्ध करायी गयी। योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में लाभान्वित कुल 113 कृषकों हेतु प्राविधानित 189.88 लाख की धनराशि के सापेक्ष 109.33124 लाख की धनराशि का व्यय कर लिया गया है।

5. **अनुसूचित जनजाति उप नियोजन योजना** :– जनपद उधमसिंह नगर में अनुसूचित जन जाति उप नियोजन योजना के तहत संघन बाईवोल्टाइन रेशम विकास परियान्तर्गत वर्ष 2017–18 में 365 अनुसूचित जनपजाति कृषकों का चयन कर माहत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी (मनरेगा) योजनान्तर्गत प्रति कृषक 300 शहतूत पौध की दर से कुल 109500 पौधों का रोपण किया गया।

रेशम उद्योग की उपरोक्त सभी योजनाये समाज के निर्धनतम् व्यक्ति से सीधी जुड़ी हुई है और उन्हें रोजगार के अतिरिक्त, आमदनी उपलब्ध कराती है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से इस उद्योग के प्रति कृषकों का रूझान बढ़ा है। जिससे कुमायूँ मण्डल में रेशम उद्योग के क्रियाकलापों में गति आयी है।

वर्ष 2017–18 **धनराशि (लाख रू0)**

जनपद का नाम	जिला सैक्टर			राज्य सैक्टर			केन्द्रपोषित कैटेलिटिक योजना		
	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अल्मोड़ा	25	15.79	15.79	1.95	1.95	0.35	0	0	0
बागेश्वर	18	11.82	11.82	1.12	1.12	1.03	0	0	0
नैनीताल	15	13.88	13.88	4.36	4.36	4.36	189.88	189.88	109.331
उधमसिंह नगर	15.2	15.2	15.2	5.54	5.54	5.54	0	0	0
पिथौरागढ़	10	7.15	7.15	3.13	3.13	2.17	0	0	0
योग	**83.2**	**63.84**	**63.84**	**16.1**	**16.1**	**13.45**	**189.88**	**189.88**	**109.331**

अध्याय – 8

सहकारिता

कुमाऊॅ मण्डल में 321 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां, 17 क्रय–विक्रय सहकारी समितियां, 206 श्रम संविदा सहकारी समितियां, 53 उपभोक्ता सहकारी समितियां, 04 केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार, 64 वेतनभोगी सहकारी समितियां, 04 जिला सहकारी बैंक एवं 119 सहकारी बैंक की शाखाऐं, 11 अरबन कोआपरेटिव बैंक की शाखाऐं तथा 618 स्वायत्त सहकारिताएं ऋण एवं कृषि वानिकी क्षेत्र में सुविधायें प्रदान करने हेतु संचालित हैं। कुमाऊॅ मण्डल की सहकारी समितियां अपने कृषक सदस्यों/गैर कृषक सदस्यों को विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण, उर्वरक वितरण, उपभोक्ता व्यवसाय के साथ–साथबैंकिंग सुविधा 341ग्रामीण बचत केन्द्र/विस्तार पटलों के माध्यम से कुमाऊॅ मण्डल के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवायें उपलब्ध करा रही हैं।

विभाग द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से कुमाऊॅ मण्डल में संचालित किये जा रहे मुख्य कार्यक्रम अल्पकालीन ऋण वितरण, मध्यकालीन ऋण वितरण, दीर्घकालीन ऋण वितरण, नये सदस्यों के प्रवेश से सहकारिता का आच्छादन, उपभोक्ता व्यवसाय, उर्वरक व्यवसाय, कृषि निवेशों एवं कृषि रक्षा रसायनों की आपूर्ति सम्बन्धी व्यवसाय, सहकारी देयों की वसूली, किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण, महिला समूहों का गठन, विविध प्रयोजनों हेतु बैंक द्वारा ऋण वितरण, एकीकृत सहकारी विकास परियोजना द्वारा सहकारी समितियों में ग्रामीण गोदामों कानिर्माण, प्रारम्भिक सहकारी समितियों को स्वाश्रयी बनाने हेतु कार्य योजना, जिला योजना द्वारा सहकारी समितियों के बुनियादी ढॉचे को मजबूत करने हेतु साज–सज्जा एवं प्रबन्धकीय व्यय की सहायता, सहकारी समितियों के जर्जर भवनों/गोदामों आदि के निर्माण हेतु शत–प्रतिशत अनुदान सहायता आदि है।

साधन सहकारी समितियां सदस्यता वृद्वि :– कुमाऊॅ मण्डल में स्थापित सहकारी समितियां अपने सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके आर्थिक उन्नयन के लिए ऋण सुविधा प्रदान कर रही हैं। न्याय पंचायत स्तर पर गठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती हैं। क्षेत्र में निवास करने वाला कोई भी व्यक्ति जो विधि के अनुसार संविदाकरने योग्य है समिति का सदस्य बन सकता है। वर्ष 2017–18 में **कुमाऊॅ मण्डल** में 16596 सदस्यों ने सहकारी समितियों की सदस्यताग्रहण की जिसमें से 4764 सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं। मण्डल में 31 मार्च 2018 को सहकारी समितियों में कुल सदस्य संख्या 399280 है।

अंशधन में वृद्वि :– कुमाऊॅ मण्डल की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां अपने सदस्यों को कृषि ऋण, मध्यकालीन ऋण, व्यावसायिक ऋण प्रदत्त कराती हैं। समितियां सदस्यों को उनके द्वारा धारित अंश के 20 गुना तक ऋण देने की सुविधा प्रदान करती हैं। कुमाऊॅ मण्डल कोविभाग द्वारा निर्धारित किये गये मु0 752.00 लाख रू0 लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2017–18 में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा 392.27 लाख रू0 अंशधन जमा किया गया है।

ग्रामीण बचत केन्द्र :– सहकारी समितियों द्वारा अपने सदस्यों में बचत की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण बचत केन्द्रों की स्थापना की गई है। **कुमाऊॅ मण्डल**में वर्तमान में ग्रामीण बचत केन्द्र/विस्तार पटलों की संख्या 341 है।वर्ष 2017–18 में ग्रामीण बचत केन्द्रों में 178866 खाताधारकों द्वारा कुल 24410.32 लाख रू0 बचत खातों एवं सावधि खातों में जमा है। समितियों द्वारा ग्रामीण बचत केन्द्रों में जमा धनराशि का विनियोजन जिला सहकारी बैंकों में सावधि एवं बचत खातों में किया जा रहा है। सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार समय–समय पर ग्रामीण बचत केन्द्रों से धनराशि आहरित करते रहते हैं।

फसली अल्पकालीन ऋण वितरण योजना :– कुमाऊॅ मण्डल में स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां अपने कृषक सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालीन ऋण वितरण करती हैं। वर्ष 2017–18 में विभाग द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्य मु0 82180.00 लाख रू0 के सापेक्ष 113607 कृषकों को मु0 68241.00 लाख रू0 अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया गया। **कृषकों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा** पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना का अक्टूबर–2018 में शुभारम्भ किया गया है। रबी/खरीफ फसलों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा कृषक सदस्यों को समितियां जिला सहकारी बैंक की शाखाओं से आवश्यकतानुसार अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करा रही हैं। इस

योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियां अपने लघु एवं सीमान्त बी0पी0एल0 कृषक सदस्यों को मु0 1.00 लाख रू0 तक का ऋण 2.00 प्रतिशत की ब्याज की दर पर कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत कृषक सदस्यों को समितियों के द्वारा वर्ष 2017–18 43907 कृषक सदस्यों को मु0 17287.26 लाख रू0 अल्पकालीन ऋण वितरण कर वित्त पोषित किया गया है।

मध्यकालीन ऋण वितरण योजना :– प्रदेश सरकार द्वारा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के कृषक सदस्यों एवं गैर कृषक सदस्यों के लिए एक महत्वाकांक्षी पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना का अक्टूबर–2018 में शुभारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत सहकारी समितियां द्वारा अपने लघु एवं सीमान्त बी0पी0एल0 गैर सदस्यों को मु0 1.00 लाख रू0 तक का ऋण 2.00 प्रतिशत की ब्याज की दर परविभिन्न योजनाओं में रोजगार परक एवं कृषियेत्तर कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत लाभान्वित सदस्यों की आय में वृद्वि होगी जिससे उनका आर्थिक उत्थान होगा। समितियों के द्वारा वर्ष 2017–18 में मु0 3000.00 लाख रू0 लक्ष्य के सापेक्ष 2717 सदस्यों को मु0 1777.13 लाख रू0 मध्यकालीन ऋण वितरण कर वित्त पोषित किया गया है।

उर्वरक वितरण योजना :– कुमाऊॅ मण्डल में स्थापित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्वि लाने के उद्देश्य से रासायनिक उर्वरकों के वितरण का कार्य कर रही हैं। समिति कृषक सदस्यों को उनकी मांग के अनुसार उत्तराखण्ड सहकारी संघ के माध्यम से इफकों के उर्वरकों की आपूर्ति करती हैं। वर्ष 2017–18 के दौरान कुमाऊॅ मण्डल की समितियों द्वारा कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उपज हेतु कुल 58202.587 मैट्रिक टन यूरिया, 4835.438 मैट्रिक टन डी0ए0पी0, 20650.888 मैट्रिक टन एन0पी0के0 तथा अन्य प्रकार की उर्वरक एवं रासायन का वितरण कर महत्वपूर्ण योगदान किया है।

उपभोक्ता व्यवसाय :– कुमाऊॅ मण्डल की सहकारी समितियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में किया जा रहा है। वर्तमान में खुली बाजार व्यवस्था और प्रतिस्पर्धा के कारण समितियों के इस व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा है तथा उपभोक्ता व्यवसाय बहुत कम हो गया है जिससे समितियां अपने विक्रेताओं के वेतन के भार का वहन भी नहीं कर पा रही हैं फलस्वरूप समितियों को यह व्यवसाय बन्द करना पड़ रहा है। वर्ष 2017–18 के दौरान कुमाऊॅ मण्डल की समितियों द्वारा मु0 7964.32 लाख रू0का उपभोक्ता व्यवसाय किया गया।

सहकारी ऋण वसूली :– सहकारिता क्षेत्र में ऋण वसूली एक महतवपूर्ण कार्य हैं। सहकारी समितियॉ जिला सहकारी बैंको से ऋण प्राप्त कर अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करती हैं जिसकी समय से वसूली न होने पर ऋण वितरण पर भी विपरीत प्रभाव पडता हैं। इसलिए समितियॉ अपने सदस्यों को वितरीत किये गये ऋणों की वसूली पर विशेष ध्यान देती हैं। इस कार्य में सहकारिता विभाग, जिला सहकारी बैंक व राजस्व, संग्रह विभाग समितियों की सहायता करते हैं।सदस्य को यह सुविधा प्राप्त है कि वह अपना ऋण समिति व बैंक जहां उसे सुविधा हो जमा कर सकता है, परन्तु वरीयता के रूप में समिति में ऋण वसूली की धनराशि जमा करनी चाहिए क्योंकि त्रुटि की आशंका नहीं रहती है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुमाऊं मण्डल की समिति/सदस्य के मध्ये कुल मांग मु0 73626.92 लाख रू0 के सापेक्ष मु0 43710.03 की वसूली की गई है जो कुल मांग के सापेक्ष मु0 57.50 प्रतिशत है। शेष बकाया की वसूली सहकारी वर्ष (30 जून) के अन्त तक लगभग 80 प्रतिशत कर ली जाती है।

वेतनभोगी सहकारी समितियां :– कुमाऊॅ मण्डल में 64 कर्मचारी वेतनभोगी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। वेतनभोगी सहकारी समितियां अपने कर्मचारी सदस्यों को मूलवेतन का 24 गुना अधिकतम 10.00 लाख रू0 तक का ऋण पांच वर्ष की अवधि का उनके नियोजकों की संस्तुति के आधार पर ऋण वितरण कर रही है। कर्मचारी सदस्यों को वितरित ऋण की वसूली उनके वेतन से मासिक कटौती द्वारा की जाती है।

स्वायत्त सहकारितायें – उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष वर्ष 2003 में उत्तरांचल स्वायत्त सहकारिता अधिनियम लागू किया गया इस अधिनियम के अन्तर्गत कठित की गयी स्वायत्त सहकारिताओं को कार्य करने की पूरी स्वायत्ता प्राप्त है। स्वायत्त सहकारितायें अपना प्रबन्ध सवयं करती है इस अधिनियम के अन्तर्गत कुमाऊॅ मण्डल के समस्त जनपदों में 618 स्वायत्त सहकारितायें गठित हैं।

जिला योजना :– कुमाऊॅ मण्डल के पर्वतीय जनपदों में कार्यरत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में कार्यरत कैडर सचिवों के वेतन आहरण के प्राविधान के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के ऋणी सदस्यों को राहत हेतु ब्याज पर 3 प्रतिशत तथा उनकी बॉरोइंग पावर में वृद्वि हेतु

निर्धारित सीमा तक अंश क्रय हेतु जिला योजना में प्राविधान किया जाता है। जिला योजना में सहकारी समितियों के भवन, गोदाम निर्माण, मरम्मत, भंडारण क्षमता में वृद्वि हेतु सहकारी क्रय–विक्रय योजना के अन्तर्गत प्राविधान कर सहकारी समितियों को लाभान्वित किया जाता है। वर्ष 2017–18 में जनपदों की कुल जिला योजना मु0 343.68 लाख रू0 का प्राविधान किया गया था जिसके विरूद्व शासन द्वारा मु0 264.69 लाख रू0 की धनराशि स्वीकृत की गई थी। समस्त स्वीकृत धनराशि का कुमाऊॅ मण्डल के जनपदों के द्वारा आहरित कर समितियों की कार्ययोजना के अनुसार धनराशि उपलब्ध करा दी गई है।

वर्तमान में मण्डल के जनपद चम्पावत एवं बागेश्वर में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना संचालित है, इस योजना के अन्तर्गत समितियों को विकसित करने के लिए इन्फ्रॉस्टकचर, समितियों के ग्रामीण बचत केन्द्रों के आधुनिकीकरण कर बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने, समिति के भवनों/ग्रामीण गोदाम निमार्ण आदि कार्य कराये गये जो निम्न प्रकार है –

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना :– कुमाऊॅ मण्डल के जनपद चम्पावत व बागेश्वर को छोड़कर अन्य जनपदों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना पूर्ण हो चुकी है।

1–जनपद चम्पावत : सहकारिता आन्दोलन के विकास में एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में कुमाऊॅ मण्डल के समस्त जनपदों में संचालित कर सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान की गई है तथा सहकारी समितियों के चहुमुखी विकास हेतु परियोजनान्तर्गत बहुउद्देषीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को गोदरेज डिफेंडर सेफ, डिपोजिट काउंटर एवं फर्नीचर, कम्प्यूटरीकृत करने के साथ–साथ सहकारी समितियों में चाहरदीवारी निर्माण, गोदाम निर्माण/मरम्मत आदि कार्य हेतु वित्तीय सुविधा अनुदान, मार्जिन मनी, ऋण के रूप में प्रदान कर विकसित किया गया है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है।

गोदरेज डिफेंडर सेफ :– जनपद चम्पावत की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लि0 चौडामेहता, टनकपुर, कोटअमोड़ी, रेगड़ूवल्सों, बाराकोट, गोशनी, सिप्टी, हरतोला, धूरा, रौलमेल, देवीधूरा, इन्द्रपुरी, चम्पावत एवं बाजगॉव कुल 14 समितियों को एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के द्वारा सहकारी समितियों को गोदरेज डिफेंडर सेफ उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे अब समितियों के ग्रामीण बचत केन्द्रों की जमा पूंजी व ऋण की वसूली करने के पश्चात धन को तुरन्त सुरक्षा की दृष्टि से जिला सहकारी बैंक में जमा करवाने की समस्या का समाधान हो गया है। पर्वतीय जनपदों के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं उनके द्वारा ऋण वसूली की धनराशि प्रतिदिन बैंक में जमा करवा पाना सम्भव नहीं था। सेफ मिल जाने से यह समस्या हल हो गई है।

डिपोजिट काउण्टर एवं फर्नीचर :– एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत जनपद में कार्यरत बहुउद्देशीय सहकारी कृषि ऋण सहकारी समितियां दूबड़, चौड़ामेहता, कोट अमोड़ी, रेगड़ूबल्सों, बाराकोट, दिगालीचौड़, चानमारी, खतेड़ा, डुमडाई, सीमियां, धुरा, हरतोला, मंच, सिप्टी, रौलमेल, गोशनी, देवीधुरा, धरमघर, इन्द्रपुरी, चम्पावत, तामली, चौड़ामेहता एवं बाजगांव कुल 23 समितियों में डिपोजिट काउंटर एवं फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है, जिससे समितियां आधुनिक रूप से सुसज्जित एवं आकृषक हुई हैं। कुमाऊ मण्डल के समस्त जनपदों की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए डिपोजिट काउण्टर एवं फर्नीचर हेतु वित्त पोषित कर सुसज्जित, आकृषण एवं आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है। उपर्युक्त सुविधा प्रदान कर आर्थिक प्रतियोगी बाजार में सहकारी समितियां सहकारिता को विकास की गति प्रदान करेंगी।

कम्प्यूटराईजेशन :– जनपद चम्पावत कीबहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति लि0, चम्पावत, टनकपुर, बाराकोट, चानमारी, चौड़ामेहता, गोशनी, सिप्टी, कोटअमोड़ी, खतेड़ा, डुमडाई, दिगालीचौड़, देवीधुरा, हरतोला, मंच, धुरा, रेगड़ूबल्सों, बाजगांव, एवं रौलमेल कुल 18 समितियों को कम्प्यूटरीकृत हेतु वित्त पोषित किया गया है। कम्प्यूटरीकृत हो जाने से पुरानी कार्य प्रणाली की जटिलता समाप्त हो गई है तथा सहकारी समितियां अपना बैंकिंग कार्य सरलतम विधि से सुगमतापूर्वक सम्पादित कर रही हैं।

मरम्मत एवं चाहरदीवारी निर्माण कार्य :– योजनान्तर्गत जनपद चम्पावत की 10 सहकारी समितियों में बृहत मरम्मत कार्य, 13 समितियों में सूक्ष्म मरम्मत कार्य एवं 10 समितियों में चाहरदीवारी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे समिति की सम्पत्तियां सुरक्षित हुई हैं। इस प्रकार सहकारिता विभाग द्वारा संचालित

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में सहकारी समितियों का कायाकल्प कर उन्हें एक सक्षम आर्थिक इकाई के रूप में विकसित किया है।

फल/शाक/मशाला उत्पादन एवं विपणन :– कुमाऊँ मण्डल के जनपद चम्पावत के विकास खण्ड लोहाघाट के फल एवं मशाला व्यवसाय करने वाले व्यक्ति जो कि स्थानीय फल व मषालों का क्रय–विक्रय सीमित क्षेत्र तक ही कर रहे थे, के द्वारा जनपद चम्पावत में संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना सेमु0 16.00 लाख रू0 की वित्तीय सहायता से शीतला फल संरक्षण उद्योग सहकारी समिति लि0, लोहाघाट का गठन किया गया जिसकी निबन्धन संख्या 26/दिनांक 03.04.2014 है। वर्तमान समय में यह सहकारी समिति स्थानीय स्तर पर उत्पादित होने वाले फल एवं मशाले जैसे कि माल्टा, सन्तरा, सेब, बुरांस, नीबू, आम, ऑवला, व मिर्च, हल्दी आदि का प्रत्यक्ष विक्रय करने के साथ ही साथ फल एवं मशालों से प्राप्त होने वाले अन्य उत्पादों जैम, जूस, चटनी, अचार, आदि द्वारा अपने व्यवसाय के क्षेत्र का विकास किया है। जनपद चम्पावत के धुरा क्षेत्र में अदरख का अधिक उत्पादन किया जाता है वहां पर अदरख उत्पादन सहकारी समितियों का गठन कर सहकारिता आन्दोलन को गति प्रदान की जा रही है।

शहद प्रोसेसिंग इकाई :– परियोजना द्वारा जनपद चम्पावत की धुरा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियोंमें मौन पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने हेतु मु0 03.25 लाख की धनराशि समितियों को मौन पालन व्यवसाय से सम्बन्धित शहद प्रोसेसिंगइकाई हेतु प्रदान की गयी है। समिति द्वारा मौन पालन में प्रशिक्षत समिति सदस्यों एवं काश्तकारों से शहद खरीद कर उसको उच्च तकनीक एवं पैकिंग से बाजार में उचित मूल्य पर विक्रय किया जा रहा है।

जिला सहकारी बैंक लि0 :– परियोजना द्वारा जनपद चम्पावत में चम्पावत जिला सहकारी बैंक लि0, चम्पावत के भवन निर्माण हेतु पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक लि0, पिथौरागढ़ को मु0 100.00 लाख रू0, कम्प्यूटराइजेशन व फर्नीचर फिक्चर्स मु0 40.00 लाख रू0 एवं अंशपूंजी हेतु मु0 20.00 लाख रू0 कुल मु0 160.00 लाख रू0 की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

2–जनपद बागेश्वर : एकीकृत सहकारी विकास परियोजना बागेश्वर वित्तीय वर्ष 2012–13 में पी0आई0टी0 (परियोजना क्रियान्वयन दल) के गठन के पश्चात 01 नवम्बर 2012 को प्रारम्भ हुई। परियोजना का मुख्य उददेश्य जनपद के सभी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए समितियों को उनकी आवश्यकतानुसार आर्थिक व भैतिक सहायता उपलब्ध कराकर स्वाश्रयी बनाना है एवं सहकारिता आंदोलन को गति प्रदान करना है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिये चार वर्षो में कुल प्राविधानित बजट मु0 618.10 लाख रू0 है जिसमें 200.88 लाख रू0 ऋण, मु0 241.22 लाख रू0 मार्जिन मनी/अंशपूंजी, मु0 62.15 लाख रू0 विकास कार्यों हेतु अनुदान एवं मु0 176.00 लाख रू0 पी0आई0ठी0 अनुदान है। वर्तमान में शासन से परियोजना को पूर्ण धनराशि अवमुक्त हुई है, जिसके सापेक्ष माह अगस्त 2018 तक मु0 381.90 लाख रू0 की धनराशि उपयोगित की जा चुकी है जो प्राप्त धनराशि का 61.79 प्रतिशत है। विवरण निम्नवत् है:–

गोदाम निर्माण – इस मद में कुल परियोजनावधि हेतु मु0 40.00 लाख रू0 प्राविधानित है जिसके सापेक्ष स्वीकृति उपरान्त मु0 35.80 लाख रू0 की धनराशि उपयोगित की जा चुकी है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना बागेश्वर द्वारा जनपद की पॉच साधन सहकारी समितियाँ पिंगलो, डंगोली, असो, कर्मी एवं बागेश्वर के समिति भवन/गोदाम जोकि जीर्ण शीर्ण हालत में थे, का नव निर्माण किया गया जिससे उनकी भण्डारण क्षमता में वृद्धि हुई एवं आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित हुए व समिति की साख में भी वृद्वि हुई एवं एक अन्य समिति ऐठाण के जीर्ण शीर्ण समिति भवन/गोदाम के स्थान पर नवनिर्माण कार्य प्रगति पर है।

गोदाम मरम्मत – वृहत गोदाम मरम्मत मद में कुल परियोजनावधि हेतु मु0 6.00 लाख रू0 एवं सूक्ष्म गोदाम मरम्मत मद में मु0 3.75 लाख रू0 प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष स्वीकृति उपरान्त क्रमशः मु0 6.00 लाख रू0 एवं 1.50 लाख की धनराशि उपयोगित की जा चुकी है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना बागेश्वर द्वारा जनपद की 4 पैक्स सुरकालीगांव, ऐठाण, आरे एवं लोहारखेत में गोदाम का वृहत मरम्मत कार्य कराया गया, जिससे उनकी भण्डारण क्षमता में वृद्धि हुई एवं आवश्यक दस्तावेज सुरक्षित हुए व समिति की साख में भी वृद्वि हुई एवं 2 समितियों आरे एवं छानीखांकर में समिति की आवश्यकतानुसार सूक्ष्म मरम्मत कार्य कराया गया है।

बाउण्ड्री–वाल – इस मद में कुल परियोजनावधि हेतु मु0 9.00 लाख रू0 प्राविधानित है जिसके सापेक्ष स्वीकृति उपरान्त 7 पैक्स हेतु मु0 06.97 लाख रू0 की धनराशि उपयोगित की जा चुकी है, जिससे समिति भवन सुरक्षित हुआ है एवं अतिक्रमण की संभावना भी समाप्त हो गयी है।

शॉपिंग काम्प्लैक्स – इस मद में कुल परियोजनावधि हेतु मु0 25.00 लाख रू0 प्राविधानित है जिसके सापेक्ष स्वीकृति उपरान्त मु0 24.60 लाख रू0 की धनराशि उपयोगित की जा चुकी है। समिति द्वारा शापिंग काम्प्लैक्स का अधिग्रहण भी किया जा चुका है एवं उक्त शापिंग काम्प्लैक्स से मु0 22000.00 रू0 प्रति माह किराया भी अर्जित किया जा रहा है एवं कुल मु0 3,83,925.00 रू0 पगड़ी (एफ0डी0) के रूप में प्राप्त किया है, जिससे समिति ऋण की किश्त उक्त भवन से प्राप्त आय से ही चुकाने में सक्षम है एवं समिति की साख में भी वृद्वि हुई है।

फर्नीचर–फिक्सचर – अधिकांश समितियाँ ग्रामीण बचत केन्द्र भी संचालित करती हैं, जिसके लिए परियोजना द्वारा वर्तमान तक 8 समितियों को 0.25 लाख रू0 प्रति समिति की दर से फर्नीचर–फिक्सचर हेतु 2.50 लाख रू0 प्रदान किया जा चुका है, जिससे उनके कार्य संचालन में सुविधा हुई हैं एवं साख में भी वृद्वि हुई है।

डिपाजिट सेफ :– अधिकांश समितियाँ ग्रामीण बचत केन्द्र भी संचालित करती हैं, जिसके लिए परियोजना द्वारा वर्तमान तक 08 समितियों को 0.50 लाख रू0 प्रति समिति की दर से डिपोजिट सेफ हेतु 4.00 लाख रू0 प्रदान किया जा चुका है, जिससे उनकी नकदी सुरक्षित हुई, उनके कार्य संचालन में सुविधा हुई हैं एवं साख में भी वृद्वि हुई है।

बैंकिंग काउन्टर – अधिकांश समितियाँ ग्रामीण बचत केन्द्र भी संचालित करती हैं, जिसके लिए परियोजना द्वारा वर्तमान तक 04 समितियों को 0.25 लाख रू0 प्रति समिति की दर से डिपोजिट काउण्टर हेतु 1.00 लाख रू0 प्रदान किया जा चुका है, जिससे उनके कार्य संचालन में सुविधा हुई हैं एवं साख में भी वृद्वि हुई है।

कम्प्यूटराईजेशन – परियोजना द्वारा 12 समितियों को कम्प्यूटर सिस्टम प्रिंटर सहित हेतु 0.75 लाख रू0 प्रति समिति की दर से कुल 9.00 लाख रू0 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे समितियों को बैंकिग क्षेत्र व ऋण वितरण कार्य में सुविधा हो रही हैं।

मार्जिन मनी – इस मद में कुल परियोजनावधि हेतु मु0 36.00 लाख रू0 प्राविधानित है जिसके सापेक्ष स्वीकृति उपरान्त 18 समितियों को 2.00 लाख प्रति समिति की दर से मु0 36.00 लाख रू0 की धनराशि उपयोगित की जा चुकी है। परियोजना द्वारा समितियों को मार्जिन मनी प्रदान करने से उनके कार्य संचालन व व्यवसाय में आ रहे दिक्कतों का निराकरण हुआ हैं। जिससे समिति का आर्थिक स्तर मजबूत हुआ हैं।

मौन पालन औद्योगिक सहकारी समिति लि0, पुरड़ा :– मौन पालन औद्योगिक सहकारी समिति लि0, पुरड़ा उत्तराखण्ड राज्य के बागेश्वर जिले में स्थित है। समिति की पंजीयन संख्या–AMO-kvi-0047 दिनांक 04.11.1987 को सहकारिता अधिनियम के अधीन निबन्धित है। समिति के पास अपनी निजी भूमि पुरड़ा में ज0वि0स0खा0 संख्या 72 में 0.030 है0 भूमि खाते के पैमाईसी खेत न0 4971 मध्ये 0.030 दर्ज है। समिति में अध्यक्ष एवं सचिव सहित कुल सदस्य संख्या 15 है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना बागेश्वर द्वारा मौन पालन औद्योगिक सहकारी समिति लि0, पुरड़ा को मौन पालन व्यवसाय हेतु 3.00 लाख रू0, उद्यान क्षेत्र में मु0 31.00 लाख रू0 एवं औद्योगिक व्यवसाय वृद्धि हेतु मु0 13.50 लाख रू0 की वित्तीय सहायता दी गयी हैं,, जिससे समिति ने भवन प्लास्टर कर एवं शैड निर्माण किया है। साथ ही समिति ने मार्जिन मनी का उपभोग कर अपनी भण्डारण क्षमता एवं व्यवसाय वृद्धि की हैं। समिति के द्वारा फूड सामग्री बी कीपिंग कार्य व उद्यान एवं फल संरक्षण इकाई में स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्रामीण महिलाओं/नवयुवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं, ताकि ग्रामीण महिलायें व नवयुवक कार्य कुशलता से कर सकें । समिति अपना उत्पाद किया माल बागेश्वर जिले में जगह जगह विक्रय केन्द्र पुरडा, गरूड आदि–आदि जगह पर व व्यवसायिक मेले इत्यादि में विक्रय किया जाता है। समिति द्वारा वित्तीय सहायता का उपभोग कर अपनी व्यवसायिक क्षमता को सुधारा हैं। जिससे उनके जीवन में आर्थिक सुधार हुआ है।

माक्रिटिंग कन्जूमर कोओपरेटिव :– इस मद में जनपद के सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि0 बागेश्वर को दुकान, आफिस, हॉल के लिये मु0 25.00 लाख रू0 प्रस्तावित है जिसके सापेक्ष दुकान, आफिस, हाल का निर्माण कार्य

अंतिम चरण में है। इस भवन के भूतल की दुकानों को एवं प्रथम तल के भवन को बैंक आदि व्यवसायिक संस्थाओं को किराये पर देकर लाभ अर्जित किया सकता है जबकि समिति अपना कार्यालय द्वितीय तल पर संचालित कर सकती है।

इको टूरिज्म :– इस मद मेंकुल परियोजनावधि हेतु मु0 40.00 लाख रू0 प्राविधानित है जिसके सापेक्ष स्वीकृति उपरान्त मु0 20.00 लाख रू0 की धनराशि उपयोगित की जा चुकी है। इको पर्यटक आवास गृह के निर्माण हेतु साधन सहकारी समिति लि0 छानीखांकर के माध्यम से कुल 10 सदस्यों को 20.00 लाख रू0 (प्रति सदस्य 2.00 लाख रू0) की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई एवं उक्त धनराशि से अधिक व्यय होने पर शेष धनराशि सदस्यों द्वारा स्वयं से लगाये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। आई0सी0डी0पी0 बागेश्वर के माध्यम से साधन सहकारी समिति लि0 छानीखांकर द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण में एक लाख रू0 की धनराशि अंशधन के रूप में दी गयी एवं शेष धनराशि 15 प्रतिशत के वार्षिक ब्याज के रूप में है इस प्रतिशत ब्याज में से 2 प्रतिशत की धनराशि साधन सहकारी समिति लि0 छानीखांकर की आमदनी निर्धारित की गई, ताकि समिति को भी इससे लाभ प्राप्त हो।

पोल्ट्री व्यवसाय :– एकीकृत सहकारी विकास परियोजना बागेश्वर में पैक्स के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को पोल्ट्री व्यवसाय हेतु परियोजनावधि में कुल मु0 5.00 लाख रू0 की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है जिसके सापेक्ष बहुउददे्शीय साधन सहकारी समिति लि0 छानीखांकर के माध्यम से जय गोलू महिला स्वयं सहायता समूह, उडेरखानी हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है। समूह द्वारा प्रथम चक्र में 2500 ब्रायलर चिक्स से व्यवसाय प्रारम्भ किया गया है, जिसमें से शेड निर्माण, चिक्स क्रय, बर्ड फीड, फीडर संयंत्र, रख–रखाव आदि पर लगभग 4.50 लाख रू0 का व्यय किया गया है एवं प्रथम चक्र के व्यवसाय से मु0 46,050.00 रू0 का लाभ अर्जित करने की संभावना है। उक्त व्यवसाय हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त होने से समूह के सदस्यों को आजीविका प्राप्त होगी एवं जीवन स्तर भी सुधर सकेगा।

बैंकिग क्षेत्र :– अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि0, मुख्यालय को अपने ब्रान्च भवनों के निर्माण, फर्नीचर सामग्री, लॉकर केबिन, स्ट्रांग रूम, कम्प्यूटरराइजेशन व शेयर पूंजी आदि के लिये कुल मु0 148.50 लाख रू0 प्राविधानित है जिसके सापेक्ष बैंक के पास भूमि उपलब्ध न होने के कारण शाखा भवन निर्माण मद के अतिरिक्त प्रत्येक मद में प्राप्त धनराशि बैंक को कुल मु0 63.30 लाख रू0 अवमुक्त की जा चुकी है। इस मद के अन्तर्गत अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि0, मुख्यालय को फर्नीचर सामग्री, लॉकर केबिन, स्ट्रांग रूम, कम्प्यूटरराइजेशन एवं अंशपूंजी के लिये आर्थिक सहायता परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी गयी है जिसका उपयोग बैंक द्वारा अपनी अंशपूंजी में वृद्धि हेतु किया गया है।

प्रशिक्षण :– इस मद में कुल परियोजनावधि हेतु मु0 4.75 लाख रू0 प्राविधानित है जिसके सापेक्ष स्वीकृति उपरान्त मु0 2.13 लाख रू0 की धनराशि उपयोगित की जा चुकी है, जिसमें परियोजना द्वारा आई0सी0एम0 देहरादून में सचिवों का प्रशिक्षण, इको टूरिज्म का प्रशिक्षण, समिति स्तर पर पैक्स की प्रबंध कमैटी का प्रशिक्ष्ण एवं आर0आई0सी0एम0 चण्डीगढ के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र के प्रतिनिधियों को पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की अच्छी सहकारी समितियों का अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम/प्रशिक्षण कराये गये है एवं समिति कार्मिकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन धनराशि का वितरण प्रस्तावित है।

प्रस्तावित नवीन कार्य :– साइबर कैफे व मत्स्य पालन की पत्रावली तैयार की जा चुकी है एवं स्वीकृति के पश्चात शीघ्र ही संबंधित को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर धनराशि उपयोगित कर ली जायेगी। अन्य मदों की उपयोगिता हेतु परियोजना स्तर से प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं।

अध्याय – 9

पशुपालन

पशुपालन विकास कार्य – इस अध्याय के अंतर्गत पशुपालन विभाग हेतु जिला योजना/राज्य सेक्टर/केन्द्र पोषित/बाह्य सहायतित योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु अवमुक्त बजट के सापेक्ष लाभार्थीपरक योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति, विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित पशुपालकों एवं कुमाऊँ मण्डल के पशुपालकों को पशुपालन विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं सुविधाओं का विवरण होगा।

वर्ष 2017–18 **धनराशि (लाख रू0)**

जनपद	जिला सैक्टर			राज्य सैक्टर		केन्द्र पोषित	
	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
नैनीताल	264.00	187.98	187.98	50.72	50.69	76.51	76.45
उधमसिंहनगर	168.00	130.00	130.00	62.71	57.42	37.20	37.20
अल्मोड़ा	175.00	126.26	126.26	135.83	134.99	87.57	87.57
बगेश्वर	241.44	172.00	172.00	80.85	78.16	19.71	19.45
पिथौरागढ़	240.36	171.95	171.95	113.42	113.30	134.18	134.17
चम्पावत	160.00	98.34	98.34	80.77	80.77	17.04	17.04
योग	1248.80	886.53	886.53	524.30	515.33	372.21	371.88

पशुपालन विभाग, कुमाऊँ मण्डल में पशुपालन को आजीविका एवं रोजगार से जोडने हेतु राज्य सरकार द्वारा रोजगार परक योजनाएं/कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, का निम्नानुसार विवरण–

जिला सेक्टर–

1. **ग्रामीण प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुप्रदर्शनियों का आयोजन–**

   योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद के विकासखण्ड स्तर पर पशुप्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पशुपालकों को उन्नत पशुपालन एवं नवीन तकनीकी जानकारियों से अवगत कराते हुए सबसे स्वस्थ एवं उन्नत पशुओं के पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुरूस्कृत किया जाता है। वर्ष 2017–18 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नानुसार है।

जनपदवार आयोजित पशु प्रदर्शनी वर्ष 2017–18 धनराशि (लाख रू0)

जनपद का नाम	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति
1	2	3	4	5
नैनीताल	1.4	1.4	4	4
ऊधमसिहनगर	2.45	2.45	7	7
अल्मोडा	0.35	0.35	1	1
बागेश्वर	0.7	0.7	2	2
पिथौरागढ़	2.8	2.8	8	8
चम्पावत	0.7	0.7	2	2
योग	8.4	8.4	24	24

2. **चारा विकास कार्यक्रम का सघनीकरण :–** योजनान्तर्गत विभाग द्वारा विभागीय संस्थाओं के माध्यम से पशुपालकों को उन्नतशील प्रजाति के चारा बीजों का निःशुल्क वितरण किया जाता है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में वितरित चारा बीजों की प्रगति निम्नानुसार रही।

जनपद का नाम	वितरित चारा बीज(कुं0 में)
1	2
नैनीताल	156.59
ऊधमसिहनगर	25.66
अल्मोडा	12.11
बागेश्वर	24.69
पिथौरागढ़	36
चम्पावत	146.66
योग	**401.71**

3. **दारिन्दा पद्धति पर उन्नत बकरा सांडो का वितरण –**

पशुपालकों द्वारा पाली जा रही बकरियों में नस्ल सुधार के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रक्षेत्रों पर पल रहे उन्नत प्रजाति के बकरा सांडों अथवा जनपद/प्रदेश/राज्य से बाहर उन्नत नस्ल के बकरा सांडों का क्रय कर 100 प्रतिशत अनुदान पर वितरण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राप्त आवंटन के सापेक्ष लक्ष्य एवं पूर्ति निम्नानुसार रही।

धनराशि (लाख रू0)

जनपद का नाम	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति
1	2	3	4	5
नैनीताल	0.8	0.8	10	10
ऊधमसिहनगर	0	0	0	0
अल्मोडा	0.8	0.8	10	10
बागेश्वर	2	2	25	25
पिथौरागढ़	0.64	0.64	8	8
चम्पावत	1.6	1.6	20	20
योग	**5.84**	**5.84**	**73**	**73**

4. स्वरोजगार परक योजनान्तर्गत कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना – अनसूचित जाति/जनजाति के पशुपालकों को आर्थिक रूप से सृदृढ़ करने एवं आय के अन्य स्त्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 100 प्रतिशत अनुदान पर कुक्कुट पालन इकाई (50 एकदिवसीय कुक्कुट चूजे+जाली+दाना+औषधियां) वितरित की जाती है। वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन एवं उसके सापेक्ष भौतिक प्रगति निम्न है।

धनराशि (लाख रू0)

जनपद का नाम	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति
नैनीताल	10.50	10.50	500	500
ऊधमसिहनगर	19.32	19.32	920	920
अल्मोडा	24.32	24.32	1158	1158
बागेश्वर	25.62	25.62	1220	1220
पिथौरागढ़	19.32	19.32	920	920
चम्पावत	18.90	18.90	900	900
योग	**117.98**	**117.98**	**5618**	**5618**

राज्य सेक्टर :–

1. **अहिल्याबाई होल्कर बकरी/भेड़ पालन योजना –** योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों को 10 बकरी एवं 01 बकरा 90 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है साथ ही पशुओं के रख–रखाव हेतु बाड़ा निर्माण/सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था भी आवंटित धनराशि के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2017–18 में योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नानुसार है।

धनराशि (लाख रू0)

जनपद का नाम	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति
1	2	3	4	5
नैनीताल	9.177	9.177	10	10
ऊधमसिहनगर	9.177	9.177	10	10
अल्मोडा	18.354	18.354	20	20
बागेश्वर	11.012	11.012	12	12
पिथौरागढ़	20.189	20.189	22	22
चम्पावत	9.177	9.177	10	10
योग	**77.086**	**77.086**	**84**	**84**

2. **महिला बकरी पालन योजना –** विधवा, निराश्रित, अकेली रह रही महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से राज्य सैक्टर योजना अन्तर्गत महिला बकरी पालन इकाई (3 बकरी+1 बकरा) 100 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करायी जाती है।

महिला बकरी पालन योजना धनराशि (लाख रू0)

जनपद का नाम	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति
1	2	3	4	5
नैनीताल	3.50	3.50	10	10
ऊधमसिहनगर	3.50	3.50	10	10
अल्मोडा	5.25	5.25	15	15
चम्पावत	3.50	3.50	10	10
योग	**15.75**	**15.75**	**45**	**45**

3. **गौ पालन योजना** :– गौ पालन योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्यन्त गरीब पशुपालकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर गौपालन इकाई उपलब्ध करायी जाती है, जिसके अन्तर्गत 01 चतुर्थ अथवा उससे कम ब्यात की गाय, पशु बीमा तथा पशु आहार भी उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2017–18 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नानुसार है।

धनराशि (लाख रू0)

जनपद का नाम	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति
1	2	3	4	5
नैनीताल	16.92	16.92	47	47
ऊधमसिहनगर	21.6	21.6	60	60
अल्मोडा	21.24	21.24	59	59
बागेश्वर	24.12	24.12	67	67
पिथौरागढ़	10.08	10.08	28	28
चम्पावत	15.12	15.12	42	42
योग	109.08	109.08	303	303

4. **बकरी पालन योजना**:– स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ट्राइबल सब प्लान अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्यन्त गरीब पशुपालकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर बकरी पालन इकाई उपलब्ध करायी जाती है, जिसके अन्तर्गत 10 बकरी एवं 1 बकरा उपलब्ध कराने के साथ–साथ पशुबीमा एवं पशु आहार भी उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2017–18 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नानुसार है।

धनराशि (लाख रू0)

जनपद का नाम	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति
1	2	3	4	5
नैनीताल	10.08	10.08	16	16
ऊधमसिहनगर	5.67	5.67	9	9
अल्मोडा	11.31	11.31	18	18
बागेश्वर	11.32	11.32	18	18
पिथौरागढ़	10.06	10.06	16	16
चम्पावत	7.56	7.56	12	12
योग	**56.00**	**56.00**	**89**	**89**

5. **भेड़ पालन योजना**:– पर्वतीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्यन्त गरीब पशुपालकों को 90 प्रतिशत अनुदान पर भेड़ पालन इकाई उपलब्ध करायी जाती है, जिसके अन्तर्गत 10 भेड़ एवं 1 मेढ़ा उपलब्ध कराने के साथ–साथ पशुबीमा एवं पशु आहार भी उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2017–18 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति निम्नानुसार है।

धनराशि (लाख रू0)

जनपद का नाम	आवंटन	व्यय	लक्ष्य	पूर्ति
1	**2**	3	**4**	5
बागेश्वर	11.97	11.97	19	19
पिथौरागढ़	0.63	0.63	1	1
योग	**12.60**	**12.60**	**20**	**20**

अध्याय –10

वन

जनपद में वनों की स्थिति की रिपोर्ट वर्ग किमी में

जनपद	भौगोलिक क्षेत्रफल	2017–18				भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत
		अति सघन वन	मध्यम सघन वन	खुले वन	योग	
1	2	3	4	5	6	7
अल्मोड़ा	3139.00	224	929	430	1583	50.43
बागेश्वर	2246.00	200	834	329	1363	60.69
पिथौरागढ़	7090.00	509	1013	580	2102	29.65
चम्पावत	1766.00	348	570	266	1184	67.04
नैनीताल	4251.00	602	1939	463	3004	70.67
ऊधमसिंह नगर	2542.00	157	246	103	506	19.91
कुल योग	**21034.00**	**2040.00**	**5531.00**	**2171.00**	**9742.00**	**46.32**

स्रोत– भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2015

वर्ष 2017–18 में जनपद में वन विभाग से प्राप्त आय (राजस्व) का विवरण लाख में

जनपद	प्राप्त आय लाख में
1	2
अल्मोड़ा	1218.1100
बागेश्वर	859.5900
पिथौरागढ़	210.8900
चम्पावत	4161.7008
नैनीताल	13062.0242
ऊधमसिंह नगर	821.3903
कुल योग	**20333.7052**

वन उत्पादन :– पर्वतीय क्षेत्र में आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किस्म के वृक्ष पाये जाते हैं, जिसमें चीड़, बाज, देवदार, तुन, बुरूश, काफल, अयारपांगर आदि प्रमुख हैं। भाबर क्षेत्र में साल, शीशम, खैर, यूकेलिप्टस, पापुलर, सेमल, गुटेर एवं बाकुली की प्रजातियों के वृक्ष प्रमुख हैं। चीड़ के वृक्ष से लीसा निकाल कर इसका निर्यात व्यापक रूप से होता है। लीसा एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद है जिससे तारपीन का तेल व विरोजा तैयार किया जाता है इसके अतिरिक्त चीड़ की लकड़ी गृह निर्माण, फर्नीचर बनाने में प्रयुक्त होती है। बांज की पत्तियां पशुचारा के रूप में प्रयुक्त होती है तथा लकड़ी से कोयला बनाया जाता है। बांज का वृक्ष जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खैर की लकड़ी कत्था उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साल, शीशम एवं सागौन, चीड़, देवदार इमारती लकड़ी के रूप में प्रयुक्त होते है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने वाले वृक्षो का अधिकांश भाग मण्डल से बाहर भेजा जाता है जिसके कारण वन आधारित उद्यम इस क्षेत्र में विकसित नहीं हुए हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का विकास आर्थिक उन्नति

हेतु आवश्यक है। वनों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की जड़ी–बूटियॉ भी पाई जाती हैं। जिसमें तेज पत्ता, कपूर कवली, समीघा, पाषण भेद, वन हल्दी, गुणवन्ता, कुटकी, बण्डा, सालमसंजा, सालम मिश्री एवं गंधारामण आदि प्रमुख है। ये अधिकांश मात्रा में मण्डल से बाहर निर्यात की जाती है। उत्तराखण्ड राज्य में जड़ी बूटी विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वन विभाग जड़ी बूटी के रोपण का कार्य बृहत रूप से कर रहा है।

घने जंगलों में पशु पाये जाते है जिसमें बाघ, भालू, घुरड़, काकड़, हिरन प्रमुख हैं। पहले इन जंगलों में शेर तथा हाथी भी काफी संख्या में पाये जाते थे किन्तु धीरे–धीरे जंगलों के कटने व इनके निकट बस्तियॉ हो जाने तथा जंगलों के बीच लोगों का आवागमन हो जाने से अब जंगली पशुओं की संख्या निरन्तर घटती जा रही है। वन विभाग द्वारा इनकी सुरक्षा के लिये कई प्रबन्ध किये गये हैं। इसके अतिरिक्त कई स्थान सुरक्षित रखे गये है। जिसमें कार्बेट नेशनल पाक्र ढिकाला (रामनगर) एक प्रमुख सुरक्षित क्षेत्र है जो देश–विदेश के पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र है। जनपद अल्मोड़ा में बिनसर अभ्यारण्य तथा पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। नैनीताल तथा अल्मोड़ा में चिड़ियाघर भी स्थापित हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

वन राजस्व – वन क्षेत्र में सूखे, गिरे पेडों के प्रकाष्ठ, लीसा विदोहन, जडी बूटी से प्राप्त राजस्व, अवैध वाहनो के प्रवेश, अवैध कटान एवं चुगान आदि पर जुर्माना वन विभाग की आय का प्रमुख श्रोत है।

हक हकूक – पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीणों को वन प्रभाग द्वारा ग्रामीणों की आवश्यक्तानुसार उनका हक हकूक दिया जाता है।

प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के निस्तारण में लागू नये नियम/अधिनियम – भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओ/उपधाराओं के प्राविधानो के अनुसार वनो का रखरखाव किया जाता है। बढती जनसंख्या एवं बढते हुए जैविक दबाव के फलस्वरूप घटते हुए वन तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं हेतु वनो पर निर्भरता पर्यावरण संरक्षण में प्रतिकूल परिस्थितिया है। इस क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं संशोधित अधिनियम 1988 के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों हेतु भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तराखण्ड वन नियमावली 2001 – उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग 3155/1–व0ग्रा0वि 2001–बी(15) 2001 देहरादून दिनांक जुलाई, 3. 2001 ,द्वारा लागू है। जिसे भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 28 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के अधीन पंचायत वन नियमावली 1976 का अतिक्रमण कर नई नियमावली लागू की गई है। पंचायती वनों का रखरखाव व नियंत्रण की जिम्मेदारी स्थानीय ग्रामीणों व सरपंचों को दी गई है, जो जिला वन पंचायत विकास अधिकारी के सहयोग से पंचायती वनो का विकास एवं संवर्द्धन करेंगे।

भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) अधिनियम 2001 – उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग संख्या 240 विभागीय एवं संसदीय कार्य 2002 देहरादून 1 अगस्त 2002 के विविध अधिसूचना अन्तर्गत भारत संविधान के अनुच्छेद 2000 के अधीन महामहिम राष्ट्रपति ने उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड भारतीय वन (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक 2001 को दिनांक 17.07.2002 को अनुमति प्रदान की।

इसके अन्तर्गत अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2002 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धाराओं 26, 33, 42, 52, 53, 55, 58, 60, 65, 68, 70, 77, 79, 82 में महत्वपूर्ण संशोधन जारी किए है।

प्रभागीय वनाधिकारी को अवैध कार्यो में लिप्त वाहनों के अधिग्रहण सम्बन्धी एवं अतिक्रमित भूमि में बेदखली सम्बन्धी कार्य हेतु मजिस्ट्रेटी अधिकार प्रदत किए गए है।

वर्ष 2017–18 सैक्टरवार/जनपदवार अनुमादित/अवमुक्त एवं व्यय धनराशि का विवरण लाख में

जनपद	जिला सैक्टर			राज्य सैक्टर		
	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
नैनीताल	46.24	46.24	46.24	683.32	805.55	789.97
उधमसिंहनगर	10.00	10.00	10.00	314.79	396.28	390.26
अल्मोड़ा	46.12	46.12	46.12	1251.86	1251.86	1249.86
बगेश्वर	65.27	65.27	65.27	123.48	122.48	122.48
पिथौरागढ़	141.92	141.92	141.92	145.85	145.85	145.85
चम्पावत	38.6	35.4	35.4	300.67	95.19	94.39
योग	**348.15**	**344.95**	**344.95**	**2819.97**	**2817.21**	**2792.81**

जनपद	केन्द्र पोषित			बाहयसहायतित		
	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
नैनीताल	250.08	231.46	228.99	839.95	839.95	839.95
उधमसिंहनगर	8.52	9.44	8.98	0	0	0
अल्मोड़ा	146.2	16.75	16.76	2040.45	1604.88	1034.64
बगेश्वर	5.91	5.91	5.91	285.5	284.7	284.7
पिथौरागढ़	26.1	26.1	26.1	0	0	0
चम्पावत	9.96	9.96	9.96	0	0	0
योग	**446.77**	**299.62**	**296.7**	**3165.9**	**2729.53**	**2159.29**

वर्ष 2018

क्र0 सं0	मद	अवधि	इकाई	अल्मोड़ा	पिथौरागढ़	बागेश्वर	चम्पावत	नैनीताल	ऊधमसिंह नगर	योग
1	**वन्य जीवों द्वारा क्षति**									
अ	मानव क्षति	2017–18	संख्या	25	12	17	12	39	14	**119**
ब	मानव क्षति पर मुआवजा	2017–18	लाख में	13.00	2.15	11.45	16.05	28.30	22.60	**93.55**
स	पशुक्षति	2017–18	संख्या	823	196	223	201	484	49	**1976**
द	पशुक्षति पर मुआवजा	2017–18	लाख में	122.67	25.29	27.60	21.83	34.43	3.07	**234.89**
स	फसल क्षति पर मुआवजा	2017–18	लाख में	0.00	0.00	0.00	0.42	5.43	0.87	**6.73**
र	मकान क्षति पर मुआवजा	2017–18	लाख में	0.00	0.00	0.00	0.15	0.10	0.00	**0.25**
2	**वन संचार साधन योजना**									
	व्यय	2017–18	लाख में	26	79.76	42.32	19.9	24.87	4.7	**197.55**
3	**भवन निर्माण एवं बिजली पानी व्यवस्था**									
	व्यय	2017–18	लाख में	28.24	62.16	22.95	15.5	22.17	4.5	**155.52**
4	**वनों की अग्नि से सुरक्षा**									
	व्यय	2017–18	लाख में	42.83	16.10	25.55	12.91	106.93	28.12	**232.44**
5	**बहुअद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण**									
	व्यय	2017–18	लाख में	134.98	53.05	60.66	38.20	461.65	327.59	**1076.12**
6	**वनों की सुरक्षा (अतिक्रमण रोकने के लिए)**									
	व्यय	2017–18	लाख में	0	0	8.80	4.43	22.346	6.744	**42.32**
7	**बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्धन**									
	व्यय	2017–18	लाख में	0	1.67	1.00	0	0	0	**2.67**
8	**वन पंचायत की सुदृढ़ीकरण योजना**									
	व्यय	2017–18	लाख में	14.31	0	4.00	3.64	8.56	0	**30.51**
9	**इंटेन्सीफिकेशन ऑफ फारेस्ट मैनेजमेंट**									
	व्यय	2017–18	लाख में	12.24	4.84	5.91	3.46	21.15	4.20	**51.797**
10	**वनोपज आधारित इकाइयॉ**									
क	पंजीकृत लीसा इकाई (कार्यरत)	2017–18	संख्या	38	0	13	4	46	0	**101**
ख	पंजीकृत आरा मशीन	2017–18	संख्या	11	5	9	4	56	86	**171**
11	**गेस्ट हाउस**	2017–18	संख्या	34	14	11	18	29	8	**114**
12	**वन विभाग के अधीन सड़कों की लम्बाई**									
	लम्बाई	2017–18	किमी	692.55	672.92	723.98	1271.71	1881.07	412.77	**5654.99**

नोटः– (क) आकड़ो का श्रोत उत्तराखण्ड वन सांख्यिकीय पुस्तिका 2016–17 तथा माह मार्च 2018 को प्रभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर लिया गया है।

(ख) वन्य जीवों द्वारा क्षति के मानव क्षति में मृतक/घायलों की सं0 को सम्मिलित किया गया है।

अध्याय –11

जल सम्पूर्ति

सिंचाई

सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी

राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड कार्यरत हैं। इन खण्डों द्वारा राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत निर्मित नहरों का अनुरक्षण, नई योजनाओं का निर्माण कार्य, बाढ़ कार्यों का रख–रखाव सर्वेक्षण एवं निर्माण आदि का कार्य सम्पादित किया जाता है।

मानसून की अनिश्चितता व पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ सिंचाई की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों को भरपूर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः–

राजकीय सिंचाई :– वर्ष 2017–18 में कुमाऊँ मण्डल के इस संगठन के कार्यक्षेत्र जनपद नैनीताल एवं ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमशः 277 एवं 227 संख्या नहरें योजनायें निर्मित हैं, जिनकी कुल लम्बाई क्रमशः 2540.957 एवं 1019.474 कि.मी. तथा सी.सी.ए. क्रमशः 37901 एवं 96057 हैक्टेयर है।

जिला सैक्टर :– जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2017–18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमशः रु. 400.00 लाख, रु. 587.00 लाख की धनराशि अनुमोदित थी, जिसके सापेक्ष क्रमशः रु. 284.90 लाख, रु. 344.70 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई, के सापेक्ष रु. 281.78 लाख एवं रु. 333.96 लाख व्यय किया गया, जिसके अन्तर्गत क्रमशः 79 एवं 120 योजनाओं में 20.580 कि.मी., 10.199 कि.मी. नहरों का निर्माण/जीर्णोद्धार/बाढ़ योजनाओं का निर्माण कर 24 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित एवं 88 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नजीवित की गई। इसके अतिरिक्त बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को भी पूर्ण किया गया।

- राज्य सैक्टर (आकस्मिक बाढ़ सुरक्षा योजना) जनपद नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमशः रु. 13.85 लाख एवं 19.77 लाख व्यय कर 5 संख्या स्पर एवं 50 मी० लम्बी टो–वॉल का निर्माण कर काश्तकारों की कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा प्रदान की गई।
- राज्य सैक्टर (रिवर ट्रेनिंग) जनपद नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के अन्तर्गत क्रमशः रु. 8.27 लाख एवं 47.28 लाख व्यय कर नदियों के बाढ़ सुरक्षा हेतु नदी को चैनेलाइज करने एवं सिल्ट, मिट्टी हटाये जाने का कार्य किया गया।
- राज्य सैक्टर (निरीक्षण भवन) निरीक्षण भवन, कार्यशाला भवन एवं स्टोर निर्माण हेतु जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत रु. 80.00 लाख व्यय कर 2 संख्या भवनों को निर्माण किया गया।
- राज्य सैक्टर (सर्वेक्षण एवं अन्वेषण मद) इस मद के अन्तर्गत जनपद नैनीताल में नैनी झील के जलस्तर में हो रही कमी का विस्तृत सर्वेक्षण एवं अध्ययन कराये जाने हेतु रु. 60.00 लाख व्यय किया गया।
- राज्य सैक्टर (टी.एस.पी) के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊँ मण्डल जनपद उधमसिंहनगर के नालों का निर्माण कर रु. 8.53 लाख व्यय करते हुए काश्तकारों की कृषि भूमि की सुरक्षा की गई।
- केन्द्र पोषित योजना (सी.एस.एस.आर) :– इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद ऊधमसिंहनगर में रु. 171.80 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसके सापेक्ष रु. 171.80 लाख व्यय कर 2 संख्या स्टड एवं 0.023 मी0 बटरस वॉल सुदृढ़ीकरण कार्य किया गया।
- वाह्य सहायतित (नाबार्ड) :– इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत नहरों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु क्रमशः रु. 1606.81, रु. 4337.58 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ जिसके सापेक्ष रु 1588.72, रु. 4337.58 लाख व्यय कर 63.980 कि.मी. एवं

37.328 कि.मी. लम्बाई में कार्य करते हुए 670 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित एवं 2186 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नसृजित की गई।

- वाह्य सहायतित (नाबार्ड बाढ़ कार्य) इसके अन्तर्गत जनपद नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के अन्तर्गत रु. 1611.25, रु. 270.84 लाख के आबंटन के सापेक्ष क्रमशः 1598.19, रु. 225.84 लाख व्यय कर 1.533 कि. मी. लम्बी सुरक्षा दीवार का निर्माण करते हुए काश्तकारों की कृषि योग्य भूमि की सुरक्षा प्रदान की गई।

जनपद में वर्षवार सिंचन क्षमता एंव उपयोग, वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक।

वर्ष	जनपद	क्षमता		उपयोग	
		राजकीय सिंचाई	योग	राजकीय सिंचाई	योग
2011-12	अल्मोड़ा	6,305.20	6,305.20	3,977.00	3,977.00
	बागेश्वर	4,017.00	4,017.00	3,435.00	3,435.00
	पिथौरागढ़	7241	7241	2875	2875
	चम्पावत	3093.8	3093.8	1047	1047
2012-13	अल्मोड़ा	6,170.80	6,170.80	4,008.00	4,008.00
	बागेश्वर	5,921.40	5,921.40	4,084.00	4,084.00
	पिथौरागढ़	7403	7403	2655	2655
	चम्पावत	3093.8	3093.8	1068	1068
2013-14	अल्मोड़ा	6,177.80	6,177.80	3,999.00	3,999.00
	बागेश्वर	5,921.40	5,921.40	3,851.00	3,851.00
	पिथौरागढ़	7457	7457	2588	2588
	चम्पावत	3126.8	3126.8	1055	1055
2014-15	अल्मोड़ा	6,177.80	6,177.80	3,895.00	3,895.00
	बागेश्वर	5,921.40	5,921.40	3,805.00	3,805.00
	पिथौरागढ़	7503	7503	2049	2049
	चम्पावत	3141.8	3141.8	1100	1100
2015-16	अल्मोड़ा	6,221.80	6,221.80	3,804.00	3,804.00
	बागेश्वर	5,921.40	5,921.40	4,202.00	4,202.00
	पिथौरागढ़	5485	5485	2171	2171
	चम्पावत	3141.8	3141.8	1115	1115
2016-17	अल्मोड़ा	6,162.80	6,162.80	3,821.00	3,821.00
	बागेश्वर	5,921.40	5,921.40	4,283.00	4,283.00
	पिथौरागढ़	5519	5519	1210	1210
	चम्पावत	3150	3150	1117	1117
2017-18	अल्मोड़ा	6,175.40	6,175.40	3,746.00	3,746.00
	बागेश्वर	5,921.40	5,921.40	3,190.00	3,190.00
	पिथौरागढ़	5548	5548	232	232
	चम्पावत	3163.8	3163.8	947	947

राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड लघु डाल खण्ड, एवं सिचाई निर्माण खण्ड कार्यरत है। इन खण्डों द्वारा राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत निर्मित नहरों /पम्प योजनाओं का अनुरक्षण, नई योजनाओं का निर्माण कार्य, बाढ़ कार्यो का रख रखाव सर्वेक्षण एवं निर्माण आदि का कार्य सम्पादित किया जाता है।

मानसून की अनिश्चितता व पहाड़ी क्षेत्रों की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहॉ सिंचाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है। सिंचाई विभाग द्वारा कृषकों को भरपूर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जा रहे है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः—

राजकीय सिंचाई वर्ष 2017—18 में कुमाऊँ के जनपद पिथौरागढ, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः 191, 215, 97, 139 नहरे निर्मित है। जिनकी कुल लम्बाई क्रमशः 489.959, 700.763, 250.100, 459.565 किमी0 तथा सी0सी0ए0 क्रमशः 5000, 5550.60, 2349.30, 3573.00 हैक्टेयर है।

जिला सैक्टर :— जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2017—18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रू0 224.53, 274.00, 171.09, 474.00 की धनराशि अनुमोदित थी जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 159.56, 194.84, 128.32, 299.00 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसके अन्तर्गत नहरों का निर्माण एवं नहरों के जीर्णोद्धार से क्रमशः 36, 0, 2, 0 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजन एवं क्रमशः 87, 103, 14, 252 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित की गई। इसके अतिरिक्त क्रमशः 1, 21, 17, 38 संख्या छोटी—छोटी बाढ़ सुरक्षा योजनाओं को भी पूर्ण किया गया।

केन्द्र पोषित योजना :—

- **केन्द्र पोषित योजना (एस0पी0ए0):—** इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017—18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर में क्रमशः रू0 385.22, 0, 0, 0 की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई। जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 381.22, 0, 0, 0 व्यय कर क्रमशः 3, 0, 0, 0 बाढ़ सुरक्षा योजनओं पर कार्य पूर्ण कराया गया है।
- **केन्द्र पोषित योजना (सी0एस0एस0):—** इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017—18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रू0 2409.00, 290.01, 0, 1084.67 लाख की धनराशि शासन से अवमुक्त हुई। जिसके सापेक्ष क्रमशः रू0 2350.29, 264.02, 0, 1007.17 की धनराशि व्यय कर क्रमशः 10, 2, 0, 03 संख्या बाढ़ सुरक्षा योजनाओं पर कार्य पूर्ण किया गया।

(अ) **वाह्य सहायतित नहर (नाबार्ड):—** इस योजना के तहत वर्ष 2017—18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रू0 0, 127.85, 0, 14.63 लाख की धनराशि व्यय कर क्रमशः 0, 8.471, 0, 2.700 किमी0 लम्बाई की नहरों का जीर्णोद्धार कर क्रमशः 0, 78, 0, 46 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नजीवित करायी गई है।

(ब) **वाह्य सहायतित बाढ़ (नाबार्ड):—** इस योजना के तहत वर्ष 2017—18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर के अन्तर्गत क्रमशः रू0 71.63, 50.67, 123.72, 214.48 लाख कि धनराशि व्यय कर क्रमशः 4, 1, 2, 5, संख्या बाढ़ सुरक्षा योजनाओं में निर्माण कार्य किया गया।

राज्य सैक्टर नहरः— राज्य सैक्टर के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा को नहर निर्माण के अन्तर्गत रू0 15.31 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष रू0 15.31 लाख की धनराशि व्यय कर 1.50 कि0मी0 लम्बी नहर का निर्माण पर 07 हैक्टर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया।

राज्य सैक्टर जल संर्वद्धनः— जल संर्वद्धन के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा को वर्ष 2017—18 में 04 संख्या जलाशयों के निर्माण हेतु रू0 81.67 लाख की धनराशि प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष रू0 55.59 लाख की धनराशि व्यय कर 03 संख्या जलाशयों का निर्माण कार्य प्रगति में है।

निजि लघु सिंचाई

वर्ष 2017–18 सैक्टरवार/जनपदवार अनुमादित/अवमुक्त एवं व्यय धनराशि का विवरण

धनराशि (लाख रू0)

जनपद	जिला सैक्टर			राज्य सैक्टर			केन्द्र पोषित		
	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
नैनीताल	663.05	589.82	589.82	236.78	236.78	236.78	9851.8	8073.2	8073.2
उधमसिंहनगर	244.5	163.69	163.69	50	44.09	44.09	1293.5	305	305
अल्मोड़ा	14	14	14	0	0	0	100	100	100
बगेश्वर	53.31	39.08	39.08	0	0	0	67.31	67.31	67.31
पिथौरागढ़	69	48.75	48.75	0	0	0	126	126	126
चम्पावत	50	37.73	37.73	0	0	0	1644.5	125	125
योग	1093.9	893.07	893.07	286.78	280.87	280.87	13083	8796.5	8796.5

जनपद में वर्षवार सिंचन क्षमता एवं उपयोग निम्न के अनुसार दिया जाए वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक

वर्ष जनपद	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15	
	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पिथौरागढ	405.00	425.58	510.00	522.12	250.00	258.53	800.00	820.57
अल्मोडा	1131.36	1131.36	1050.00	1050.00	446.30	446.30	810.22	810.22
नैनीताल	700.00	699.65	800.00	801.30	700.00	730.00	1400.00	1667.40
ऊधमसिंह नगर	780.50	702.00	1157.00	1041.00	1470.00	1250.00	2205.00	1764.00
बागेश्वर	475.00	476.56	540.00	541.20	190.00	195.00	500.00	511.00
चम्पावत	180.00	198.20	300.00	301.40	215.00	218.18	800.00	800.04
योग	**3671.86**	**3633.35**	**4357.00**	**4257.02**	**3271.30**	**3098.01**	**6515.22**	**6373.23**

वर्ष जनपद	2015–16		2016–17		2017–18	
	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग
1	10	11	12	13	14	15
पिथौरागढ	140.00	149.79	200.00	202.26	125.00	126.45
अल्मोडा	397.78	397.78	161.50	161.50	130.50	130.50
नैनीताल	920.00	973.30	550.00	552.80	325.00	329.68
ऊधमसिंह नगर	1740.00	1566.00	1311.00	1114.00	1392.00	1253.00
बागेश्वर	200.00	226.30	150.00	150.70	55.00	62.36
चम्पावत	200.00	201.00	250.00	254.10	285.00	285.00
योग	**3597.78**	**3514.17**	**2622.50**	**2435.36**	**2312.50**	**2186.99**

लघु सिचाई विभाग द्वारा लघु कृषको को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः..86, 92, 62, 109, 0, 0. हौज, क्रमशः...19.997, 5.82, 5.36, 6.855, 8.025, 0.790 किमी0 गूल, क्रमशः 28, 0, 0, 0, 0,196 पम्पसेट एवं क्रमशः 02, 0, 0, 0, 0 ,0 हाईड्रम यूनिटों का निर्माण कर क्रमशः 329.68, 126.45,130.50, 285.00, 62.36, 1392.है0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में विभाग द्वारा पूर्व निर्मित गूल/हौज निर्माण की क्रमशः 0, 0, 09, 0, 11, 0 योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार कर लगभग क्रमशः 0, 0, 0, 0, 31.04, 0 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नस्थापित की गयी।

उपकरण एवं संयत्र :– हाईड्रम योजनाओं के संचालन हेतु पाईप रिंच/स्पैनर आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके लिये जिला योजना वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः.रू0 0.00, 0.06, 1.50, 2.00, 0.00, 0.00 धनराशि व्यय की गई।

हाईड्रम सुदृढीकरण/अन्य व्यय :– हाईड्रम योजनाओं के संचालन हेतु आंशिक आपरेटर की व्यवस्था की जाती है तथा निर्मित योजनाओं के सापेक्ष मरम्मत आदि का कार्य किया जाता है, जिला योजना वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः.रू0 39.17, 21.85, 0.00, 32.73, 17.72, 0.00 लाख धनराशि व्यय की गई।

गूल मरम्मत/जीर्णोद्धार :– पूर्व निर्मित सामूहिक सिंचाई गूल/हौज निर्माण योजनाओं की मरम्मत/जीर्णोद्धार कर वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 0, 0, 0, 0, 31.04, 1392.00 हैक्टेयर सिंचन क्षमता पुर्नस्थापित की गयी। जिला योजना वर्ष 2017–18 में क्रमशः.रू0 0.00, 26.84, 12.50, 0.00, 21.36, 163.69 धनराशि व्यय की गई। जिसमें में क्रमशः.रू0 0.00, 8.70, 0.00, 0.00, 3.54, 0.00 धनराशि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय की गई।

नलकूप एवं लिफ्ट

राजकीय सिंचाई के अन्तर्गत इस मण्डल में नलकूप खण्ड, हल्द्वानी, नलकूप खण्ड, बाजपुर एवं नलकूप खण्ड टनकपुर कार्यरत है, जिनके द्वारा निर्मित नलकूपों एवं लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का रख–रखाव कार्य तथा नई योजनाओं का सर्वेक्षण तथा निर्माण कार्य सम्पादित किया जाता है।

वर्ष 2017–18 तक इस मण्डल के जनपद नैनीताल (विकास खण्ड हल्द्वानी क्षेत्र) में 191 नलकूप एवं (विकास खण्ड भीमताल में) 03 संख्या लिफ्ट सिंचाई योजना सिंचाईरत है, जिन पर क्रमशः 476.994 एवं 10.535 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली निर्मित है, जिसका सी.सी.ए. क्रमशः–14145 एवं 161 हेक्टेयर है। जनपद ऊधमसिंह नगर में 405 नलकूप सिंचाईरत है, जिनका सी.सी.ए. 35246 हेक्टेयर है, जिन पर 985.762 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली निर्मित है। जनपद चम्पावत में 33 संख्या नलकूप एवं 06 संख्या लिफ्ट सिंचाई योजना सिंचाईरत है, जिनका सी.सी.ए. क्रमशः 2611 एवं 142 हेक्टेयर है, जिन पर क्रमशः 78.142 एवं 12.48 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली निर्मित है।

1:– जिला योजना

जिला अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2017–18 में जनपद नैनीताल (विकास खण्ड हल्द्वानी) हेतु रू0 267.00 लाख का परिव्यय अनुमोदित था, जिससे सापेक्ष रू0 188.70 लाख अवमुक्त हुआ, जिससे

5.484 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण/जीर्णोद्वार करते हुए 02 संख्या नलकूपों का ऊर्जीकरण कर 92 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया। जनपद ऊधमसिंह नगर के लिए रू0 257.00 लाख का परिव्यय अनुमोदित था, जिसके सापेक्ष रू0 239.77 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई, जिससे 17.027 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण/जीर्णोद्वार किया गया तथा 05 संख्या नलकूपों का ऊर्जीकृत कर 375 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन भी किया गया। जनपद चम्पावत में रू0 265.00 लाख का परिव्यय अनुमोदित था, जिसके सापेक्ष रू0 187.87 लाख अवमुक्त हुआ, जिससे 8.82 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण/जीर्णोद्वार तथा 02 संख्या लिफ्ट सिंचाई योजना का ऊर्जीकरण कर 56 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया।

2:–वाह्य सहायतित (नाबार्ड)

वर्ष 2017–18 में इस योजना के तहत जनपद ऊधमसिंह नगर में रू0 898.55 लाख व्यय कर 27 संख्या नलकूपों का ऊर्जीकरण कर 2025 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन एवं 15 संख्या नलकूपों का पुर्ननिर्माण तथा ऊर्जीकरण कर 1125 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का पुर्नसृजन करते हुए 59.627 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण भी किया गया।

3:– राज्य योजना

वर्ष 2017–18 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में 1.045 कि0मी0 जल वितरण प्रणाली का निर्माण कर आवंटित धनराशि रू0 25.77 लाख व्यय किया गया।

जनपद में वर्षवार नलकूप सिंचन क्षमता एवं उपयोग वर्ष 2011–12 से 2017–18 तक

जनपद	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15	
	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग	क्षमता	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
नैनीताल	11605	16557	12340	17172	12940	16680	13540	16938
ऊधमसिंह नगर	25491	6383	27051	6658	27495	5930	28245	6114
चम्पावत	2136	1663	2286	1815	2361	2126	2511	2121
योग	39232	24603	41677	25645	42796	24736	44296	25173

जनपद	2015–16				2016–17				2017–18			
	क्षमता		उपयोग		क्षमता		उपयोग		क्षमता		उपयोग	
	नलकूप	लिफ्ट	नलकूप	लिफ्ट	नलकूप	लिफ्ट	नलकूप	लिफ्ट	नलकूप	लिफ्ट	नलकूप	लिफ्ट
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
नैनीताल	13765	–	18909	–	14053	–	18984	–	14145	161	19393	45.23
ऊधमसिंह नगर	30645	–	7830	–	31721	–	10275	–	35246		14247	–
चम्पावत	2511	–	2493	–	2611	86	1228	29.26	2611	142	2122.3	28.13
योग	46921	–	29232	–	48385	86	30487	29.26	52002	303	35762.3	73.36

उत्तराखण्ड जल संस्थान

वर्ष 2017–18 सैक्टरवार/जनपदवार अनुमादित/अवमुक्त एवं व्यय धनराशि का विवरण

धनराशि (लाख रू0)

क्र. स.	शाखा का नाम	सैक्टर	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**पिथौरागढ**	जिला सैक्टर	728.00	543.58	543.58
2		राज्य सैक्टर	621.54	374.81	374.81
3		केन्द्र पोषित	131.64	76.24	70.50
4		बाह्यसहायत्ति (देवी आपदा) NRDWP	184.56	184.56	171.21
1	**चम्पावत**	जिला सैक्टर	445.00	333.75	298.75
2		राज्य सैक्टर	0.00	0.00	0.00
3		केन्द्र पोषित	18.89	18.89	17.59
4		बाह्यसहायतित	0.00	0.00	0.00
1	**बागेश्वर**	जिला सैक्टर	281.84	281.84	281.84
2		राज्य सैक्टर	0.00	0.00	0.00
3		केन्द्र पोषित	0.00	0.00	0.00
4		बाह्यसहायतित	0.00	0.00	0.00
योग			**2411.47**	**1813.67**	**1758.28**

जल संस्थान का मुख्य उद्देश्य जल सम्भरण की योजनाऐं बनाना उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना है।
जल संस्थान के निम्न कृत्य हैः–

1. जहॉ साध्य हो वहॉ सीवर व्यवस्था, सीवेज सम्बन्धी शोधन और निस्तारण तथा व्यापारिक द्रव पदार्थ के शोधन की योजना बनाना, उसकी प्रोन्नति तथा निष्पादन और उसका प्रर्वतन।
2. अपने कार्य स्थलों का इस प्रकार प्रबन्ध करना जिससे कि अपनी अधिकारिता के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य प्रद जल मिल सके और साध्य हो वहॉ दक्ष सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवा की व्यवस्था की जा सके।
3. ऐसे अन्य उपाय करना जो किसी आपात के समय जल सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।
4. ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें राज्य सरकार गजट के अधिसूचना द्वारा उसे सौपे जा सके।

वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत्, एवं बागेश्वर में क्रमशः 05, 04, 02 नगरीय व क्रमशः 495, 245, 163 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है। इन पेयजल योजनाओं में क्रमशः 09, 08, 07 नग पम्पिंग पेयजल योजनाऐं एवं शेष क्रमशः 491, 241, 158 नग गुरूत्व आधारित पेयजल योजनाऐं है। उक्त के अतिरिक्त क्रमशः 848, 748, 531 नग इण्डिया माक्र–2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित है, जिनकी मरम्मत /रखरखाव का कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जाता है।

उत्तरांचल कूप :– विभाग द्वारा उत्तरांचल कूपों का अधिष्ठापन किया जाता है, जिससे जनता को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत्, बागेश्वर में

क्रमशः 0, 0, 01 नग उत्तरांचल कूप स्थापित किये गये इस प्रकार अब तक क्रमशः 238, 193, 114 कुल 545 कूपों का अधिष्ठापन किया जा चुका है।

स्टील इन्टेक चैम्बरः :– जनपद के अन्तर्गत जनता को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद के अर्न्तगत स्टील इन्टेक चैम्बरों का विभिन्न स्रोतों पर अधिष्ठापन कार्य कराया गया। वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत़, बागेश्वर में क्रमशः 181, 360, 29 नग स्टील इंटेक चैम्बर अधिष्ठापित किये गये है।

जनपद में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य पेयजल निगम के अतिरिक्त जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, स्वजल, मण्डी परिषद, एग्रो आदि द्वारा भी कराया जाता है, जिससे जनपद में खराब हैण्डपम्पों की सही जानकारी विभाग को नहीं मिल पाती है, यह कार्य एक ही विभाग द्वारा कराये जाते तो कार्य की गुणवत्ता के साथ–साथ जनता को योजना का पूरा लाभ प्राप्त हो जायेगा। जनपद की समस्त पूर्व निर्मित पूर्ण पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण कर जल संस्थान को हस्तगत कर दी गई है।

एकल पेयजल योजना :– त्वरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत् ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा एकल पेयजल योजना प्रारम्भ की गई है, इसमें एक ग्राम की पेयजल योजना को ग्राम पंचायत द्वारा स्वंय अनुरक्षण/देख–रेख हेतु हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है, ऐसी योजनाऐं जो एकल ग्राम पेयजल योजना होने के साथ–साथ ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित हो चुकी हों। योजना के अन्तर्गत् कुल लागत का 10 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत अंश तथा 90 प्रतिशत भाग में शासकीय धनराशि होती है। योजना के अन्तर्गत् विकास खण्डों से प्राप्त प्रस्तावों तथा स्वीकृत आगणनों की तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी विभाग से प्राप्त करने के पश्चात पेयजल विभाग से तकनीकी आख्या प्राप्त की जाती है, तदुपरान्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु निदेशालय प्रेषित किए जाने पर आवंटन प्राप्त किया जाता है और योजना ग्राम पंचायत स्तर से प्रारम्भ की जाती है।

वर्ष 2017–18 तक कुमाऊॅ मण्डल के जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत़ एवं बागेश्वर में पेयजल निगम द्वारा स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या क्रमशः 30, 133, 0, जलसंस्थान द्वारा स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या क्रमशः 848, 748, 531 है।

जल संस्थान का मुख्य उद्देश्य जल सम्भरण की योजनाऐं बनाना उनकी प्रोन्नति करना तथा उनका निष्पादन करना और जल सम्भरण की दक्ष प्रणाली को संचालित करना है।

जल संस्थान के निम्न कार्य हैं :–

1. जहॉ साध्य हो वहॉ सीवर व्यवस्था, सीवेज सम्बन्धी शोधन और निस्तारण तथा व्यापारिक द्रव पदार्थ के शोधन की योजना बनाना, उसकी प्रोन्नति तथा निष्पादन और उसका प्रर्वतन।

2. अपने कार्य स्थलों का इस प्रकार प्रबन्ध करना जिससे कि अपनी अधिकारिता के अर्न्तगत आने वाले क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य प्रद जल मिल सके और साध्य हो वहॉ दक्ष सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवा की व्यवस्था की जा सके।

3. ऐसे अन्य उपाय करना जो किसी आपात के समय जल सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।

4. ऐसे अन्य कृत्य जिन्हें राज्य सरकार गजट के अधिसूचना द्वारा उसे सौपे जा सके।

अध्याय – 12

उद्योग

नवम्बर, 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य से पृथक नवसृजित उत्तराखण्ड राज्य का यह भू–भाग वास्तविक रूप से ''शून्य उद्योग'' क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। राज्य गठन के पश्चात् भी आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक विकास को प्रमुख प्रवर्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश के अवसर उपलब्ध नहीं थे, जिसका प्रमुख कारण अवस्थापना सुविधाओं की कमी होने से निवेशकों का निवेश हेतु आकर्षित न होना था। उत्तराखण्ड राज्य के लिए घोषित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज जनवरी, 2003 से लागू किये जाने के फलस्वरूप, राज्य में औद्योगिकीकरण के नये युग का सूत्रपात हुआ।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 1999–2000 में द्वितीयक सैक्टर का अंश मात्र 19.7 प्रतिशत था, जो वर्ष 2013–14 में द्वितीयक सैक्टर का अंश 39 प्रतिशत से अधिक हो गया है (जिसमें मुख्य रूप से उद्योग सैक्टर सम्मिलित है)। इससे स्पष्ट है कि पृथक राज्य बनने के पश्चात् प्रदेश में औद्योगिक विकास अत्यन्त तीव्र गति से हुआ है और राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में इस सैक्टर का योगदान तेजी से बढ़ा है।

राज्य में देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों द्वारा औद्योगिक इकाईयों की स्थापना की गई है और इस समय ऑटो, फार्मा एवं एफएमसीजी क्षेत्र में देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित ब्रॉण्ड के उत्पाद राज्य में बन रहे हैं। अधिकतर औद्योगिक समूहों का मानना है कि उत्तराखण्ड राज्य का औद्योगिक वातावरण सर्वाधिक उपयुक्त है। इसलिये इन उद्योग समूहों द्वारा लगातार अपने निवेश में वृद्धि की जा रही है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष पैकेज वर्ष 2010 में समाप्त हो गया। वर्तमान में मात्र केन्द्रीय पूंजी निवेश उपादान सहायता योजना की वैधता अवधि 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध है। राज्य सरकार औद्योगिक नीतियों एवं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों एवं अवस्थापना कार्यकलापों को गतिशील बनाये जाने हेतु प्रयासरत है। उद्यमियों के लिये अनुकूल वातावरण का सृजन राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006) :– सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रोत्साहन, विकास एवं संवर्द्धन तथा इन उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है। यह अधिनियम भारत के राजपत्र दिनांक 16 जून, 2006 मे प्रकाशित हुआ है तथा अधिनियम के प्राविधान दिनांक 02 अक्टूबर, 2006 से प्रवर्त हो गये हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग शब्द के स्थान पर उद्यम शब्द का प्रयोग किया गया है तथा कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योगों को ''सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम'' के रूप में नये सिरे से परिभाषित किया गया है।

उद्यमों को दो श्रेणियों में निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया गया है:–

1–निर्माण एवं उत्पादन में संलग्न उद्यम (**Manufacturing Enterprises**)	प्लाण्ट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा
सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises)–	रु. 25 लाख तक
लघु उद्यम (Small Enterprises)–	रु. 25 लाख से रु. 5 करोड़ तक
मध्यम उद्यम (Medium Enterprises)–	रु. 5 करोड़ से रु. 10 करोड़ तक

2–सेवा क्षेत्र में संलग्न उद्यम (**Service Enterprises**)	उपकरणों में निवेश की सीमा
सूक्ष्म उद्यम (Micro Enterprises)–	रु. 10 लाख तक
लघु उद्यम (Small Enterprises)–	रु. 10 लाख से रु. 2 करोड़ तक
मध्यम उद्यम (Medium Enterprises)–	रु. 2 करोड़ से रु. 5 करोड़ तक

उद्योग आधार मैमोरेण्डम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा का.आ. 2576(अ)– सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 8 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 30 सितम्बर, 2006 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग प्, खंड 3, उपखंड (प्) में प्रकाशित दिनांक 29 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1643 (अ), का अतिक्रमण करते हुए, केन्द्र सरकार इस पक्ष में सलाहकार समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के उपरांत विनिर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इस अधिसूचना के साथ अनुबंध–1 के रूप में संलग्न फार्म में उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करेगा।

उद्योग आधार ज्ञापन प्रत्येक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित http://udyogaadhar.gov.in, उद्योग आधार पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल किया जायेगा लेकिन अपवादिक मामलों में जहॉ किसी कारण से आनलाइन फाइलिंग संभव नही है, वहॉ विधिवत भरे गए अनुबंध–1 के रूप में फार्म की हार्ड प्रति संबंधित जिला उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत की जाय जो ऐसे उद्यम की ओर से उद्योग आधार ज्ञापन आनलाइन फाइल करेगा।

एक ही आधार संख्या का प्रयोग कर एक से अधिक उद्योग ज्ञापन फाइल करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

उद्योग आधार ज्ञापन स्वघोषणा के आधार पर फाइल किया जायेगा और उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करते समय, समर्थन में कोई भी दस्तावेज अपलोड किया जाना अथवा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है लेकिन केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा ऐसा कोई व्यक्ति जिसे प्राधिकृत किया जाए, जहां अवश्यक हो, उद्योग आधार ज्ञापन में दी गयी सूचना के दस्तावेजी प्रमाण मांग सकता है।

उद्योग आधार मैमोरेण्डम फाईल के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

(पूंजी निवेश करोड़ रू0 में)

जनपद का नाम	वर्ष 2017–18 में फाईल किये गये उद्योग आधार मैमोरेण्डम	
	संख्या	पूंजी निवेश
नैनीताल	245	149.40
ऊधमसिंहनगर	521	146.50
अल्मोड़ा	184	28.69
पिथौरागढ़	175	7.44
बागेश्वर	125	4.96
चम्पावत	126	7.21
योग	**1376**	**344.2**

कार्यरत् वृहत उद्योगों की अद्यतन स्थिति

प्रदेश में पूर्ववर्ती राज्य से माह मार्च, 2018 तक कार्यरत् बृहद उद्योगों की संख्या 153 है, जिनमें रू. 17556.90 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 43977 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। जनपदवार कार्यरत् स्थापित बृहद उद्योगों की स्थिति निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	जनपद	कार्यरत् इकाईयां		
		संख्या	पूंजी विनियोजन (करोड़ रू. में)	रोजगार
1	ऊधमसिंहनगर	150	13887.89	40508
2	नैनीताल	3	3669.01	3469
	योग	**153**	**17556.90**	**43977**

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(PMEGP)

देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने एवं उन्हें स्वावलम्बी बनाने के दृष्टिगत देश के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) 15 अगस्त 2008 से प्रारम्भ किया गया है।

संचालित विभागः

योजना संयुक्त रूप से जिला उद्योग केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित की जा रही है।

1– जिला उद्योग केन्द्र द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में।

2– खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा केवल ग्रामीण क्षेत्रों में।

योजना के अवयवः

भारत सरकार द्वारा निर्धारित सूक्ष्म विनिर्माण/सेवा उद्यम के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियां।

पात्रताः

- 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवक/युवतियां एवं उद्यमी।

- उद्यम के निर्माण क्षेत्र में 10.00 लाख से अधिक की योजना एवं सेवा क्षेत्र में रू0 5 लाख से अधिक की योजना हेतु न्यूनतम योग्यता आठवीं पास।
- योजना के अन्तर्गत केवल नयी स्थापित इकाई को ही योजना का लाभ प्राप्त होगा। पुरानी/अन्य संस्था द्वारा पूर्व में अनुदान/सब्सिडी प्राप्त इकाईयों को योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नकारात्मक सूची में घोषित उद्योग पात्रता की श्रेणी में नहीं आयेंगे।

वित्तीय सहायता:

उद्योग क्षेत्र : अधिकतम रू0 25.00 लाख
सेवा क्षेत्र : अधिकतम रू0 10.00 लाख

मार्जिन मनी एवं अनुदान : भारत सरकार द्वारा निम्न प्रकार अनुमन्य किया गया है:–

योजनान्तर्गत लाभार्थियों के वर्ग	परियोजना लागत पर लाभार्थियों का अंशदान	सहायता दर	
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
सामान्य वर्ग	10%	15%	25%
अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/ भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक विकलांग	5%	25%	35%

नकारात्मक सूची:

- मंस (प्रशोधन, डिब्बाबंदी और परोसना) और नशीली सामाग्रियां(उत्पादन/निर्माण बिक्री)
- फसल उगाना, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, खादी और पालीवस्त्र आदि।
- पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी परियोजना

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना :–

- वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रथम माह में राज्य सरकार/खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी विज्ञापन निकाला जायेगा, जिसके माध्यम से आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे।
- जनपदों में जागरूकता शिविर आयोजित किये जायेंगे ताकि बेरोजगारो को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जा सके।
- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह जिला स्तरीय टास्कफॉर्स कमेटी (DLTFC) का आयोजन किया जायेगा, और निर्धारित लक्ष्य के डेढ़ गुणा अधिक आवेदनों का चयन कर उन्हें जून माह तक सम्बन्धित बैंक शाखाओं को स्वीकृत/संवितरण के लिये प्रेषित कर दिया जायेगा। बैंको द्वारा सभी मार्जिन मनी दावे माह नवम्बर तक नोडल बैंक को प्रेषित कर दिये जायेंगे ताकि माह जनवरी तक सभी मार्जिन मनी दावे निस्तारित किये जा सके।
- जिलाधिकारी द्वारा बीएलबीसी (BLBC), एसएलबीसी (SLBC) स्तर पर भी प्रत्येक माह योजना की समीक्षा की जायेगी।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की अद्यतन प्रगति दिनांक 31–3–2018 तक (वर्ष 2017–18)

(धनराषि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	लक्ष्य		स्वीकृत ऋण		वितरित मार्जिन मनी बैक लॉग सहित		रोजगार
		इकाई	मार्जिन मनी	सं0	धन0	सं0	धन0	
1	नैनीताल	84	168.00	178	403.03	98	206.24	784
2	ऊधमसिंहनगर	84	168.00	187	635.46	99	349.64	792
3	अल्मोड़ा	81	162.00	275	449.64	179	286.68	1432
4	पिथौरागढ़	82	164.00	273	338.89	138	190.03	1104
5	बागेश्वर	80	160.00	216	259.55	178	193.31	1424
6	चम्पावत	83	166.00	189	375.97	154	295.91	1232
योगः–		**494**	**988.00**	**1318**	**2462.54**	**846**	**1521.81**	**6768**

उद्योग मित्र

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–184/VII–2–15/146–एम.एस.एम.ई./2013 दिनांक 31 जनवरी, 2015 से प्राख्यापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 के प्रस्तर–10.1 एवं 10.2 में नीति के क्रियान्वयन हेतु नियंत्रण/ निगरानी तंत्र के अधीन राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति तथा राज्य स्तरीय समन्वय एवं अनुश्रवण समिति के गठन का प्राविधान किया गया है। नीति में उल्लिखित प्राविधानों के तहत मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की प्राधिकृत समिति तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति का गठन किया गया है।

राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति नीति विषयक मामलों तथा उन उद्योगों की विशेष समस्याओं पर चर्चा कर निर्णय लेगी, जिनमें विभागीय स्तर पर अथवा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित प्राधिकृत समिति में निर्णय सम्भव न हो सके। मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित राज्य उद्योग मित्र समिति में राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों/ नीतिगत विषयों को ही निर्णय हेतु विचार के लिये रखा जायेगा तथा राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति राज्य में होने वाले औद्योगिकीकरण तथा लम्बी अवधि से लम्बित मामलों की समीक्षा एवं उन पर निर्णय, औद्योगिक इकाईयों की रूग्णता दूर करने के प्रस्तावों पर विचार, औद्योगिक विकास में बाधक नियम/अधिनियम एवं शासनादेश, जिनमें शिथिलीकरण की आवश्यकता हो, से सम्बन्धित प्रस्तावों पर निर्णय तथा ऐसे बिन्दु/प्रस्ताव, जो एमएसएमई नीति में समाहित नहीं हैं, किन्तु उन्हें स्वीकार किया जाना औद्योगिक विकास के हित में है, पर विचार एवं निर्णय के लिये प्राधिकृत है। प्राधिकृत समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार आयोजित की जायेगी तथा बैठक के एजेण्डा में जिला उद्योग मित्र से सन्दर्भित प्रकरणों तथा उद्योग संघों से प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं को सम्मिलित किया जायेगा।

जिला स्तरीय उद्योग मित्र समिति के कार्यों में मुख्य रूप से जिला स्तर पर उद्योगों के प्रस्तावों पर सम्बन्धित विभागों से समय–सीमा के अन्तर्गत स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने की समीक्षा, एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन, उद्यमियों एवं औद्योगिक इकाईयों के लिये सुरक्षित एवं शान्तिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना तथा उद्यमियों की समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही एवं जिन मामलों को जिला स्तर पर निर्णित नहीं किया जा सका है, को राज्य स्तर पर विचार/निर्णय के लिये सन्दर्भित करना है। जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी।

जिला स्तरीय उद्योग मित्र की बैठकों का विवरण (2017–18)

जनपद का नाम	बैठकों की सं0
नैनीताल	3
ऊधमसिंहनगर	3
अल्मोड़ा	2
पिथौरागढ़	2
बागेश्वर	3
चम्पावत	4
योग	17

उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015

उत्तराखण्ड राज्य के सुदूर एवं पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन तथा क्षेत्र के समन्वित एवं समावेशी विकास के लिए वर्ष 2008 में विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 लागू की गई थी। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े व सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर उद्यमिता को अभिप्रेरित करते हुए उद्योग स्थापना को बढ़ावा देना था, ताकि रोजगार के सृजन के साथ–साथ पर्वतीय क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन दूर कर जनशक्ति के पलायन को रोका जा सके। इस नीति में वर्ष 2011 में कतिपय संशोधन भी किये गये।

राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, पर्वतीय क्षेत्र से जनशक्ति के पलायन को रोकने, स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों की स्थापना, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों के सृजन, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे राज्य हेतु ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015'' लागू की गई है।

यह नीति 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी। एमएसएमई नीति के प्रभावी होने/अधिसूचना जारी होने की तिथि से पात्र औद्योगिक इकाईयों को उपादान प्रारम्भ करने की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2025 तक, जो भी पहले हो, नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

वित्तीय प्रोत्साहन एवं छूट के रूप में चिन्हित गतिविधियों एवं क्रियाकलापों को निम्नलिखित सहायता/सुविधाएं प्रदान की गई हैं:–

निवेश प्रोत्साहन सहायता:– उद्यम के प्लांट व मशीनरी तथा कार्यशाला भवन में किये गये अचल पूंजी निवेश पर निम्नांकित श्रेणियों के अनुसार निवेश प्रोत्साहन सहायता अनुमन्य होगी:–

क्र.सं.	श्रेणी	प्रोत्साहन सहायता की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	40 प्रतिशत (अधिकतम रू. 40 लाख)
2	श्रेणी–बी एवं बी+	35 प्रतिशत (अधिकतम रू. 35 लाख)
3	श्रेणी–सी	30 प्रतिशत (अधिकतम रू. 30 लाख)
4	श्रेणी–डी	15 प्रतिशत (अधिकतम रू. 15 लाख)

ब्याज उपादान :

क्र.सं.	श्रेणी	अनुदान की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	10 प्रतिशत (अधिकतम रू. 08 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
2	श्रेणी–बी एवं बी+	08 प्रतिशत (अधिकतम रू. 06 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
3	श्रेणी–सी	06 प्रतिशत (अधिकतम रू. 04 लाख/प्रतिवर्ष/इकाई)
4	श्रेणी–डी	शून्य

मूल्यवर्धित कर (वैट) की प्रतिपूर्ति :

क्र.सं.	श्रेणी	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 90 प्रतिशत
2	श्रेणी–बी	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत
	श्रेणी–बी+	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत

स्टाम्प शुल्क में छूट :

क्र.सं.	श्रेणी	छूट की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	शत् प्रतिशत
2	श्रेणी–बी एवं बी+	शत् प्रतिशत
3	श्रेणी–सी	शत् प्रतिशत
4	श्रेणी–डी	50 प्रतिशत

विद्युत बिलों की प्रतिपूर्ति :

संयोजित विद्युत भार	श्रेणी–''ए''	श्रेणी–''बी'' व ''बी+''
	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा	प्रतिपूर्ति की मात्रा/सीमा
100 केवीए	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत् प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत	प्रथम 5 वर्ष के लिये शत् प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 60 प्रतिशत
100 केवीए से ऊपर	60%	50%

विशेष राज्य परिवहन उपादान :

क्र.सं.	श्रेणी	उपादान की मात्रा/सीमा
1	श्रेणी–ए	वार्षिक टर्नओवर का 7 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।
2	श्रेणी–बी	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अथवा कच्चा माल/तैयार माल के परिवहन माल भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।
	श्रेणी–बी+	वार्षिक टर्नओवर का 5 प्रतिशत अधिकतम रू0 5.00 लाख प्रतिवर्ष/प्रतिइकाई अथवा कच्चामाल/ तैयार माल के परिवहन भाड़े में किया गया वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत वर्ष 2017–18 में इकाईयों को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान सहायता का विवरण जनपदवार निम्नवत् हैः–

जनपद का नाम	इकाईयों की संख्या	धनराशि (लाख रू0 में)
नैनीताल	127	602.61
अल्मोड़ा	61	182.07
बागेश्वर	43	41.91
पिथौरागढ़	51	96.16
चम्पावत	17	35.05
योग	**299**	**957.8**

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को लघु उद्योग स्थापित करने एंव लघु उद्योगों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये प्रेरित करना है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाएं उद्यमियों को एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती हैं और इसके आधार पर अपने उद्यम के चयन, सरलता पूर्वक स्थापना एवं संचालन हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण सूचना स्त्रोतों की जानकारी भी उन्हें मिलती है।

इस कार्यक्रम में निम्न अवयव सम्मिलित हैं :

- विशिष्ट तकनीकी शोध, विकास एंव अन्य विशिष्ट संस्थाओं का समुचित सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रमों का आयोजन।
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अंग के अधीन जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारियों, सहायक प्रबन्धक स्तरीय कर्मचारियों का प्रशिक्षण।
- उद्यमियों तथा प्रशिक्षकों का फील्ड विजिट, जिसमें औद्योगिक दृष्टि से सफल औद्योगिक कलस्टरों एंव आदर्श उद्यमिता संस्कृति के क्षेत्रों का भ्रमण।
- जिला उद्योग केन्द्र को उद्यमियों के लिये आवश्यक सामयिक साहित्य, सूचना एंव नवीनतम प्रशिक्षण तकनीक एवं उपकरणों से सुसज्जित करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार आयोजित किये जा रहे हैं–

दो दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम : प्रत्येक जनपद में आवश्यकतानुसार तीन दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। इस कार्यक्रम में 15–20 व्यक्तियों के समूह में उद्योग स्थापना संबंधी जानकारी व मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

तीन साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम : ये कार्यक्रम यथासम्भव किसी विशिष्ट उद्योग के लिये 15–20 उद्यमियों के समूह में आयोजित किये जाते हैं। ये कार्यक्रम प्रायः तकनीकी ज्ञान व मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु आयोजित किये जा रहे हैं। इन्हें विशिष्ट तकनीकी संस्थाओं, जैसे आई0आई0टी0/इंजीनियरिंग कालेज, पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय, ई0एस0टी0सी0, आदि अन्य विभिन्न तकनीकी संस्थाओं से तथा जनपदों में योग्य एवं अनुभवी संस्थाओं के माध्यम से आवश्यकतानुसार संपादित कराये जाने का प्राविधान रखा गया है।

चार साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम : उद्यमिता प्रशिक्षण हेतु उद्यमिता के क्षेत्र में शीर्ष राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संस्थाओं जैसे उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थान, इण्डियन इन्सटीट्यूट आफ इण्टरप्रनियॉरशिप गुवाहाटी, आसाम आदि से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में 20–25 व्यक्तियों के समूह को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

एकल खिड़की व्यवस्था
(SINGLE WINDOW SYSTEM)

- उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों/स्वीकृतियों/ अनापत्तियों/अनुज्ञां के लिये सूचना, मार्ग–दर्शन, आवेदन–पत्रों की उपलब्धता तथा आवेदन–पत्रों के केन्द्रीय व समयबद्ध निस्तारण के लिए एकल खिड़की सम्पक्र, सूचना एवं सुगमता व्यवस्था दिनांक 21 दिसम्बर, 2015 से लागू।
- उद्यम स्थापना हेतु विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनापत्तियों तथा अनुज्ञां के लिये अनुमोदित प्रस्तावों पर सैद्धांतिक सहमति की अधिकतम समय–सीमा 15 दिन।
- उद्यम के संचालन हेतु वांछित अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनापत्तियों हेतु अधिकतम 30 दिन की समय–सीमा निर्धारित।
- उद्यम स्थापना हेतु वांछित स्वीकृतियों के लिए कॉमन एप्लीकेशन फार्म–1 तथा उद्यम संचालन के लिए कॉमन एप्लीकेशन फार्म–2 पर आवेदन का प्राविधान।

- कॉमन एप्लीकेशन फार्म–1 पर आवेदन हेतु दिनांक 2–3–2016 से विभागीय पोर्टल investuttarakhand.com पर ऑनलाईन व्यवस्था।
- कॉमन एप्लीकेशन फार्म–1 पर आवेदक द्वारा किये गये आवेदन के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग के अभिमत/निर्णय हेतु 15 दिन की समय सीमा निर्धारित।
- आवेदन के लिए जनपद स्तर पर सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र तथा राज्य स्तर पर उद्योग निदेशालय स्थित राज्य स्तरीय उद्योग मित्र प्रकोष्ठ नोडल एजेन्सी नामित।
- पूर्णरूप से भरे हुये आवेदन पत्रों पर किसी विभाग द्वारा निर्धारित समय–सीमा में कार्यवाही न किये जाने पर डीम्ड स्वीकृति का प्राविधान।
- निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यवाही न करने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के प्राविधान।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के निवेश प्रस्तावों पर निर्णय हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला प्राधिकृत समिति तथा बृहत उद्यमों के प्रस्तावों पर निर्णय हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य प्राधिकृत समिति अधिकृत।
- विभागों/जिला प्राधिकृत समिति के निर्णयों के विरूद्ध राज्य प्राधिकृत समिति को तथा राज्य प्राधिकृत समिति के निर्णय के विरूद्ध सरकार को अपील करने का प्राविधान।
- उद्यमियों की समस्याओं तथा जिज्ञासाओं के त्वरित निस्तारण हेतु उद्योग निदेशालय में अलग से टॉल–फ्री नम्बर 18002701213 स्थापित।

हथकरघा योजनायें

एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजना

(Integrated Development and Promotion of Handicrafts)

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के शिल्पियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 11 जनपदों के 15 विकासखण्डों के 24300 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिल्पियों को विभिन्न शिल्पों में प्रोत्साहित किये जाने हेतु रू0 30 करोड़ की परियोजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत निम्न कार्य सम्पादित किये जा रहे हैंः– वर्क

डिजाइन वर्कशॉप :– प्रत्येक ब्लॉक में 10 डिजाइन वर्कशॉप आयोजित की जायेंगी।

लोकल लेवल मार्केटिंग वर्कशॉप :– प्रत्येक ब्लॉक में 2 लोकल लेवल मार्केटिंग वर्कशॉप आयोजित की जायेंगी।

सीएफसी :– सभी 15 ब्लॉकों में शिल्पियों को एक ही स्थान पर सभी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा सामान्य सुविधा केन्द्र हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

एकीकृत डिजाइन वर्कशॉप :– प्रत्येक ब्लॉक में 3 कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

प्रदर्शनियॉ :– शिल्पों के प्रोत्साहन हेतु राज्य में 15 प्रदर्शनियॉ विकासखण्ड स्तर पर आयोजित की जानी है।

स्टेट लेविल माक्रेटिंग वर्कशॉप :– राज्य के शिल्पियों को राज्य स्तर पर विपणन से सम्बन्धित जानकारी दिये जाने हेतु 2 सेमीनार आयोजित किये जाने हैं।

बायर–सेलर मीट :– शिल्पियों द्वारा उत्पादित किये गये उत्पादों को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराये जाने हेतु दो क्रेता–विक्रेता सम्मेलन आयोजित किये जाने हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बायर–सेलर मीट :– शिल्पियों द्वारा उत्पादित किये गये उत्कृष्ट उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर परिचित कराने के उद्देश्य से एक अन्तर्राष्ट्रीय क्रेता–विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय वर्कशॉप :– शिल्पियों को राष्ट्रीय स्तर पर विपणन की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक अन्तर्राष्ट्रीय वर्कशॉप आयोजित की जायेगी।

टूल किट :– शिल्पियों को विभिन्न शिल्प उत्पाद तैयार किये जाने हेतु 5000 शिल्पियों को टूल किट उपलब्ध कराये जायेंगे।

एकीकृत हस्तशिल्प विकास एवं प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त शिल्पियों एवं गठित एसएचजी/सहकारी समितियों का विवरण

क्र0स0	जनपद	विकासखण्ड	प्रशिक्षण प्राप्त शिल्पियों की संख्या	एसएचजी/सहकारी समिति में सदस्यों की संख्या
1.	पिथौरागढ़	मुनस्यारी	240	168
		धारचूला	150	123
2.	ऊधमसिंहनगर	खटीमा	240	199
		जसपुर	300	148
3.	नैनीताल	हल्द्वानी	100	100
4.	बागेश्वर	बागेश्वर	150	88
5.	अल्मोडा	हवालबाग	240	147
योग			1420	973

हरि प्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान :

- राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के परम्परागत शिल्पों के प्रोत्साहन हेतु गरूड़ाबांज, अल्मोड़ा में हरि प्रसाद टम्टा पारम्परिक शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना की जा रही है, जिसके अन्तर्गत राज्य के परम्परागत शिल्पों के सरंक्षण, संवर्द्धन, प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण आदि पर कार्य किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना :

- योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के परम्परागत शिल्प कला के सरंक्षण, संर्वद्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्य बनाये रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशीलता, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले सिद्ध हस्त शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से शिल्पियों को उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना वर्ष 2015–16 से प्रारम्भ की गयी है।

नन्दा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिये रिवाल्विंग फण्डः

- प्राकृतिक रेशा एवं हथकरघा क्षेत्र पर आधारित उत्पादों के विकास एवं विपणन के साथ–साथ हथकरघा बुनकरों के उद्यमिता विकास एवं उत्कृष्ट प्रशिक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से ग्राम–मटेना, जनपद–अल्मोड़ा में नन्दा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है।

औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार व प्रचार–प्रसार

प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के प्रदर्शन, औद्योगिक नीति के प्रचार–प्रसार तथा राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से अंतराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों, यथाः भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली (प्रत्येक वर्ष 14–27 नवम्बर) में राज्य की सहभागिता सुनिश्चित कर प्रदेश ने अपनी पहचान बनाई है। भारत अंतराष्ट्रीय व्यापार मेला, जो प्रतिवर्ष माह नवम्बर में प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, में राज्य द्वारा भाग लिया जाता है। कुटीर, दस्तकारी, लघु, हथकरघा एवं हस्तशिल्प इकाईयों को व्यापार व विपणन प्रोत्साहन हेतु प्रदेश व प्रदेश के बाहर आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों/प्रदर्शनियों, यथाः नेशनल हेण्डलूम एक्सपों, स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो, क्राफ्ट बाजार, गॉधी शिल्प बाजार, शरदोत्सव/ग्रीष्मोत्सव व प्रदेश के पारम्परिक मेलों मे विभाग द्वारा प्रदर्शनियां/गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं।

भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 14–27 नवम्बर, 2017 तक आयोजित किया गया। इस वर्ष प्रदर्शनी का थीम ''स्किल ऑफ इण्डिया'' थी। मेले में राज्य के उद्योग, लघु उद्यम, हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण के 90 स्टॉल स्थापित किये गये।

25 दिसम्बर, 2017 से 7 जनवरी, 2018 तक उत्तरकाशी में तथा दिनांक 15–28 जनवरी, 2018 तक हल्द्वानी में स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो का आयोजन किया गया। दिनांक 16–28 फरवरी, 2018 तक दिल्ली हाट, नई दिल्ली में राज्य के शिल्पियों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु एक प्रदर्शनी का आयोग विभाग द्वारा किया गया।

दिनांक 9–22 मार्च, 2018 तक रूद्रपुर में स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो तथा 20 मार्च, 2018 से 2 अप्रैल, 2018 तक काशीपुर में स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो का आयोजन किया गया।

विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता में वृद्धि किये जाने हेतु औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, गोष्ठी, सेमीनार योजनान्तर्गत कार्यशाला/गोष्ठी/सेमीनार आदि का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रदान कराया गया है।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प कारीगर व बुनकरों के उत्पादों के विपणन प्रोत्साहन हेतु एवं बुनकरों एवं शिल्पियों को सुलभ बाजार उपलब्ध कराने व उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रदेश के प्रमुख यात्रा मार्गो/पर्यटन केन्द्रों तथा देहरादून, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, हरिद्वार, काशीपुर एवं अल्मोड़ा में स्थापित विपणन केन्द्रों के माध्यम से ''हिमाद्रि'' ब्राण्ड नेम के उत्पादों का विपणन एवं प्रदर्शन किया जा रहा है।

महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित उत्पादों की माक्रेटिंग की सुविधा प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से **himani.org** नाम से पोर्टल तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों की **snapdeal** के माध्यम से भी विपणन की व्यवस्था की गई है।

हथकरघा एवं हस्तशिल्प कारीगर व बुनकरों के उत्पादों के विपणन प्रोत्साहन हेतु एवं बुनकरों एवं शिल्पियों को सुलभ बाजार उपलब्ध कराने व उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रदेश के प्रमुख यात्रा मार्गो/पर्यटन केन्द्रों तथा देहरादून, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, श्रीनगर (गढ़वाल), हरिद्वार, काशीपुर एवं कसारदेवी व मालरोड (अल्मोड़ा) में स्थापित विपणन केन्द्रों के माध्यम से ''हिमाद्रि'' ब्राण्ड नाम के उत्पादों का विपणन एवं प्रदर्शन किया जा रहा है।

ग्रामोद्योग

विभाग का परिचय –

उत्तराखण्ड बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य सरकार व जनता के मध्य सामंजस्य रखते हुए बोर्ड की योजनाओं को लागू करना है, खादी एवं ग्रामोद्योग सैक्टर के अन्तर्गत ग्रामीण बेरोजगार युवक–युवतियों को उनकी अभिरूचि के अनुरूप स्वरोजगार सीापनार्थ भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से प्राप्त योजनाओं से तकनीकी कौशल/विकास प्रशिक्षण उपरान्त बैंकों के माध्यम से वित्त की व्यवस्था की जाती है व उत्पादित माल के विपणन में समुचित सहयोग दिया जाता है।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योग सैक्टर के अन्तर्गत मुख्यतः दो योजनाएं संचालित की जाती है।

(अ) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (पी0एम0ई0जी0पी0)।

(ब) व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान योजना ।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना – वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर के अन्तर्गत क्रमशः 25, 24, 24, 25, 24, 26 भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष क्रमशः 26, 45, 36, 62, 77, 42 पूर्ति व बैंकों द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 (लाख में) 218.43, 179.37, 465.91, 319.29, 285.36, 522.28 लाख के सापेक्ष क्रमशः रू0 (लाख में) 69.91, 63.60, 153.09, 11.93, 166.25 लाख मार्जिन मनी वितरित कर क्रमशः 140, 125, 292, 228, 192 ,320 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

ब्याज उपादान योजना – वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर, के अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य इकाई संख्या क्रमशः 35, 10, 50, 0,35 ,25 के सापेक्ष क्रमशः इकाई संख्या 10, 08, 16, 0, 18, 15 को विभिन्न बैंकों के माध्यम से क्रमशः 36.00, 30.00, 62.00, 0.00, 43.00, 56.50 लाख रूपये का ऋण वितरित करते हुए क्रमशः 31, 30, 62, 0, 44, 69 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा जिला योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि क्रमशः 10.68, 26.42, 28.95, 16.52, 15.35 एवं 9.90 लाख रूपये विगत पॉच वर्षों में वित्तपोषित उद्यमियों के पक्ष में ब्याज उपादान के रूप में व्यय की गई

इस प्रकार दोनों योजनाओं में वर्ष 2017–18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर में क्रमशः 171, 155, 354, 228, 236, 389 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

खादी वस्त्रों की बिक्री – वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर के अन्तर्गत क्रमशः 13, 05, 08, 01, 02, 13 संस्था/समितियों द्वारा क्रमशः रू0 416.97, 134.59, 237.26, 252.77, 58.77, 515.60 (लाख में) लाख की बिक्री कर क्रमशः रू0 (लाख में) 40.70, 12.48, 20.85, 2.25,5.20, 51.09 लाख प्रान्तीय रिवेट उपलब्ध कराया गया है।

कौशल विकास प्रशिक्षण – वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंह नगर, के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा, में 20 व्यक्तियों को खादी कताई का प्रशिक्षण क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग, अल्मोड़ा के मार्गदर्शन में दिया गया प्रशिक्षण में 01 कुन्तल रुई दी गयी जिसकी कीमत रु0 40,000.00 है। जनपद अल्मोड़ा तथा जसपुर में 05– 05 व्यक्तियों को वस्त्र बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया प्रशिक्षण में 20, 20 कि0ग्रा0 धागा दिया गया जिसकी कीमत रु0 0.10 लाख है। तथा जनपद अल्मोड़ा एवं उधमसिंहनगर मे 01–01 डिजायनर की तैनाती की गयी, जिन्हें डिजायन बनाने हेतु सभी खर्चों सहित 1.75–1.75 लाख कुल 3.50 लाख का व्यय किया जा रहा है।

अध्याय – 13

विद्युत

"विद्युत" आधुनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गयी हैं। देश के आर्थिक विकास में विद्युत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। संचार, परिवहन, मनोरंजन, कृषि, औद्योगिकरण के अतिरिक्त घरेलू उपयोग में विद्युत का उपभोग अनिवार्य होता जा रहा है। विद्युत व्यवस्था के निर्बाध एवं उच्च गुणवत्ता की आपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य के कुमायूँ मण्डल में पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पी.टी.सी.यू.एल.) का क्षेत्रीय कार्यालय 220 के0वी0 उपकेन्द्र परिसर कमलुवागांजा, हल्द्वानी में स्थित है जिसके अन्तर्गत 02 मण्डल स्तरीय कार्यालय हल्द्वानी एवं काशीपुर में स्थित है। हल्द्वानी मण्डल के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय कार्यालय हल्द्वानी, पन्तनगर, सितारगंज एवं अल्मोड़ा तथा काशीपुर मण्डल के अन्तर्गत खण्ड स्तरीय कार्यालय 400 के0वी0 काशीपुर, 132 के0वी0 काशीपुर एवं महुवाखेड़ागंज में स्थित हैं।

कुमायूँ क्षेत्र में पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पी.टी.सी.यू.एल.) द्वारा 17 विद्युत उपकेन्द्रों का संचालन किया जा रहा हैं जो कि कुमायूँ मण्डल के विभिन्न जनपदों – ऊधमसिंह नगर में (400 के0वी0 का एक, 220 के0वी0 के दो एवं 132 के0वी0 के सात) कुल 10 उपकेन्द्र, नैनीताल में (220 के0वी0 का एक एवं 132 के0वी0 के तीन) कुल 4 उपकेन्द्र, अल्मोड़ा में 132 के0वी0 के 2 उपकेन्द्र एवं पिथौरागढ़ मे 132 के0वी0 का 1 उपकेन्द्र में स्थित है जिनकी कुल क्षमता 3200 एम0वी0ए0 हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के अन्तर्गत 1122.168कि0मी0 (107.700 कि0मी0–400 के0वी0, 273.484 कि0मी0–220 के0वी0 एवं 740.984 कि0मी0–132 के0वी0) उच्च विभव की पारेषण लाईनों का अनुरक्षण एवं परिचालन भी पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पी.टी.सी.यू.एल.) की कुमायूँ इकाई द्वारा किया जा रहा है।

विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार लाने एवं बढ़ती मांग को दृष्टिगत रखते हुए जनपद बागेश्वर के बागेश्वर में 6X7 एम0वी0ए0 क्षमता का एक 132 के0वी0 उपकेन्द्र एवं 43.06 कि0मी0 132 के0वी0 रानीखेत–बागेश्वर लाईन, जनपद चम्पावत के लोहाघाट में 2X20 एम0वी0ए0 क्षमता का एक 132 के0वी0 उपकेन्द्र एवं 41.347 कि0मी0 132 के0वी0 पिथौरागढ –लोहाघाट लाईन, जनपद पिथौरागढ़ के बरम (जौलजीवी) में 2X25 एम0वी0ए0 क्षमता का एक 220 के0वी0 उपकेन्द्र एवं 21.956 कि0मी0 220 के0वी0 धौलीगंगा–पिथौरागढ(पावरग्रिड) लाईन का बरम उपकेन्द्र में लिलो लाईन एवं जनपद ऊधमसिंहनगर के जाफरपुर में 2X50 एम0वी0ए0 क्षमता का एक 220 के0वी0 उपकेन्द्र एवं 8.400 कि0मी0 220 के0वी0 काशीपुर–पन्तनगर लाईन का जाफरपुर उपकेन्द्र में लिलो लाईन का निर्माण भी किया जा रहा हैं।

ओवरलोडिंग की समस्या को दूर करने के लिए क्षेत्र में स्थित 400 के0वी0 उपकेन्द्र –काशीपुर, 132 के0वी0 उपकेन्द्र–जसपुर, 132 के0वी0 उपकेन्द्र–किच्छा, 132 के0वी0 उपकेन्द्र –पिथौरागढ़ एवं 220 के0वी0 उपकेन्द्र–कमलुवागांजा (हल्द्वानी) की क्षमतावृद्धि की जा रही हैं जिन्हें जून 2019 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त कुमायूँ क्षेत्र में 220 के0वी0 महुवाखेड़ागंज–काशीपुर (400 के0वी0) सक्रिट । एवं ।। लाईन, 132 के0वी0 खटीमा–पीलीभीत लाईन, 132 के0वी0 किच्छा–सितारगंज, 132 के0वी0 सितारगंज (पावरग्रिड) –सितारगंज (ऐल्डिको) लाईन में स्थापित कण्डक्टर को उच्च क्षमता के एच0टी0एल0एस0 कण्डक्टर द्वारा बदलने के कार्य हेतु निविदाएं आमन्त्रित की जा रही है जिन्हें सितम्बर 2019 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 (पी.टी.सी.यू.एल.) कुमायूँ क्षेत्र के अन्तर्गत निर्बाध एवं उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति हेतु कृत संकल्प हैं जिसे प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा अथक प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में पी.टी.सी.यू.एल. की विद्युत उपलब्धता लगभग 99.50 प्रतिशत हैं।

जल विद्युत

1. **<u>विभाग का परिचय एवं विस्तार</u>** – पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन ऊर्जा सुधार एवं अन्तरण अधिनियमों के अन्तर्गत वर्ष 2000 में हो गया था। फलस्वरूप जल विद्युत निगम, पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उत्पादन निगम का सृजन हुआ। उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद 09.11.2001 से उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड क्रियाशील हुआ। कालान्तर में, जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों में कार्य करने के उद्देश्य से यूजेवीएन लिमिटेड की स्थापना की गयी। वर्तमान में यूजेवीएन लिमिटेड दिनांक 04.04.2011 से प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं उत्पादन के अतिरिक्त सौर ऊर्जा बगास आधारित परियोजनाओं पर भी कार्यरत है एवं गैस चलित ताप विद्युत परियोजनाओं एवं कोल ब्लाक आवंटन क्षेत्र में भी प्रयासरत है। प्रदेश के दुर्गम एवं सीमान्त क्षेत्रों में विद्युत वितरण कार्यों में यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा सफलता पूर्वक कार्य किया गया। सम्पूर्ण कुमायूँ मण्डल क्षेत्र में लघु, मध्यम, बृहद परियोजनाओं के विकासार्थ पिथौरागढ़ में मण्डल कार्यालय क्रियाशील है।

2. **<u>विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का वित्तीय पोषण</u>** – उत्तराखण्ड सरकार के नीतियों के अनुरूप पूर्ववर्ती खण्ड धारचूला एवं थल के अन्तर्गत उत्पादनरत कुल 11.33 मे0वा0 क्षमता की 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को हस्तान्तरण कर दिया गया है। जबकि 1150 कि0वा0 दुर्गापुर परियोजना को नगर पालिका परिषद, नैनीताल को हस्तान्तरित किया गया। वर्तमान में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य चल रहा हैः–

1. तहसील मुनस्यारी के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित 2X2.5 मे0वा0 सुरिनगाड़ द्वितीय चरण लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य।

2. 12 मे0वा0 तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील धारचूला की डी0पी0आर पूर्ण एवं लैण्ड केस ऑनलाईन फाइल कर दी गयी है।

3. 15 मे0वा0 पैनागाड़ लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील, मुनस्यारी की डी0पी0आर0 का अनुमोदन अपेक्षित।

4. 12 मे0वा0 जुम्बागाड़ लघु जल विद्युत परियोजना, तहसील, मुनस्यारी की डी0पी0आर0 का अनुमोदन अपेक्षित।

5. 120 मे0वा0 सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना, तहसील, मुनस्यारी – अनुसंधान एवं नियोजन चरण में।

6. 230 मे0वा0 की सेलाउथिंग जल विद्युत परियोजना, तहसील धारचूला – सर्वेक्षण एवं अनुसंधान चरण में।

उपरोक्त के अतिरिक्त कुमायूँ मण्डल में नदेही एवं बाजपुर शुगर मिल पर क्रमशः 16 मे0वा0 एवं 22 मे0वा0 क्षमता की बगास आधारित विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु उत्तरांचल शुगर्स से अनुबन्ध हस्ताक्षरित कर लिये गये हैं। निविदा आमंत्रण हेतु कार्य प्रगति पर है।

3. **विभागीय कार्यों पर गत वर्षों के सापेक्ष प्रगति एवं समीक्षात्मक आलेख** – वर्ष 2013–14 की अपेक्षा उपरोक्त विकासाधीन एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं पर वर्ष 2014–15 में बेहतर एवं तीव्र गति से कार्य हुये परन्तु 16 एवं 17 जून 2013 को आयी प्राकृतिक आपदा के चलते उत्पादनरत परियोजनाओं सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं को अभूतपूर्व क्षति पहुॅची। प्राकृतिक आपदा के उपरान्त यथा सम्भव प्रयास करते हुये सुरिनगाड़ द्वितीय चरण लघु जल विद्युत परियोजना, तांकुल लघु जल विद्युत परियोजना एवं सिरकारी भ्योल रूपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिये गये हैं जबकि 1.2 मे0वा0 की कूलागाड़ परियोजना का जीर्णोधार, 2 मे0वा0 की कंचोटी परियोजना का पुर्ननिर्माण कार्य एवं 8 मे0वा0 की सोबला परियोजना का पुर्नवास कार्य के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

4. **रोजगार सृजन** – परियोजनाओं के निर्माण एवं कमीशिनिंग के उपरान्त उत्पादन हेतु परिचालकीय वर्ग के कार्मिकों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में आउट सोर्सिंग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) से कार्मिकों को अनुबन्धित कर स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाताहै। समय–समय पर राज्य सरकार के आदेशानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन प्रक्रिया भी सम्पादित की जाती है। अवर अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं की सीधी भर्ती का भी प्राविधान है।

अध्याय – 14

मार्ग परिवहन तथा संचार

आर्थिक विकास तथा जनजीवन के स्तर को उन्नत करने में मार्ग परिवहन तथा संचार सेवाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन उपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं को उपलब्ध कराने तथा जनजीवन के समग्र विकास में सड़कें एवं परिवहन प्रमुख भूमिका अदा करते है। इनके अतिरिक्त इसके द्वारा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते है। संचार साधनों द्वारा पारस्परिक सम्पक्र की सुविधा प्राप्त होने के अतिरिक्त जीवन अधिक सुविधापूर्ण एवं मनोरम बनता है।

वर्ष 2017–18 तक इस मण्डल में कुल सड़कों की लम्बाई तथा निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	मद	इकाई	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	ऊधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
i	राष्ट्रीय राजमार्ग	किमी0	308	128.4		204	76	125	**841.40**
ii	प्रादेशिक राजमार्ग	किमी0	781.99	459.64	372.23	131.39	217.65	258.92	**2221.82**
iii	मुख्य जिला सड़कें	किमी0	247.14	93.23	229.86	110.67	43.60	125.50	**850.00**
iv	अन्य जिला सड़कें	किमी0	713.11	171.46	109.15	82.94	120.86	17.89	**1215.41**
v	ग्रामीण सड़कें	किमी0	1614.95	2083.38	1291.13	1785.82	436.40	492.21	**7703.89**
vi	हल्का वाहन मार्ग	किमी0	27.72	137.37	73.05		5.50	38.10	**281.74**
vii	सीमा सड़क संगठन के अन्तर्गत मोटर सड़कें	किमी0	0	0	223.00	0	0	120.00	**343.00**
viii	जिला पंचायत	किमी0	0	291.91	0	217.17	0	0	**343.00**
ix	शहरी स्थानीय निकाय तथा अन्य	किमी0	16.45	160.13	53.50	766.35	19.70	48.67	**1064.80**
x	सिंचाई विभाग	किमी0	0	138.45	0	618.19	0	0	**756.64**
xi	गन्ना विभाग	किमी0	0	46.53	0	387.51	0	0	**434.04**
xii	वन विभाग	किमी0	119.59	677.84	11.30	0	37.00	252.31	**1098.04**

प्रतिलाख जनसंख्या पर कुमायूँ मण्डल में पक्की सड़कों की लम्बाई 389.23 किमी0 है। कुमायूँ मण्डल के जनपदों में प्रतिलाख जनसंख्या पर पक्की सड़कों की लम्बाई चम्पावत में 534.62 किमी0, नैनीताल में 476.82 किमी0, अल्मोड़ा में 601.28 किमी0, पिथौरागढ़ में 401.48 किमी0, बागेश्वर में 320.00 किमी0 तथा ऊधमसिंह नगर 242.90 किमी0 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कुमायूँ मण्डल में प्रति हजार वर्ग किमी0 पर पक्की सड़कों की लम्बाई 782.57 किमी0 है। कुमायूँ मण्डल के जनपदों में ऊधमसिंह नगर में 1575.58 किमी0, नैनीताल में 1070.75 किमी0, अल्मोड़ा में 1192.42 किमी0, चम्पावत में 786.04 किमी0, बागेश्वर में 370.29 किमी0 तथा पिथौरागढ़ में मात्र 273.75 किमी0 है। क्षेत्रफल के आधार पर जनपद पिथौरागढ़ में सड़कों की लम्बाई बहुत कम है।

जनपद पिथौरागढ, बागेश्वर में सड़कों की लम्बाई अपेक्षाकृत कम है। जिसका कारण यह है कि इन जनपदों का अधिकांश उत्तरी क्षेत्र हिमाच्छादित रहता है जहॉ पर जनसंख्या नगण्य है। अतः वहॉ सड़क निर्माण की कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती है।

रेल लाइनें :– मण्डल का अधिकांश भाग पर्वतीय है जिसमें रेल लाइनों का बिछाया जाना सम्भव नहीं है। जनपद चम्पावत, नैनीताल के मैदानी क्षेत्र में 3 रेलवे लाईनें उ0प्र0 के मैदानी क्षेत्र से आकर क्रमशः टनकपुर, काठगोदाम तथा रामनगर पर समाप्त हो जाती है, जिसमें सभी स्टेण्डर्ड व मीटर गेज की लाइनें हैं। मण्डल के भीतर पड़ने वाली रेल लाईनों की कुल लम्बाई 212 किमी0 है, इन रेल लाईनों द्वारा न केवल यातायात की सुविधा उपलब्ध होती है अपितु इस मण्डल से कच्चा माल जैसे लकड़ी, पत्थर तथा अन्य वन उत्पाद आदि को मैदानी भागों को ढोने तथा मैदानी भागों से खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं को यहॉ तक पहुॅचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है।

संचार सेवायें :– वर्ष 2016–17 तक कुमायूॅ मण्डल में 1148 डाक घर स्थापित हैं। कुमायूॅ मण्डल के अल्मोड़ा में 320, पिथौरागढ़ में 323, नैनीताल में 159, बागेश्वर में 152, ऊधमसिंह नगर में 111 तथा चम्पावत में 83 डाकघर है। कुमायूॅ मण्डल में टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या 62506 है। जिसमें से सर्वाधिक 42573 जनपद ऊधमसिंह नगर में टेलीफोन कनैक्शन हैं। 5511 जनपद अल्मोड़ा में, 9289 जनपद नैनीताल में, 830 जनपद चम्पावत में, 3398 जनपद पिथौरागढ़ तथा बागेश्वर में 905 टेलीफोन कनैक्शन हैं।

मण्डल में जनपद ऊधमसिंहनगर व नैनीताल में संचार सुविधायें अधिक हैं तथा जनपद अल्मोडा, बागेश्वर, पिथौरागढ पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र हैं एवं जनपद चम्पावत का अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र होने पर भी क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के अनुपात में सुविधायें अपेक्षाकृत अधिक हैं।

अध्याय – 15

पर्यटन

कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र का सबसे सुन्दर एवं आकर्षक क्षेत्र है। जनपद ऊधमसिंह नगर के तराई क्षेत्र से आरम्भ होकर पिथौरागढ़ के अन्तिम छोर तक अनेक ऊँची–नीची पर्वतमालाएं एवं शस्यश्यामला वसुन्धरा के बीच यह मण्डल अपने में एक विशेष आकर्षण प्रस्तुत करता है। यहॉ से कैलाश एवं मानसरोवर के दुर्गमपथ, ऊँची–नीची पर्वत मालायें एवं ग्लेशियर के मनोरंजक स्थल देश–विदेश के पर्यटकों को बरबस आकर्षित करते हैं।

जनपद नैनीताल में नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, नेशनल कार्बेट पार्क रामनगर तथा मुक्तेश्वर मुख्य पर्यटन स्थल तथा कैंची धाम, हैड़ाखान मुख्य धार्मिक स्थल हैं। जहॉ प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक/श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर में सिक्खों का प्रमुख धार्मिक स्थल नानकमत्ता, काशीपुर में द्रोण सागर तथा गिरिताल पर्यटकों का मुख्य आकर्षक स्थल है। रूद्रपुर में झील का निर्माण स्वीकृत हुआ है जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा। काशीपुर में मॉ दुर्गा का प्रति रूप चैती माई का मन्दिर है। जहॉ प्रतिवर्ष चैत्रमास में 15 दिन का धार्मिक तथा पर्यटक मेला आयोजित होता है।

जनपद अल्मोड़ा में लोगों की आस्था का प्रतीक चितई स्थित गोलू मन्दिर प्रमुख धार्मिक स्थल है। अल्मोड़ा, शीतलाखेत, बिनसर तथा रानीखेत प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। अल्मोड़ा स्थिति जागेश्वर में प्राचीन मन्दिर समूह, बिनसर महादेव में शिव मन्दिर तथा गणनाथ में प्राचीन शिव मन्दिर हैं। दूनागिरि में प्राचीन धार्मिक स्थल है जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

जनपद बागेश्वर में कौसानी विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। बैजनाथ पुरातात्विक स्थल, पिण्डारी, कफनी पर्वतारोहण के प्रसिद्ध स्थल, विजयपुर, कांडा दर्शनीय स्थल तथा बागेश्वर जो सरयू व गोमती का संगम स्थल है, में बागनाथ का प्राचीन मन्दिर धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है।

जनपद पिथौरागढ में चौकोड़ी, बेरीनाग, पाताल भुवनेश्वर तथा गंगोलीहाट में मॉ कालिका देवी मन्दिर, ध्वज में देवी का प्रसिद्ध मन्दिर स्थित है। पिथौरागढ़, चण्डाक, थल केदार, नारायण आश्रम, मुनस्यारी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं।

जनपद चम्पावत में लोहाघाट मायावती आश्रम, बाणासुर का किला, श्यामलाताल, रीठासाहब में सिक्खों का प्रसिद्ध गुरूद्वारा तथा देवीधुरा में प्रसिद्ध बाराही मन्दिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है। श्री पूर्णागिरि में श्री पूर्णा देवी जी का मन्दिर स्थित है। चैत्र मास में एक माह का मेला लगता है, लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

मण्डल के प्रमुख पर्यटक स्थलो का वर्णन :– अल्मोड़ा में राजकीय संग्रहालय कुमायूँ की प्राचीन इतिहास की झलक पाने के लिए आदर्श संग्रहालय है। जहॉ कत्यूर व चंद शासन काल की ऐतिहासिक वस्तुऐं व स्वतन्त्रता आन्दोलन से सम्बन्धित दस्तावेज आदि प्रदर्शित हैं।

चितई मन्दिर कुमाऊँ में ''गोल्लू'' का अति प्राचीन मन्दिर है। मान्यता हैं कि मन्नतें मांगने पर पूर्ण होती है तथा मन्नत पूर्ण होने पर मन्दिर में घंटी अर्पित की जाती है। इसलिए मन्दिर प्रांगण में असंख्य छोटी–बड़ी घंटियां टंगी हैं।

हिरन पार्क :– अल्मोड़ा से 3 किमी0 दूर नारायण तिवाड़ी देवाल नामक स्थान पर एक छोटा सा चिड़िया घर है। जहॉ हिरन, तेंदुआ, बाघ, भालू है।

अल्मोड़ा से 6 किमी0 दूर कलमटिया पहाड़ी की चोटी पर कसार देवी मन्दिर है। कई विदेशी पर्यटक यहॉ के शान्त वातावरण से वशीभूत होकर यहॉ रूकते हैं। अल्मोड़ा से 30 किमी0 दूर 2420 मी0 की ऊँचाई पर बिन्सर स्थित है, जहां से चौखम्भा, त्रिशूल, नन्दादेवी, शिवलिंग तथा पंचाचूली की हिमाच्छादित

चोटियों का बहुत मनोरम दृश्य दिखता है। यहां काफी घना जंगल है जिसमें कई प्रकार के जानवर, पक्षी तथा फूल पाये जाते है इसके अतिरिक्त कोशी में कटारमल सूर्यमन्दिर स्थित है। कत्यूरी शासन द्वारा कटारमल में सूर्य मन्दिर का निर्माण लगभग 800 वर्ष पूर्व किया गया है। इस मन्दिर की तुलना कोणार्क के सूर्य मन्दिर से की जाती है। स्थानीय जनता का मुख्य आस्था केन्द्र जागेश्वर मन्दिर के प्रांगण में चन्दवंश के विभिन्न शासकों द्वारा 164 मन्दिर निर्मित कराये गये। यह मन्दिर अल्मोड़ा से 34 किमी0 दूर स्थित है। इनमें भगवान जागेश्वर, मृत्युंजय व पुष्टि देवी आदि का मन्दिर चन्द्र कालीन स्थापत्य के नमूने हैं। चन्द्र राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी बिनसर, जहॉ से हिमालय का विस्तृत श्रंखलाओं का दृश्य दिखता है। जैसे केदारनाथ, चौखम्बा, त्रिशूल, नन्दादेवी, नन्दाकोट और पंचाचूली पर्वतों के अद्भुत दर्शन होते हैं। अल्मोड़ा का मनमोहक पर्यटक स्थल रानीखेत है। हिमालय दर्शन व सुहावनी जलवायु के कारण इसे हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। रानीखेत अपनी शौर्य गाथाओं के साथ छावनी क्षेत्र व कुमायूँ का मुख्य पर्यटक स्थल है। रानीखेत से 10 किमी0 चौबटिया एशिया का सबसे बड़ा फल उद्यान है।

बागेश्वर में कैलाश मानसरोवर यात्रा का पड़ाव स्थल भी है। पिण्डारी, कफनी, सुन्दरढूँगा जैसे ग्लेशियरों को ट्रेकिंग टूर यहॉ से जाते हैं। अल्मोड़ा से 53 किमी0 व बागेश्वर से 39 किमी0 की दूरी पर कौसानी प्राकृतिक सौन्दर्य व हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का केन्द्र है। सन् 1929 में कुमायूँ भ्रमण के दौरान महात्मा गॉधी जब कौसानी आये, तो उन्होंने इसे भारतवर्ष का स्विटजरलैण्ड कहा था। कौसानी से 17 किमी0 की दूरी पर स्थित बैजनाथ गोमती नदी के तट पर स्थित है।

नैनीताल एक विख्यात पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित है। प्राकृतिक झीलों का नैनीताल तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में पाये जाने के कारण इसे झीलों का जनपद भी कहा जाता है। पूर्व में नैनीताल जनपद में लगभग 60 झीलें थी। मानवीय छेड़छाड़ व प्राकृतिक कारणों से 60 झीलों के स्थान पर अब गिनीचुनी ही झीलें शेष हैं। फिर भी नैनीताल देश में अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए ख्याति प्राप्त है तथा जिला एवं कुमायूँ मण्डल का मुख्यालय भी है। पर्यटन सीजन मार्च से जून तथा सितम्बर से अक्टूबर के अन्त तक रहता है। यहॉ

पहुॅचने के लिए निकटस्थ रेलवे स्टेशन काठगोदाम व निकटस्थ हवाई अड्डा पन्तनगर (फूलबाग) है। नैनीताल से 22 किमी0 दूर भीमताल झील अपने सौन्दर्य व टापू के लिए प्रसिद्ध है तथा नैनीताल से 26 किमी0 की दूरी पर नौकुचियाताल, नैनीताल से 21 किमी0 की दूरी पर सातताल स्थित है जो प्रकृति की सौन्दर्यता को प्रसिद्ध करता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट नेशनल पाक्र में रंग बिरंगे पक्षी और शेर, हाथी, भालू, नील गाय, चीता, चीतल जैसे वन्य जीव स्वछन्द बिहार करते हैं। कालाढूँगी से 4 किमी0 आगे नया गॉव में कार्बेट फाल भी है, जो पर्यटकों के आकर्षण का स्थल है।

अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित कैंची मन्दिर जहॉ नीम करौली महाराज आश्रम, हनुमान व अन्य देवताओं के मन्दिर आस्थावान भक्तों के केन्द्र हैं। यहॉ रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी है। जून माह की 15 तारीख को कैची धाम में नीम करौली महाराज के जन्म दिन पर विशाल मेला लगता है। लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं।

ऊधमसिंह नगर में नानकमत्ता सिक्खों के लिए आदरपूर्ण स्थान है। यहॉ का गुरूद्वारा, कुऑ व पीपल वृक्ष प्रसिद्ध है। यह विश्वास है कि यहॉ गुरू नानकदेव ने विश्राम किया था।

पिथौरागढ़ शहर से 7 किमी0 दूरी पर चण्डाक नामक स्थान से पिथौरागढ़ का विहंगम दृश्य दर्शनीय है। यहॉ मोस्टमानो मन्दिर में अगस्त माह में विशाल मेला आयोजित होता है। यहॉ मैग्नासाइड खनिज की खान व कारखाना है। पिथौरागढ़ से 18 किमी0 दूर ध्वज से हिमालय श्रृखलाओं के विस्तृत दर्शन होते हैं। शहर से 6 किमी0 की दूरी पर थल केदार में भगवान शिव का मन्दिर है। जहॉ शिव रात्रि मेला महत्वपूर्ण है। पिथौरागढ़ से 77 किमी0 की दूरी पर गंगोलीहाट का महाकाली मन्दिर देश के मुख्य शक्तिपीठों में से एक है। गंगोलीहाट से 6 किमी0 पर गुपतड़ी तथा वहॉ से 8 किमी0 पर पाताल भुवनेश्वर में गुफाओं का रहस्य व दैवीय संसार है। यहॉ महादेव व शेष नाग का निवास स्थान माना जाता है। गुफा में विभिन्न दैवी आकृतियों का निर्माण धार्मिक आस्था का कारण है। पिथौरागढ़ से 112 किमी0 व बेरीनाग से 9 किमी0 दूर देवदार, बॉज, बुराश के पेड़ों के बीच स्थित चौकोड़ी हिमालय के सुन्दर स्थानों में से एक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्वामी नारायण द्वारा स्थापित नारायण आश्रम अपने प्राकृतिक व शान्त सौन्दर्य का प्रतीक है। लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बसा मुनस्यारी तहसील मुख्यालय भी है। यहॉ से पंचाचूली शिखर का नया रूप दिखता है। जनपद चम्पावत में स्थित श्री पूर्णागिरी का मन्दिर भी लाखों श्रद्वालुओं की आस्था का केन्द्र है। श्री पूर्णागिरी मन्दिर में प्रतिवर्ष भव्य मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें दूर–दूर से कई श्रद्वालु आते है।

उत्तराखण्ड में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मण्डल में जनपदवार उपलब्ध पर्यटन स्थल एवं पर्यटक आवास गृह तथा उनमें उपलब्ध शय्याओं का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पर्यटक स्थलों की संख्या	पर्यटक आवास गृहों की संख्या	पर्यटक आवास गृह/रैनबसेरों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या
1	अल्मोड़ा	4	12	410
2	बागेश्वर	25	15	368
3	नैनीताल	30	14	585
4	ऊधमसिंह नगर	13	3	88
5	पिथौरागढ़	24	21	473
6	चम्पावत	28	7	176
योग मण्डल		**124**	**72**	**2100**

उत्तराखण्ड में पर्यटन के विकास को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा बीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनओं हेतु लाभार्थियों को 20 प्रतिशत मार्जन मनी का प्राविधान है।

वीर चन्द्र सिंह गढवाली पर्यटन योजना के अन्तर्गत निम्न कार्यों हेतु राज सहायता दी जाती है :–

1. 8 से 10 कमरे युक्त होटलनुमा आवासीय इकाई की स्थापना।
2. मोटर वर्कशाप/मोटर गैराज की स्थापना।
3. बस/टैक्सी परिवहन सुविधा संचालन योजना।
4. साहसिक क्रियाकलाप हेतु उपकरण क्रय योजना।
5. साधनाकुटी एवं योगध्यान केन्द्रों का विकास।
6. स्थानीय प्रतीकात्मक वस्तुओं के विक्रय केन्द्र।
7. टैन्ट आवासीय सुविधाओं की स्थापना।
8. पी0सी0ओ0 युक्त पर्यटक सूचना केन्द्र/रेस्टोरेन्ट का निर्माण।
9. फास्ट फूड केन्द्रों की स्थापना।

अध्याय – 16

शिक्षा

सामाजिक सेवाओं का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा तथा अच्छे स्वास्थ्य एवं अच्छे संस्कारों पर निर्भर करती है। अतः चिकित्सा जनस्वास्थ्य एवं शिक्षा आर्थिक विकास के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के चहुमुखी विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजर्थिक विकास में शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से साक्षरता प्रतिशत में अभिवृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा मनुष्य की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता आर्थिक विकास में परोक्ष रूप से सहायक होती है। कार्य कुशलता एवं कार्यक्षमता अच्छे स्तर की शिक्षा तथा उत्तम जन स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड में साक्षरता का प्रतिशत 78.82 तथा कुमायूँ मण्डल में साक्षरता का प्रतिशत 78.52 है। कुमायूँ मण्डल में महिला साक्षरता का प्रतिशत 69.61 तथा जबकि पुरूष साक्षरता का प्रतिशत 87.36 है। जनगणना 2011 के अनुसार कुमायूँ मण्डल के जनपदों में साक्षरता का प्रतिशत निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	जनपद	पुरूष	स्त्री	कुल व्यक्ति
1	अल्मोड़ा	92.86	69.93	80.47
2	नैनीताल	90.07	77.29	83.88
3	ऊधमसिंहनगर	81.09	64.45	73.1
4	पिथौरागढ़	92.75	72.29	82.25
5	बागेश्वर	92.33	69.03	80.01
6	चम्पावत	91.61	68.05	79.83
योग मण्डल		**87.36**	**69.61**	**78.52**

साक्षरता का प्रतिशत 6 से अधिक वर्ष की जनसंख्या से सम्बन्धित है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मण्डल में जनपद नैनीताल़ का साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है तथा ऊधमसिंहनगर में सबसे कम है। लिंगवार साक्षरतान्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर में स्त्रियों का साक्षरता प्रतिशत अन्य जनपदों के सापेक्ष कम है।

कुमायूँ मण्डल (31 मार्च 2018 तक) में **7083** प्राथमिक स्कूल **1892** सीनियर बेसिक स्कूल **1558** हाईयर सैकेन्ड्री स्कूल है।

प्राथमिक शिक्षा :– प्रारम्भिक शिक्षा के शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर को बढ़ाने एवं गुणवत्तापरक शिक्षा हेतु विभिन्न प्रयास किये जाते रहे हैं जिसके अन्तर्गत विद्यार्थियों को सम्वर्धनात्मक शिक्षण, सी0सी0ई0, कम्प्यूटर शिक्षा एवं नवाचारी कार्यक्रम द्वारा रूचिकर शिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाती रही है। वर्ष 2002 से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों की शिक्षा एवं शैक्षिक स्तर को सशक्त करने हेतु संचालित किया जा रहा है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम – शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किये गये। वर्ष 2017–18 में कुमाऊ मण्डल में 1400 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

क्रीड़ा क्षेत्र की उपलब्धियाँ – वर्ष 2017–18 में कुमाऊ मण्डल में 2015 छात्र–छात्राओं द्वारा वर्ष 2017–18 राज्य / राष्ट्रीय स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगितायों में प्रतिभाग किया गया।

राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता – राज्य स्तरीय ताइक्वाण्डों, मानचित्र, सुलेख, अंताक्षरी, खो–खो, क्रीडा प्रतियोगिता के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊ मण्डल में 159 स्वर्ण पदक़, 193 रजत पदक 300 कांस्य पदक प्राप्त किए।

राष्ट्रीय स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता – राष्ट्रीय स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊ मण्डल में 06 स्वर्ण पदक 04 रजत पदक 08 कांस्य पदक प्राप्त किए।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण :– समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक एवं राजकीय व सहायता प्राप्त उच्च प्राथमिक/हाईस्कूल/ इण्टर कालेजों के कक्षा 6 से 8 तक के छात्र/छात्राओं को सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य सेक्टर के अन्तर्गत निःशुल्क पाठय पुस्तकों का वितरण किया गया। उक्त मद में वर्ष 2017–18 में कुमाऊ मण्डल में रू0 9705.02 लाख की धनराशि व्यय कर 261564 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

निःशुल्क गणवेश वितरण :– समस्त राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक की समस्त बालिकाओं, अनुसूचित जाति बालक, अनुसूचित जनजाति बालक एवं बी0पी0एल0 वर्ग के बालकों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क गणवेश का वितरण विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से किया गया। वर्ष 2017–18 में कुमाऊ मण्डल में रू01111.654 लाख व्यय कर 277931 छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

समावेशित शिक्षा :– विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सामाजिक एवं शैक्षिक उत्थान हेतु गतिविधियों को गति प्रदान करने हेतु बच्चों के उचित चिह्नांकन हेतु चिकित्सा विभाग के अभिकर्मियों, एल्मिको कानपुर के सहयोग से परीक्षण व उपकरण वितरण शिविर आयोजित किये गये। चयनित बच्चों को विकलांगता प्रमाण पत्र एवं सहायता उपकरण वितरित किये गये। वर्ष 2017–18 में कुमाऊ मण्डल में 702 ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, को एस्कोर्ट सुविधा प्रदत्त की गयी। 195 बच्चों को विकलांगता प्रमाण एवं 400 बच्चों को सहायता उपकरण वितरित किये गये। उक्त मद में रू0 61.887 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

अध्यापक प्रशिक्षण :– सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के कौशल विकास हेतु सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण

दिया जाता है जिसके अन्तर्गत कुमाऊ मण्डल में 5464 कक्षा 1–2, कक्षा 3–5 एवं कक्षा 6–8 के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मध्यान्ह भोजन :– कुमाऊ मण्डल में 32394 राजकीय व सहायता प्राप्त प्राथमिक/जूनियर/हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना संचालित है। इन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत बच्चों के पोषण हेतु भोजनमाता की सहायता से भोजन तैयार कर विद्यालयों के अध्ययनरत बच्चों को वितरित किया जाता है। मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत कुमाऊ मण्डल में 1249 किचन कम स्टोर रूम वितरित किये जा चुके हैं। योजना के अन्तर्गत विद्यालयों को रू0 5000 की दर से बर्तन क्रय करने एवं भोजनमाताओं के लिए एप्रन व बच्चों के हाथ धोने के लिए साबुन क्रय करने हेतु आकस्मिक व्यय के रूप में रू0 1000 की दर से धनराशि प्रेषित की जा चुकी है। राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार 1249 विद्यालयों में किचन गार्डन तैयार किये जा चुके हैं जिनमें पैदा की गई सब्जियां विद्यालयों में तैयार मध्याह्न भोजन में इस्तेमाल हो रही है। प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक माह के अन्तिम कार्यदिवस को समस्त विद्यालयों में सामूहिक जन्मोत्सव मनाया जाता है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षा किया जाता है जिसमें विभिन्न बीमारियों से ग्रसित व संदर्भित बच्चों को बीमारियों के अनुरूप दवाएं बाँटी जाती है। मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत कुमाऊ मण्डल में रू0 3929.15 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय :– कक्षा 6 से 8 तक के अनुसूचित जाति/जनजाति /पिछड़ी जाति तथा बी0पी0एल0 परिवार की ऐसी छात्राएं जो विद्यालय जाने से वंचित रह गई हैं, को निःशुल्क शिक्षा, आवास, पठन सामग्री, वेशभूषा, भोजन आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत के.जी.बी.वी. हेतु वर्ष 2017–18 में कुमाऊ मण्डल में रू0 1111.861 लाख की धनराशि व्यय कर 337 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

एम.आई.एस.:– परियोजना के अन्तर्गत जनपद के विद्यालयों से सूचनाओं को प्राप्त करने एवं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना तैयार करने हेतु एक सूचना प्रणाली तंत्र विकसित किया गया है जिसमें विद्यालयों से न्यूपा नई दिल्ली द्वारा तैयार यू–डायस साफ्टवेयर से डी.सी.एफ. प्रपत्र प्रिंट कर उसमें सूचनाएं प्राप्त कर संकलन के उपरान्त डाटा फीड कर सम्पूर्ण सूचना भारत सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान, देहरादून को प्रेषित की जाती है। विद्यालयों की समस्त सूचनाओं का संकलन उनके स्कूल रिपोर्ट कार्ड के रूप में विद्यालय में सुरक्षित रखा जाता है। यू–डाइस के आधार पर ही आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का निर्माण किया जाता है।

शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान :– संस्थान के अन्तर्गत एक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिसमें डी0ईएल0एड0 प्रशिक्षण दिया जाता हैं। वर्ष 2017–18 में कुमाऊ मण्डल में 200 स्वीकृत सीटों के सापेक्ष 177 की भर्ती हैं।

पहुंच एवं विशिष्ट प्रशिक्षणः– प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिककरण के लिए 06–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की विद्यालय तक पहुंच एवं विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया गया। इस हेतु बालगणना, शालात्यागी बच्चों का चिन्हांकन एवं स्कूल चलो अभियान आदि कार्यक्रम संचालित किये गये। कुमाऊ मण्डल में 610 बच्चों को चिन्हित कर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया।

1. नवाचारी शिक्षाः– नवाचारी षिक्षा के अन्तर्गत निम्न कार्यक्रम संचालित किए गए–

- राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रमः– माननीय प्रधानमन्त्री जी के द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय, संकुल, विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर स्वच्छ विद्यालय अभियान आयोजित किया गया। इसी क्रम में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार हेतु वर्ष 2017–18 में कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल (विद्यालय का नाम) का चयन कर पुरस्कृत किया गया। राज्य स्तर पर स्वच्छ विद्यालय हेतु कुमाऊँ मण्डल के जनपदों ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त कर गौरान्वित किया।

बालिका शिक्षा :– बालिका शिक्षा क्षेत्र में जागरूकता हेतु सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के अन्तर्गत कलैण्डर, पोस्टर, नुक्कड़–नाटकों, हस्ताक्षर अभियान, राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम (24 जनवरी) के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये इस वर्ष अनेक कार्यक्रम जैसे आत्मरक्षा कौशल प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, माँ–बेटी मेला, सपनों की उड़ान, एवं किशोरी स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर कुमाऊ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

- समावेशित शिक्षाः– समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत विषेश आवश्यकता वाले बच्चों हेतु कुमाऊ मण्डल में 19 शिविर आयोजित कर 614 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

अध्याय – 17

चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

पुर्नरक्षित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षयरोग से ग्रसित मरीजों को निःशुल्क बलगम की जॉच व सम्पूर्ण अवधि की औषधियों की आपूर्ति की जाती है। इस कार्यक्रम में मरीजों को औषधियों डाट्स प्रोवाइडर द्वारा अपने सामने ही खिलाई जाती है। मरीजों को औषधिया खिलाने की इस पद्धति को Directly Observed Treatment Short Course (डाट्स) कहते है।

वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौराढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 9556, 3189, 3339. 1558, 1465, 8757 मरीजों को देखा गया एवं क्रमशः 1909, 1931, 384, 169, 159., 887 मरीज धनात्मक पाये गये तथा कुल 4927 मरीजो का उपचार किया गया।

राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन0वी0बी0डी0पी0) एन0वी0बी0डी0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत मलेरिया, डेंगू चिकनगुनिया,कालाजार, जापानीज इन्सफलाइटिस बीमारियों का नियंत्रण एवं इलाज किया जाता है। इससे सम्बन्धित जॉचें व उपचार निःशुल्क किया जाता है। मलेरिया तथा डेंगू की जॉचों के लिए निकटतम चिकित्सा इकाई व आशा तथा ए0एन0एम0 से सम्पर्क किया जा सकता है।

वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौराढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 26602, 5024, 22787, 3175, 3427, 47565 रक्त पट्टिका एकत्रित कर क्रमशः नैनीताल में 55, अल्मोडा में 01, उधमसिहनगर में 31, बागेश्वर में 01, मरीज मलेरिया धनात्मक पाये जिनका निःशुल्क उपचार किया गया ।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम :– राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सकों की टीम द्वारा समस्त राजकीय व राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों व आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, किशोर व किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा आर0बी0एस0के0 स्तरीय चिकित्सकों द्वारा किया जाता है। भ्रमण करने वाली चिकित्सकों की टीम द्वारा किसी रोग से ग्रसित बच्चों को आवश्यकतानुसार प्रा0स्वा0केन्द्र, सामु0स्वा0 केन्द्र, जिला चिकित्सालय में संदर्भित किया जाता है। गम्भीर रोग से ग्रसित बच्चों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा उच्चीकृत चिकित्सालयों में इलाज हेतु भेजा जाता है। गम्भीर रोग से ग्रसित बच्चों को उच्चीकृत चिकित्सालयों में भेजने, चिकित्सा उपचार व वहॉ से वापस लाने की सुविधा निःशुल्क की जाती है।

वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 143649, 81649, 131990, 52984, 58208, 358904 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर क्रमशः 190, 56, 141, 113, 79, 2732 गम्भीर रोग से ग्रसित बच्चों को उच्चीकृत चिकित्सालयों में इलाज हेतु भेजा गया।

राष्ट्रीय अंन्धता उन्मूलन कार्यक्रम (एन0बी0सी0पी0) :– राष्ट्रीय अन्धता उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत निः शुल्क मोतिया बिन्दु के आपरेशन लैंस प्रत्यारोपण किया जाता है, तथा विद्यालयों में ऑखों की जॉच करने के पश्चात् बच्चों को निकटतम सामु0स्वा0केन्द्र व जिला चिकित्सालय में आवश्यकतानुसार निः शुल्क चश्में का वितरण भी किया जाता है। 60 वर्ष के ऊपर आयु के बृद्वो को भी आवश्यकतानुसार निः शुल्क चश्मों का वितरण किया जाता है।

वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 6228, 2041, 3834, 943, 529, 2784 मोतिया बिन्द के आपरेशन किये गये।

जननी सुरक्षा योजना (जे0एस0वाई.) :– जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं द्वारा संस्थागत प्रसव कराने व प्रसव के 48 घण्टे संस्थान में रूकने के बाद रू0 1400 (ग्रामीण) व 1000 (शहरी) का वित्तीय लाभ दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 श्रेणी की गर्भवती महिलाओं को रू0 500 पोषण हेतु गर्भावस्था के 7 वे महीने में सम्बन्धित क्षेत्र की ए0एन0एम0 के माध्यम से दिये जाते है ।

वर्ष 2017–18 में कुमॉउ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर में क्रमशः 17467, 7119, 11109, 4471, 4207, 41410 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण व क्रमशः. 8628, 5081, 5534, 1887, 2444, 14800 महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना से लाभान्वित किया गया।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे0एस0एस0के0) :–इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिला के पंजीकरण से लेकर प्रसव के बाद 42 दिनों तक तथा नवजात शिशु के 1 वर्ष पूरा होने तक समस्त स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें व चिकित्सालय तक आवागमन की व्यवस्था निः शुल्क प्रदान की जाती है। खुशियो की सवारी के माध्यम से प्रवस के दौरान व प्रसवोपरान्त महिला को चिकित्सालय से घर छोडने की ब्यवस्था व 108 एम्बुलैंस द्वारा चिकित्सालय तक लाने की सुविधा उपलब्ध है। गर्भस्थ भ्रूण की सही स्थिति व वृद्वि की निगरानी हेतु 04 जॉचें ए0एन0एम0 की जाती है। जॉच में ए0एन0एम0/चिकित्सक द्वारा हिमोग्लोबिन, ब्लडप्रेशर, पेशाब की जॉच व आवश्यकतानुसार अल्ट्रासाउण्ड भी कराया जाता है तथा इसी के अनुसार सलाह व ईलाज किया जाता है, प्रत्येक महिला को आयरन फोलिक एसिड की गोलियॉ दी जाती है। नवजात शिशु के स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करने के लिये आशाओं/ए0एन0एम0 द्वारा संस्थागत प्रसव के मामलों में 06 गृह भ्रमण व घर पर प्रसव होने पर 07 गृह भ्रमण किये जाते है। इस भ्रमण में मातृ शिशु स्वास्थ्य में कोई जटिलता पाये जाने पर निकटवर्ती चिकित्सा ईकाईयों में जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कराई जाती है।

वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 17467, 5226, 5534, 4400, 2444, 16836 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम :– किशोर एवं किशोरियों में प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य में जानकारियां शरीर से सम्बन्धित मुद्दों पोषण विकास व स्वच्छता की जानकारी एवं क्लिीनिकल तथा काउंसलिंग के रूप में परामर्श दिये जाने हेतु राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल–750 एव ऊधमसिंह नगर 561 ग्रामों में किशोर एवं किशोरियों के समूह बनाकर आपस में बैठकों के माध्यम से किशोर/किशोरियों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक समस्याओं की पहचान कर चिकित्साधिकारियों, ए0एन0एम0, आशा, आगनबाड़ी कार्यकत्री के सहयोग से परामर्श दिये जाने का कार्य किया गया। सामु0 स्वा0 क्रेन्द में किशोर,किशोरियों में शारीरिक मानसिक समस्याओं के चिकित्सीय निदान हेतु ए0एफ0सी0सी0 (एडोल्सेन्ट फैन्डली काउन्सिलिंग क्लीनिक) स्थापित किये गये है, जिसमें चिकित्सकों द्वारा किशोर, किशोरियों की समस्याओं का चिकित्सीय निदान/परामर्श प्रदान किया जाता है।

फेमिली प्लानिंग इन्डोमिनिटी स्कीमः–परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत असफल नसबन्दी, शारीरिक जटिलतायें अथवा मृत्यु होने की दशा में लाभार्थी/प्रार्थी को उक्त प्रकरण के 90 दिनों के अन्तर्गत दावा करने पर क्षति पूर्ति के रूप में रू0 30000 से रू0 2 लाख तक की धनराशि प्रदान की जाती है, क्षति पूर्ति हेतु आवेदन सामु0स्वा0 केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी, जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। नसबन्दी के कारण मृत्यु होने पर (अस्पताल में नसबन्दी आपरेशन के दौरान मृत्यु होने में भी देय) या अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 07 दिनों के अन्तर्गत मृत्यु होने पर रू0 2.00 लाख. अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 08 से 30 दिनों के अन्तर्गत मृत्यु होने पर रू0 0.50 लाख, असफल नसबन्दी होने पर रू0 0.30 लाख प्रदान करने का प्रावधान है।

वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल में रू0 .2.70 लाख क्षति पूर्ति के रूप में व्यय किया गया।

ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक समिति का गठन किया जाना है, जिसमें प्रत्येक ग्राम हेतु एक वर्ष में अधिकतम रू0 10000 अथवा केन्द्र द्वारा निर्धारित धनराशि आशा तथा ग्राम की निर्वाचित महिला प्रधान अथवा महिला वार्ड सदस्य के संयुक्त खाते के द्वारा खर्च की जा सकती है, इस समिति में कम से कम 15 सदस्य होने चाहिये तथा समिति के अध्यक्ष ग्राम की निर्वाचित महिला प्रधान अथवा महिला वार्ड सदस्य

होती है। वी0एच0एस0एन0सी0 की सदस्य सचिव और संयोजन ग्राम की आशा होंती है, ग्राम हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग समिति के सहमति की दशा में ग्राम के स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण हेतु किया जा सकता है।

वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल में रू0 66.26, अल्मोड़ा रू0 129.06 चम्पावत में रू0 8.39, बागेश्वर में रू0 20.24, ऊधमसिंह नगर में रू0 44.07 लााख खर्च किया गया।

ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस

वर्ष 2017–18 में चयनित कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः. 6178, 5240, 9654, 2695, 4105, 8345 ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवसों का आयोजन किया गया।

वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः रू0 6.21, रू0 6.33, रू0 3.5, रू0 3.04, रू0 2.66, रू0 10.43 लाख खर्च किया गया ।

ई0एम0आर0आई0 108 आकस्मिकता में : ई0एम0आर0आई0 108 द्वारा अपनी सेंवायें प्रदान की जा रही है। जो कि आकस्मिक रोगियों को चिकित्सा सुविधा पहॅुचाने के साथ–साथ उन्हें स्वास्थ्य केन्द्रों तक पहॅुचाने का कार्य कर रही है। 108 सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर गर्भवती महिलाओं को निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव हेतु पहॅुचाने में विशेष सहायता मिली है।

वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः 13, 9, 12, 5, 5, 8 वाहनों द्वारा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जिनके द्वारा क्रमश 11478, 7090, 965, 1118, एवं 5657 लाभार्थियों को लाभ पहुचाया गया ।

मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना :– उत्तराखण्ड राज्य में मुख्य मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना दिनांक 26 फरवरी 2015 से लांच की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य बी0पी0एल0 व ए0पी0एल0 परिवारों द्वारा अपनी जेब से चिकित्सा पर किये जाने वाले व्यय को कम करना है ताकि प्रदेश की जनता को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकें।

योग्य लाभार्थियों की पहचान हेतु आशा के द्वारा एकत्रित के डाटाबेस को आधार बनाया गया है। राज्य के सरकारी कर्मचारी एवं सेवा निवृत्त कर्मचारियों को यू हैल्थ योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया जा रहा है तथा आयकर दाताओं को योजना से पृथक रखा गया है। अतः उक्त श्रेणी के परिवारों को छोड़कर अन्य सभी परिवार योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं। पूर्व में ही जिन परिवारों को स्मार्ट कार्ड जारी किये गये है उन्हें भी मुख्यमंत्री बीमा का लाभ प्रदान किया गया। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी परिवार को एक एम0एस0बी0वाई कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा, इस कार्य पर परिवार के मुखिया की फोटो, मतदाता पहचान पत्र संख्या, परिवार संख्या/यू0आर0एन0 मुद्रित है। प्रति कार्ड प्रति परिवार द्वारा रू0 50 मात्र का भुगतान कर अधिकतम एक बर्ष में रू0 1,75000 तक निःशुल्क चिकित्सा लाभ लाभार्थी को दिया जायेगा। योजना के अन्तर्गत परिवार के सभी व्यक्ति सम्मिलित है।

कार्ड का उपयोग चिन्हित सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में चिन्हित व्याधियों के लिये नकद रहित बीमा लाभ प्राप्त करने के लिये किया जा सकता है। कार्ड धारको के बीमा का तात्पर्य यह है कि कार्ड धारकों के बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अनुसार चिकित्सालयों को भुगतान किया जायेगा।

योजना के अर्न्तगत 1350 चिन्हित बीमारियों के उपचार का प्राविधान है जिसका लाभ सरकारी अस्पतालों एवं चिन्हित प्राईवेट चिकित्सालयों में निःशुल्क मिला। लाभ के अन्तर्गत चिकित्सालय में भर्ती होने की दशा में पूर्व निर्धारित दरों में पैकेज के रूप में लाभ प्रदान किया जायेगा। पैकेज के अन्तर्गत सभी शुल्क सम्मिलित है एवं लाभार्थी द्वारा तब तक किसी प्रकार के अतिरिक्त भुगतान की आवश्यकता नही होगी जब तक चिकित्सा व्यय की धनराशि बीमा की निर्धारित राशि की सीमा से अधिक न हो जाये। यात्रा भत्ता हेतु मरीज को रू0 100 नकद लाभ का प्राविधान है। भविष्य में योजना को और भी वृहद उपयोगी करने के लिये अतिरिक्त सुविधाओं का समावेश किया जायेगा। जिसमे बीमित लाभ की सीमा बढाने जाने एवं चिन्हित बीमारियों के दायरे में अति गम्भीर बीमारियों को भी सम्मिलित किये जाने का भी प्रस्ताव है।

प्रत्येक बार चिकित्सा लाभ प्राप्त करने की दशा में लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर समुचित जानकारी का संक्षिप्त संवाद प्रेषित किया जायेगा। इस व्यवस्था हेतु बीमा कम्पनी द्वारा एक सेन्टर का संचालन करवाया जायेगा। जिसकी निगरानी राज्य नोडल ऐजेन्सी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त राज्य नोडल ऐजेन्सी द्वारा भी समय–समय पर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर लाभार्थियों को योजना सम्बन्धी उपयोगी सूचनाऐं प्रदान की जायेंगी ।

वर्ष 2017–18 में कुमॉऊ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधमसिंह नगर, में पात्र लाभार्थियों की संख्या क्रमशः 114497 17301, 87191, 39699, 205000 है। जिनमे से क्रमशः 114497, 17301, 85259, 34891, 205000 कार्ड बनाकर वितरित किये गये हैं।

अर्बन स्वास्थ्य कार्यक्रम– मलिन बस्तियों हेतु एन.एच.एम. के अन्तर्गत अर्बन हैल्थ सेन्टरों की स्थापना की गयी है, जिसमे मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं एवं शिशुओं को टीकाकरण/प्रतिरक्षण कार्यक्रम/परिवार कल्याण /ओ0पी0डी0/ जॉच आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

वर्ष 2017–18 में कुमॉउ मण्डल के जनपद नैनीताल में 5 एवं जनपद उधमसिंह नगर 6 में, पीएचसी संचालित की गयी।

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 – कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिये पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का प्रत्येक 90 दिनों में निरीक्षण किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु लगातार शिविर आयोजित कर स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जनता को जागरूक किया जाता है, वहीं अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों पर कमियां पाये जाने पर कार्यवाही की जा रही है, परिणामस्वरूप लिंगानुपात में वृद्धि है तथा कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगा है।

प्रतिरक्षण :–पैन्टावैलेन्ट वैक्सीन से 05 जानलेवा बीमारियों से शिशु की सुरक्षा करती है तथा पोलियो ड्राप पिलाई जा रही है जो कि निः शुल्क उपलब्ध है।

बच्चों को विभिन्न जानलेवा बीमारियों से प्रतिरक्षित करने हेतु नियमित प्रतिरक्षण के अलावा विशेष प्रतिरक्षण सप्ताह व आउटरीच सेसन का भी आयोजन किया जा रहा है। इस योजना में आशा के द्वारा किसी भी 0–5 वर्ष के बच्चे को पूर्ण प्रतिरक्षण कराने पर 150.00 रू0 दिया जाता है। वर्ष 2017– 18 में कुमॉऊ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर में क्रमशः 17384, 7391, 5854, 3442, 3163, 35246 बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षित कर क्रमशः रू0 58.68,. 51.44, 9.52, 28.57, 2.62, 83.59 लाख व्यय किया गया।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम– इस कार्यक्रम के तहत संचारी रोगों की रोकथाम करने हेतु जनपद स्तर पर निगरानी तन्त्र की स्थापना की गयी है, किसी भी प्रकार का आउटब्रेक होने पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

ब्लड बैंक– वर्तमान में में कुमॉऊ मण्डल के जनपद नैनीताल में बेस चिकित्सालय हल्द्वानी, सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज हल्द्वानी एवं बी0डी0 पाण्डे जिला चिकित्सालय नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधमसिंह नगर रक्तकोष की स्थापना की गयी है, जिसमें लगभग क्रमशः 17742, 2216, 1459, 45, 13187 यूनिट रक्त प्रतिवर्ष एकत्र किया गया है। रक्त अवयव (कम्पोनैन्ट) की सुविधा सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी एवं एल0डी0 भट्ट चिकित्सालय काशीपुर उधमसिंहनगर में उपलब्ध है।

एड्स नियंत्रण कार्यक्रमः– जनपदो में एड्स नियत्ररण कार्यक्रम के अर्न्तगत आई0सी0टी0सी0 एवं ए0आर0टी0 केन्द्रो की स्थापना की गयी है व काउन्सलरो के माध्यम से एड्स नियंत्ररण सम्बन्धित पर्रामश के साथ–साथ जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहे हैं । जिसके अर्न्तगत मण्डल में कुल 130 रोगियो का ए0आर0टी0 केन्द्रो के माध्यम से निःशुल्क उपचार किया जा रहा हैं।

एस0एस0बी0– राष्ट्र की सीमा पर तैनात हमारे जॉबाज एस0एस0बी0 द्वारा टनकपुर क्षेत्र में स्वयं का अस्पताल चलाया जा रहा है।

एन0एच0पी0सी0– जनपद चम्पावत के मैदानी क्षेत्रान्तर्गत आने वाले टनकपुर क्षेत्र में नेशनल हाइड्रो पॉवर करपोरेशन का अस्पताल भी स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है।

जनपद में कार्यशील विभिन्न प्रथम संदर्भन इकाई(एफ0आर0यू0)– वर्ष 2017– 18 में कुमॉऊ मण्डल के जनपद में कार्यशील विभिन्न प्रथम संदर्भन ईकाई (एफ0आर0यू0) में 19 इकाईयां कार्यरत हैं,जहॉ पर प्रसव की सुविधायें उपलब्ध हैं।

खुशियो की सवारी– राष्ट्रीय स्वास्स्थ्य मिशन के अन्तर्गत मातृ एवं शिशु सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से वर्ष 2017– 18 में कुमॉऊ मण्डल के जनपदो में खुशियों की सवारी वाहनों का संचालन किया जा रहा है। जिसमें नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर,उधमसिंहनगर में क्रमश – 9, 9, 8, 3, 3, 8 वाहन है तथा लाभार्थियों की संख्या 4830, 5006, 11035 927, 682, 9838 रहें।

अन्टाइड फण्ड– चिकित्सालयो के सुदृढीकरण हेतु प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत अन्टाइड फण्ड प्रदान किया जाता है जो कि जनहित को ध्यान में रखते हुये उपकरण आदि के लिये दिया जाता है जो चिकित्सालय की उपलब्धि के आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

प्रतिरक्षण	अल्मोड़ा	पिथौरागढ	नैनीताल	उधमसिंह नगर	बगेश्वर	चम्पावत
गर्भवती माताओं का पंजीकरण	11109	7119	17467	41410	4207	4471
प्रतिरक्षण	7056	7391	17384	35240.	3163	3442
परिवार कल्याण	998	838	1112	1387	279	552
पुरूष नसबन्दी	47	7	69	34	21	9
महिला नसबन्दी	951	831	1043	1353	258	543
ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस	9654	5240	6178	8345	4105	2695
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य परीक्षण किये गये बच्चों की संख्या	131990	81649	143649	358904	58208	52984

अध्याय – 18

बाल विकास

वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल में 6024 पूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 2265 मिनी आगंनबाड़ी केन्द्र संचालित है।

पंजीकृत लाभार्थी विवरण –बाल विकास परियोंजनाओं के अन्तर्गत आगंनबाड़ी केन्द्र में वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल में जन्म माह से 3 वर्ष के बच्चे 227303, 3 से 6 वर्ष के बच्चे 100305, गर्भवती महिलायें 35511, धात्री महिलायें 37745 तथा किशोरी बालिकाएं 28704 पंजीकृत है।

अनुपूरक पोषाहार – अनूपूरक पोषाहार अन्तर्गत आगंनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चों को कुक्ड फूड योजनान्तर्गत प्रतिदिन ताजा पका भोजन खिलाया जाता है। गर्भवती, धात्री महिलाओं एंव 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों हेतु अनुपूरक पोषाहार अन्तर्गत टेक होम राशन योजनान्तर्गत प्रत्येक आगंनबाडी केन्द्र पर प्रत्येक माह की 5 तारीख कों वजन एंव पोषण दिवस का आयोजन किया जाता है साथ ही टी0एच0आर0 का वितरण भी किया जाता है।

टी0एच0आर0 सामग्री

लाभाथी वर्ग	सामग्री	मात्रा
6 माह से 03 वर्ष के बच्चे हेतु	दलिया अथवा सूजी	1.50 किलो
	स्थानीय दाले/मूंग दाल/काला भट्ट अथवा चौलाई	500 ग्राम
	मूंगफली दाना अथवा भुना चना	250 ग्राम 500 ग्राम
	गुड अथवा छुहारा अथवा स्थानीय फल,	500 ग्राम
गर्भवती एवं धात्री महिलायें	सोयाबीन दाल अथवा मूंग दाल/स्थानीय दालें /काला भट्ट	1.50 किलो 900 ग्राम
	मडुआ का आटा	2.00 किलो
	नमक	1 पैकेट
	गुड/चीनी अथवा छुहारा अथवा स्थानीय फल,	500 ग्राम

अति कुपोषित बच्चों हेतु	दलिया अथवा सूजी	1.50 किलो
	स्थानीय दाले/मूंग दाल अथवा चौलाई	500 ग्राम
	मूंगफली दाना अथवा भुना चना	250 ग्राम 500 ग्राम
	गुड अथवा छुहारा अथवा स्थानीय फल,	500 ग्राम
	अण्डे अथवा फल (सेब, खुमानी, सन्तरा आदि) बादाम अथवा अखरोट	10 अण्डे (सप्ताह में दो बार)

जनपद में कुक्डफूड योजना अन्तर्गत आगंनबाडी केन्द्रों पर पंजीकृत 03 से 6 वर्ष के बच्चों को दिया जा रहा पोषक आहार (नाश्ता–भोजन)

मार्च से नवम्बर तक का समय

क्र0 सं0	दिन	नाश्ता	भोजन
1	सोमवार	भुना चना	दाल–चावल
2	मंगलवार	हलुआ (आटा अथवा सूजी)	न्यूट्रीला एवं चावल
3	बुधवार	भुनी मूंगफली	नमकीन पराठा
4	बृहस्पतिवार	पोहा	दलिया नमकीन अथवा पीठा
5	शुक्रवार	उबला चना	मिक्स दाल एवं चावल
6	शनिवार	भुना चना	खिचड़ी

दिसम्बर से फरवरी तक

क्र0सं0	दिन	नाश्ता	भोजन
1	सोमवार	भुना चना गुड़ के साथ	दाल–चावल
2	मंगलवार	हलुआ (आटा एवं बेसन मिक्स अथवा सूजी) मिठास में गुड़ का उपयोग	न्यूट्रीला एवं चावल
3	बुधवार	भुनी मूंगफली गुड़ के साथ	नमकीन पराठा
4	बृहस्पतिवार	पोहा	दलिया नमकीन अथवा पीठा
5	शुक्रवार	उबला चना	मिक्स दाल एवं चावल
6	शनिवार	भुना चना गुड़ के साथ	खिचड़ी

कुक्ड फूड/टेक होम राशन योजनान्तर्गत निम्न निर्धारित वित्तीय मानक अन्तर्गत माह में (25 दिन) हेतु।

धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान है–

- 6 माह से 03 वर्ष के प्रत्येक बच्चें हेतु – **रु0 200.00**
- 3 से 6 वर्ष के प्रत्येक बच्चे हेतु – **रु0 200.00**
- गर्भवती एंव धात्री महिला हेतु – **रु0 237.00**
- अति कुपोषित बच्चों हेतु – **रु0 300.00**

नन्दा देवी योजना 'हमारी कन्या हमारा अभिमान'–

- बी0पी0एल0 परिवार की 02 कन्याओं हेतु संचालित।
- लाभार्थियों को अनुमन्य आर्थिक सहायता धनराशि– रू0 15000.00
- प्रथम किश्त– रू0 5000.00 (आवेदन पर स्वीकृति पश्चात लाभार्थी के खाते में सीधे भुगतान)।
- शेष रू0 10000.00 की लाभार्थी व माता के नाम 10 वर्ष हेतु संयुक्त एफ0डी0।
- द्वितीय किश्त– रू0 5000.00 का कन्या के 10 वर्ष के आयु पूर्ण होने पर खाते में भुगतान ।
- तृतीय किश्त– कन्या के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ब्याज सहित शेष धनराशि का भुगतान। अन्तिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने व अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल में कुल रू0 18280000 लाख धनराशि व्यय कर कुल 6153 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। जनपदवार विवरण निम्नानुसार उल्लिखित है।

जनपद	लाभार्थियों की संख्या	व्यय धनराशि (रु0 लाख में)
अल्मोड़ा	6029	17660000
चंपावत	124	620000
कुल योग	6153	18280000

'सबला योजना' –

योजना का आरंभ –भारत सरकार की यह योजना राज्य के 4 जनपद नैनीताल, हरिद्वार, चमोली एवं उत्तरकाशी में यह योजना वर्ष 2009–10 में लागू हुयी थी।

योजना उद्देश्य – आत्म विकास एवं सशक्तिकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, स्वास्थ्य सफाई, पोषण प्रजनन एवं यौजन स्वास्थ्य और परिवार एवं बाल देखरेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना, घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों एवं व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन करना, पढ़ाई छोड़ चुकी किशोरियों को औपचारिक /अनौपचारिक शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, बैंक पुलिस स्टेशन आदि जैसी मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारमें सूचना/ मार्गदर्शन प्रदान करना।

पात्रता – 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियाँ।

वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल में 47302 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

'किशोरी शक्ति योजना' –

योजना का आरंभ – भारत सरकार की यह योजना राज्य के 9 जनपद (सबला योजना से अनाच्छादित जनपद) में यह योजना वर्ष 2009–10 में लागू है।

योजना उद्देश्य – आत्म विकास एवं सशक्तिकरण हेतु किशोरियों को सक्षम बनाना, उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, स्वास्थ्य सफाई, पोषण प्रजनन एवं यौजन स्वास्थ्य और परिवार एवं बाल देखरेख के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना, घरेलू कौशलों, जीवन कौशलों एवं व्यावसायिक कौशलों का उन्नयन करना, किशोरियों को समाज की आर्थिक दृष्टि से उपादेय एवं उपयोगी सदस्य बनने के लिये प्रेरित करना।

पात्रता – 11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियाँ।

वर्ष 2017–18 में कुमाऊँ मण्डल में रू0 5,50,000 व्यय कर कुल 280 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

जनपद	लाभार्थियों की संख्या	व्यय धनराशि (रु0 में)
अल्मोड़ा	220	220000
चंपावत	20	110000
ऊधमसिंहनगर	40	220000
कुल योग	280	5,50,000

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना – भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जो समस्त जनपदों में 1 जनवरी, 2017 से लागू की गई है, इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिला को पंजीकृत कर समस्त स्वास्थ्य जांच के लाभ प्रदान करना है, ताकि स्वस्थ्य माता एक एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके।

वर्ष 2017–18 में कुमाऊँ मण्डल में रू0 38,81,000.00 धनराशि व्यय कर कुल 16547 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

नन्दा गौरा योजना – महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग में कन्याओं हेतु संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर '' नन्दा गौरा योजना '' आरम्भ की गयी है। जिसके अंतर्गत विभिन्न चरणों में निम्न प्रकार से धनराशि का वितरण किया जायेगाः–

चरण	धनराशि (रू0 में)
प्रथम –जन्म के समय	5000.00
द्वितीय– एक वर्ष पूर्ण होने पर	5000.00
तृतीय–8 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर	5000.00
चतुर्थ– 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर	5000.00
पॉचवीं –12 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर	5000.00
छठी–डिप्लोमा/स्नातक उत्तीर्ण करने पर	10000.00
सतवीं – विवाह के समय	16000.00

वर्ष 2017–18 में कुमाऊँ मण्डल में रू0 224,30,000 लाख धनराशि व्यय कर कुल 5701 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

अध्याय–19

ग्राम्य विकास

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का उद्देश्यः

- ग्रामीण परिवारों को वित्तीय वर्ष में 100 दिवस के श्रम रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करते हुए आजीविका सुरक्षा में वृद्धि।
- जल संरक्षण, सूखा निवारण, सिंचन सुविधा, भूमि विकास, बाढ़ नियन्त्रण व जल निकास एवं सर्वमौसम सड़क द्वारा ग्रामीण संयोजकता सम्बन्धी कार्यों के निष्पादन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास।

पात्रता

- पंजीकृत ग्रामीण परिवारों के समस्त वयस्क जॉब कार्ड धारक सदस्य जो अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने के इच्छुक हों।

महात्मा गांधी नरेगा योजना का चरणवार क्रियान्वयन

चरण	चयनित जनपदों की सं0	चयनित जनपदों के नाम
प्रथम चरण (2006–07)	3	चमोली, चम्पावत एवं टिहरी
द्वितीय चरण (2007–08)	2	हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर
तृतीय चरण (2008–09)	8	अन्य समस्त जनपद

अधिनियम के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य

योजना निम्नलिखित कार्यों पर केन्द्रित होगी जिसे नीचे प्रवर्गीकृत किया गया हैः

I प्रवर्ग अ : प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित लोक निर्माण –

(i) पेय जल स्रोत सहित परिष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध ठहराव बांध, रोक बांधों जैसे भूजल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण और जल शस्य।

(ii) जल संचय के व्यापक उपचार के परिणामस्वरूप खाई रूपरेखा, कगार, खाई पुश्ता, गोलाश्म अवरोध पीपा ढांचे और झरना शेड विकास जैसे जलसंभरण प्रबंधन कार्य।

(iii) सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृजन, पुनरूज्जीवन और अनुरक्षण।

(iv) सिंचाई कुंडों और अन्य जलाशयों की डिसिल्टिंग सहित पारंपरिक जलाशयों का पुनर्जीवन।

(अ) सामान्य और वन भूमियों, सड़क सीमांतों, नहर बंद, कुंड तटाग्र और तटीय पट्टी में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना, और बागवानी।

(vi) सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य।

प्रवर्ग आ : दुर्बल वर्गों के लिए व्यक्तिगत परिसम्पत्तियां

(i) भूमि विकास के माध्यम से और खुदे हुए कुंओं, कृषि तालाबों तथा अन्य जल संचयन संरचनाओं सहित सिंचाई के लिए उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध कराकर भूमि की उत्पादकता में सुधार करना।

(ii) उद्यान कृषि, रेशम कृषि, पौधा रोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से आजीविका में सुधार करना।

(iii) इसे जुताई के अधीन लाने के लिए परती भूमि या बंजर भूमि का विकास।

(iv) इंदिरा आवास योजना या ऐसे अन्य राज्य या केंद्रीय सरकार की स्कीम के अधीन स्वीकृत गृहों के संनिर्माण में अकुशल मजदूरी संघटक।

(v) कुक्कुट आश्रय, बकरी आश्रय, सुकर आश्रय, पशु आश्रय, चारा द्रोणिका जैसे पशु धन के संवर्धन के लिए अवसंरचना का सृजन करना।

(vi) मछली शुष्कण यार्डों, भंडारण सुविधाओं जैसे मत्स्य पालन और सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में मत्स्यपालन के संवर्धन के लिए अवसंरचना सृजित करना।

III प्रवर्ग इ : एनआरएलएम सम्बन्धी स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अवसंरचना

(i) जैव उर्वरकों और पश्च कटाई सुविधाएं जिनके अंतर्गत कृषि उत्पाद के लिए पक्का भंडारण सुविधाएं भी हैं, के लिए अपेक्षित टिकाऊ अवसंरचना सृजित करके कृषि उत्पादकता संवर्धन करने के लिए कार्य।

(ii) स्वयं सहायता समूहों की आजीविका क्रियाकलापों के लिए सामान्य कार्यशाला।

IV प्रवर्ग ई : ग्रामीण अवसंरचना

(i) विहित संनियमों के अनुसार स्वतंत्र रूप से या 'खुले में मल त्याग न करने' प्रास्थिति तथा ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए अन्य सरकारी विभागों की स्कीमों के अनुसार व्यष्टिक घरेलू शौचालय, विद्यालय शौचालय एकक, आंगनबाडी शौचालयों जैसे कार्यों से संबंधित ग्रामीण स्वच्छता ;

(ii) असंबद्ध ग्रामों को और विद्यमान पक्का सड़क नेटवर्क के लिए अभिज्ञात ग्रामीण उत्पादन केंद्रों को जोड़ने के लिए सभी मौसमों में ग्रामीण सड़क संयोजकता उपलब्ध कराना ; और ग्राम में पक्की आंतरिक सड़कें या गलियों, जिनके अंतर्गत पार्श्विक नालियां और पुलियां भी हैं, का निर्माण ;

(iii) खेल के मैदानों का निर्माण ;

(iv) आपदा तैयारी में सुधार करना या सड़कों का जीर्णोद्धार या अन्य आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण कार्य भी हैं, का जीर्णोद्धार, जलमग्न क्षेत्रों में, अपवहन उपलब्ध कराने, बाढ़ जलमार्गों की मरम्मत करने, चॉयर जीर्णोद्धार तटीय संरक्षण के लिए तूफानी जल नालियों का निर्माण संबंधी कार्य ;

(v) ग्राम पंचायतों के लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों परिसंघों, चक्रवात, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्रामीण हाटों और ग्राम या ब्लॉक स्तर पर में शवदाह गृह के लिए भवनों का निर्माण ;

(vi) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए खाद्यान्न भंडारण संरचनाओं का निर्माण ;

(vii) अधिनियम के अधीन संनिर्माण संकर्मों के लिए ऐसे संकर्मों के प्राक्कलन के भाग के रूप में अपेक्षित निर्माण सामग्री का उत्पादन ;

(viii) कोई अन्य कार्य, जो इस संबंध में राज्य सरकार के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए.

क्रियान्वयन प्रक्रिया

1. ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम रोजगार चाहने वाले परिवारों का पंजीकरण.
2. श्रम रोजगार के इच्छुक ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क फोटोयुक्त परिचय पत्र/जॉब कार्ड की सुविधा.
3. पंजीकृत मजदूरों द्वारा कार्य हेतु ग्राम पंचायत/विकासखण्ड स्तर पर आवेदन
4. योजनान्तर्गत ठेकेदारी प्रथा तथा मशीनों का उपयोग प्रतिबन्धित.
5. पंजीकृत आवेदनकर्ता की मांग पर श्रम रोजगार की उपलब्धता 15 दिवस के भीतर सुनिश्चित.
6. निर्धारित अवधि के भीतर कार्य उपलब्ध न कराये जाने की दशा में बेरोजगारी भत्ता देय.
7. कम से कम लगातार 14 दिन के कार्य की मांग की अनिवार्यता.
8. 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से.
9. परियोजनाओं का चयन एवं अनुमोदन ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत द्वारा.
10. परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में रेखीय विभागों की सक्रिय भूमिका.

कार्य स्थलीय सुविधायें

1. चिकित्सा सुविधा, पीने का पानी, आराम हेतु छाया की उपलब्धता.
2. छः वर्ष से कम आयु के बच्चों की माताओं द्वारा कार्य किये जाने की दशा में यदि वे संख्या में 5 से अधिक हैं तो उनके बच्चों हेतु क्रेच की व्यवस्था.
3. कार्य करते दुर्घटना से घायल व्यक्ति की निःशुल्क चिकित्सा एवं अस्पताल भर्ती की स्थिति में आधी मजदूरी देय. मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में अनुग्रह राशि रु० 25000/– देय.

मजदूरी भुगतान प्रक्रिया

- भारत सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी दिनांक 1 अप्रैल 2018 से रु० 175/– निर्धारित.
- महिला तथा पुरुष को एक समान मजदूरी देने की व्यवस्था.
- 15 दिन के भीतर मजदूरी भुगतान की व्यवस्था.
- निर्धारित अवधि के भीतर मजदूरी भुगतान न दिये जाने की दशा में विलम्ब हेतु प्रतिकर भुगतान देय.
- कार्यों के लिए श्रमांश न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा सामग्री अंश अधिकतम 40 प्रतिशत निर्धारित जिसमें कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी भी सम्मिलित है.
- मजदूरी भुगतान विकासखण्ड स्तर पर NeFMS (National Electronic Fund Management System) के माध्यम से देय.
- सामग्री अंश का भुगतान विकासखण्ड स्तर पर EFMS (Electronic Fund Management System) के माध्यम से देय.

कुमाऊँ मण्डल में वर्ष 2016–17 तक ग्राम पंचायत स्तर पर श्रम रोजगार के इच्छुक 389329 परिवारों को जॉब कार्ड जारी किये गये, 73.711 हजार मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया तथा वर्ष के अन्त तक 21756.47 लाख रूपये का व्यय मनरेगा योजना में किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

मुख्य विशेषतायें

- सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण–शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराना
- टिकाऊ और आपदारोधी आवास (न्यूनतम 25 वर्ग मीटर)
- प्र.मं.आ.यो–ग्रा. के अन्तर्गत निर्मित आवासों में रसोई तथा शौचालय का निर्माण अनिवार्य
- आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता रू. 1.30 लाख
- इकाई सहायता के अतिरिक्त प्रति परिवार शौचालय निर्माण के लिए रू. 12000/– की सहायता स्वजल अथवा मनरेगा से
- आवास निर्माण के लिये मनरेगा योजना से 95 दिनों का अकुशल मजदूरी का प्रावधान
- इसके अतिरिक्त इच्छुक लाभार्थियों को रू. 70.000 तक संस्थागत ऋण का प्रावधान
- SECC- 2011 डाटा से ग्राम सभा द्वारा लाभार्थी का चयन
- आवास साफ्ट एवं पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधा भुगतान
- योजना के क्रियान्वयन एवं मोनीटरिंग हेतु मोबाइल ऐप की अनिवार्यता
- लाभार्थी को स्थानीय रूप से उचित एवं उपयोगी आवास डिजाइन चुनने का विकल्प
- आवासों की गुणवत्ता सुधार एवं दक्षता हेतु राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में डी.बी.टी./पी.एफ.एम.एस./ एफ.टी.ओ. के माध्यम से लाभार्थियों को भुगतान

प्र.मं.आ.यो.–ग्रा. के अन्तर्गत अनुमन्य धनराशि रूपये 1,30,000/– का भुगतान डी.बी.टी. के तहत पी. एफ.एम.एस. के माध्यम से FTO के द्वारा सीधे पात्र लाभार्थी के बैंक खाते में निम्नानुसार तीन किश्तों में हस्तान्तरित की जायेगी, जिस हेतु चयनित लाभार्थी को विकास खण्ड के माध्यम से आवास सॉफ्ट में स्वयं का बैंक खाता, आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं मनरेगा जॉब कार्ड का नम्बर अंकित कराना होगाः–

स्टेज	धनराशि/प्रतिशत	विवरण
I	60,000/–	आवास स्वीकृत होने पर तथा भूमि चयन के फोटो ग्राफ आवास सॉफ्ट में अपलोड होने पर
II	40,000/–	लेन्टल लेवल निरीक्षण/फोटो ग्राफ आवास सॉफ्ट में अपलोड होने के उपरान्त
III	30,000/–	आवास पूर्ण होने तथा निरीक्षण उपरान्त शौचालय सहित फोटो ग्राफ आवास सॉफ्ट में अपलोड होने पर

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया –ऑन–लाईन व्यवस्था, जियो टैगिंग–

- SECC- 2011 सर्वे में पात्र पाये गये लाभार्थियों का ग्राम सभा की खुली बैठकों द्वारा प्राथमिकता निर्धारण का प्रस्ताव करना।
- ग्राम सभा प्रस्ताव को आवास सॉफ्ट में अपलोड करना।
- ग्राम सभा प्रस्ताव द्वारा लाभार्थी के प्राथमिकता निर्धारण को ऑन–लाईन करना।
- अपीलिएट कमेटी से ऑन–लाईन अनुमोदन।
- लाभार्थी के बैंक खाता, आधार सं0, मनरेगा जॉब कार्ड सं0 आदि पूर्ण विवरण सहित लाभार्थी का पंजीकरण करना।
- आवास एप्प द्वारा आवास निर्माण स्थल का दो स्तरीय फोटो एवं जियो टैगिंग करना।
- जियो टैगिग के उपरान्त सैंक्शन जारी करते हुए सीधे लाभार्थी खाते में प्रथम किश्त की धनराशि का एफटीओ जारी करना।
- द्वितीय एवं तृतीय स्तर का जियो टैगिंग व किश्त का एफ.टी.ओ. जारी करना।

राज्य में पात्र परिवार– SECC-2011 सर्वे में आवास हेतु चिन्हित 62627 परिवारों का ग्राम सभा से सत्यापन उपरान्त 17342 परिवार आवास हेतु पात्र पाये गये। 2016–17 से 2018–19 तक कुल 17561 पात्र परिवारों को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार बुनियादी सुविधाओं से युक्त **''अच्छे आवासों''** का निर्माण करवाया जायेगा.

वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 634.80 लाख रू0 व्यय कर 2863 आवास पूर्ण कराये गये जिसमें 325 आपदा पैकेज के आवास भी सम्मिलित हैं।

नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान आवास योजना :– नवीन सरलीकृत ऋण सह अनुदान आवास योजना के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जिनकी अधिकतम वार्षिक आय रू0 32000.00 मात्र है, योजना में लक्षित है। योजना के अर्न्तगत आवास निर्माण हेतु रू0 10000.00 अनुदान तथा 40000.00 रू0 बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 13.20 लाख रू0 व्यय कर 169 आवास पूर्ण कराये गये।

सांसद क्षेत्र विकास योजना :– इस योजना के अन्तर्गत माननीय सांसद सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपये तक की लागत वाले निर्माण कार्य करवाए जाने का सुझाव दे सकते है। राज्य सभा के निर्वाचित माननीय सदस्य जिस राज्य से वे चुन कर आये है, उस राज्य के एक या अधिक जिलों का चयन

इस योजना के अन्तर्गत अपनी पसंद के निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन हेतु संस्तुति कर सकते है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 578.36 लाख रू0 व्यय किया गया।

विधायक क्षेत्र विकास निधि :– इस योजना के अर्न्तगत विधान सभा के प्रत्येक मा0 सदस्य 200.00 लाख रू0 की धनराषि तक निर्माण कार्य कराये जाने का प्रस्ताव दे सकते है। योजना के अधीन निर्माण कार्य स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित विकासात्मक प्रकृति के होने तथा स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन पर बल दिया जाता है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 6257.29 लाख रू0 व्यय किया गया।

एकल पेयजल योजना :– त्वरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को मुहैया कराये जाने के दृष्टिकोण से शासन द्वारा एकल पेयजल योजना प्रारम्भ की गई है, इसमें एक ग्राम्य की पेयजल योजना को ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं अनुरक्षण/देख–रेख हेतु हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है, ऐसी योजनाऐं जो एकल ग्राम पेयजल योजना होने के साथ–साथ ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित हो चुकी हो। योजना के अन्तर्गत योजना में कुल लागत का 10 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायत का अंश तथा 90 प्रतिशत भाग में शासकीय धनराशि होती है। योजना के अन्तर्गत विकास खण्डों से प्राप्त प्रस्तावों तथा स्वीकृत आगणनों की तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी विभाग से प्राप्त करने के पश्चात पेयजल विभाग से तकनीकी आख्या प्राप्त की जाती है, तदुपरान्त प्रस्वात स्वीकृति हेतु निदेशालय प्रेषित किए जाने पर आवंटन प्राप्त किया जाता है और योजना ग्राम पंचायत के स्तर से प्रारम्भ की जाती है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 25.63 लाख रू0 व्यय कर 37 योजनाऐं पूर्ण की गई।

दीन दयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना :– यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की गई है, जनपद स्तर पर जिला विकास अधिकारी योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी होते है, योजना में बी0पी0एल0 में चयनित परिवारों में से आवास विहीन परिवारों को जो प्रतीक्षा सूची में छूट गये हों, को आवास दिये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं परगनाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परीक्षण करने के बाद चयनित परिवारों की सूची का अनुमोदन जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा किया जाता है । आवासविहीनता के साथ–साथ अधिकतम रू0 21000/वार्षिक आय सीमा के ग्रामीण आवासविहीन परिवारों को पात्रता श्रेणी में इस प्रतिबन्ध के साथ रखा जाता है कि आय प्रमाण–पत्र उप जिलाधिकारी से न्यून स्तर का न हो। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 26.79 लाख रू0 व्यय कर 53 आवास पूर्ण किए गए।

राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम :– बायोगैस कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है यह 20 सूत्रीय कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, देश में ऊर्जा के बचत के दृष्टिकोण से योजना संचालित की जा रही है। इसमें ऐसे कृषकों का चयन किया जाता है जो संयंत्र स्थापित किये जाने के इच्छुक हो, जिसके अपने स्वयं के पास पॉच या उससे अधिक जानवर हों, उसके निवास के आस–पास पानी की प्रचुर मात्रा हो। कृषक का चयन विकास खण्ड स्तर से किया जाता है, और विकास खण्ड से ही अधिकतम जानकारी मुहैया करायी जाती है। चयन के पश्चात आवेदन पत्र प्राप्त कर संयंत्र का तकनीकी आंगणन विकास खण्ड के तकनीकी स्टाफ द्वारा तैयार किया जाता है, इसकी सूचना जिला स्तर को दी जाती है। जनपद के अन्तर्गत पूर्व वर्षो में संयंत्रों के निर्माण हेतु कुछ राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है जिनके द्वारा मांग के आधार पर संयंत्र निर्मित किए जाते है, इसके अलावा कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं जैसे पॉल हिमालयन, कालिका, रानीखेत द्वारा भी संयंत्र निर्माण हेतु टर्नकी ऐजेन्सी का कार्य किया जा रहा है। जनपद में भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत् प्रायः 02 घन मीटर आकार के संयंत्र स्थापित किए जा रहे है, जिसमें मुवलिंग 11000.00 की सब्सिडी तथा रू0 1500.00 टर्नकी एजेन्सी फीस निर्धारित में दी जा रही है। वर्ष 2016–17 में कुमाऊॅ मण्डल में 19.12 लाख रू0 (अनुदान) व्यय कर 244 बायोगैस संयंत्र निर्माण किए गए।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम्य स्वरोगार योजना (एस0जी0एस0वाई0) के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) एन0आर0एल0एम0 योजना

एस0जी0एस0वाई का एन0आर0आर0एल0एम0 में बदलाव

- विभिन्न कमियों के दृष्टिगत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माह जून 2011 में एस0जी0एस0वाई0 के मूल्याकंन के आधार पर गुणात्मक सुधार करते हुए एक नई योजना की रूपरेखा तैयार कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का नाम से संचालन।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) जिसका परिवर्तित नाम आजीविका भी है एक राष्ट्रब्यापी मिशन तथा ध्वजवाहक कार्यक्रम के रूप में संचालन।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महत्वपूर्ण घटक

सामाजिक एकजुटता एवं समावेश

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक गरीब ग्रामीण परिवार की कम से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह एवं इनके उच्च स्तरीय संगठनों (VO/BO) के माध्यम से आयवर्धक गतिविधियों से जोड़ कर उनकी आजीविका को संवहनीय बनाना।
- ग्रामीण बेरोजगार युवक–युवतियों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कर उन्हें रोजगार एंव स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से राज्य मे आगामी 8–10 वर्षो की अवधि के दौरान समस्त गरीब ग्रामीण परिवारों को मिशन के अन्तर्गत आच्छादित करने का लक्ष्य।
- सहभागिता से गरीबों की पहिचान (PIP).

संस्थागत तथा कौशल विकास

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से राज्य में विभिन्न केन्द्रपोषित/राज्य सहायतित अथवा वाह्यसहायतित योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व में गठित महिला स्वयं सहायता समूहों का सुदृढीकरण,क्षमता विकास एवं नवीन स्वयं सहायता समूहों का सृजन एवं क्षमता वर्धन कर आजीविका के विभिन्न गतिविधियों से जोड़ना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन करते हुये ग्राम, कलस्टर तथा विकास खण्ड स्तर पर संगठनों का निर्माण एवं आजीविका संर्वधन हेतु संसाधनों की उपलब्धता।
- समूह गठन में पंचसूत्र का नितान्त समावेशन।

वित्तीय समावेशन

- महिला स्वयं सहायता समूह एवं उनके संगठनों (Federations) को सतत् मार्गदर्शन एंव क्षमतार्वधन करना।
- महिला स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संगठनों को वित्तीय साक्षरता यथा – बचत, ऋण, साख तथा बीमा पर परामर्श उपलब्ध कराते हुए पूर्ण रूप से वित्तीय समावेशन करना।
- आर0एफ0 तथा सी0आई0एफ0 समूहों एवं उनके संगठनों को उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता।
- ब्याज उपादान (Interest subsidy) की ब्यवस्था।

आजीविका प्रोत्साहन

- मौजूदा आजीविका के मुख्य साधनों (कृषि, गैर कृषि एवं स्वरोजगार इत्यादि) का विस्तार तथा संगठन आधारित आजीविका का सृजन करना।
- कौशल एवं उद्यमिता आधारित रोजगार के क्षेत्र में प्रशिक्षण एंव क्षमता विकास करना।
- कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता तथा महिलाओं की कृषि आधारित आजीविका को बढ़ाने हेतु महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का क्रियान्वयन करना।

➢ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) एन0आर0एल0एम0 योजना प्रथम चरण में राज्य के 05 जनपद (देहरादून, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ एवं उत्तकाशी) के 10 विकास खण्डों को (Intensive) तथा शेष जनपदों के 85 विकासखण्डों को (Non-Intensive) विकास खण्ड मानते हुवे, आजीविका मिशन का क्रियान्वयन किया जाना है।

➢ एस0जी0एस0वाई0 योजना/एन0आर0एल0एम0 (आजीविका) के अन्तर्गत सक्रिय महिला/ विकलांग महिला समूहो जो समूह पंचसूत्रीय जैसे (नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित ऋण, नियमित ऋण की वापसी, बुक किपिंग) आदि समूहों को लिया जाना है। महिला समूहों को लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

➢ एस0जी0एस0वाई0 योजना/एन0आर0एल0एम0 (आजीविका) के अन्तर्गत बीस सूत्रीय कार्यक्रम में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। क्योंकि यह योजना लक्ष्य आधारित नहीं है।

➢ एस0जी0एस0वाई0 योजना/एन0आर0एल0एम0 (आजीविका) के अन्तर्गत सक्रिय महिला/विकलांग महिला समूहो को Subsidy (अनुदान) 0.10 लाख रू0 तथा Community Investment Funds (CIF) 0.50 लाख रू0 की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

अध्याय–20
प्रादेशिक विकास दल

विभाग का संक्षिप्त परिचय– प्रान्तीय रक्षक दल विभाग का गठन दिनांक 20 अक्टूबर 1947 के अधीन तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। तदोपरान्त वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम–1948 के माध्यम से प्रान्तीय रक्षक दल को वैधानिक दर्जा देते हुये इसकी भूमिका और उद्देश्यों का पुष्टिकरण भी कर दिया गया। उत्तराखण्ड राज्य गठन के उपरान्त युवा कल्याण एंव प्रान्तीय रक्षक दल विभाग पुर्नगठित करते हुये एक स्वतन्त्र विभाग के रुप में स्थापित किया गया है। विभाग का मुख्य कार्य जनपद की प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक–एक युवक एंव महिला मंगल दल का गठन करते हुये उनका सम्बद्विकरण/पंजीकरण कर उनके माध्यम से भारत सरकार, राज्य सरकार तथा विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुये ग्रामीण जनो को उससे लाभान्वित किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रान्तीय रक्षक दल में पी0आर0डी0 स्वयं सेवको का चयन कर उनको 22 दिवसीय अर्द्धसैन्य प्रशिक्षण दिलाकर विभिन्न कार्यालयों, मेला, परीक्षा तथा आपदा, शान्ति सुरक्षा ड्यूटीयों पर तैनात करते हुये अल्पकालीन रोजगार उपलबध कराया जाना है।

व्यायामशाला – वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर, में क्रमशः 13, 01, 06, 01, 03, 04 व्यायामशाला है।

ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता – ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के अर्न्तगत प्रत्येक विकास खण्ड स्तर एंव जनपद स्तर पर बालक/बालिकाओं की खेलकूद प्रतियोगिता के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, चम्पावत व बागेश्वर में विभिन्न खेलों के आयोजन हेतु प्राप्त क्रमशः रू0 2.00, 8.00, 8.00 व 2.25 लाख की धनराशि को खेल महाकुम्भ 2017 के अन्तर्गत आयोजित अण्डर–10, 14, 17, 19 एवं 19–35 आयुवर्ग के बालक/बालिकाओं की जनपद/राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं की यात्रा, भोजन भत्ता व खेलकिट आदि पर व्यय की गयी।

युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन –युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन सामग्री उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रति दल रुपये चार हजार की धनराशि समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी तथा प्रत्येक विकास खण्ड में रु0 2500 प्रतिमाह मानदेय पर महिला संगठको की तैनाती की गयी।

वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वऱ, में क्रमशः रू0 5.12, 0.64, 0.88, 2.40, लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 128, 16, 22, 60, युवक/महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित किया गया। जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर में महिला संगठको के मानदेय पर क्रमशः रू0 1.60, 1.05, 0.62, 0.75, 1.40 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 08, 08, 11, 03, 07, महिला संगठको की तैनाती की गयी।

विवेकानन्द यूथ एवार्ड – जनपद के सर्वश्रेष्ठ युवक/महिला मंगल दलों को पृथक–पृथक रूपये 5000.00 (1 शील्ड), 3000.00 व 2000.00 की धनराशि प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरूस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है। इसी प्रकार खण्ड स्तर पर रू0 1500.00, 1000.00 व 500.00 की धनराशि युवक/महिला मंगल दलों को प्रदान की जाती है।

स्वयं सेवकों का सुदृढीकरण – के अर्न्तगत जनपद की प्रत्येक न्याय पंचायत एंव खण्ड स्तर पर अवैतनिक रुप से तैनात हल्का सरदार तथा ब्लाक कमाण्डरो को क्रमशः रुपये 300.00 व 600.00 प्रतिमाह की दर से कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर, में क्रमशः रू0 2.16, 1.17, 2.00, 1.08, 1.48, 0.74, लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 52, 72, 100, 28, 38, 10 को मानदेय दिया गया।

समाज सेवा/शान्ति सुरक्षा – स्वयं सेवको को अल्पकालीन रोजगार उपलब्ध कराते हुये वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत़, बागेश्वऱ, ऊधमसिंह नगर, में क्रमशः रू0 125.19, 161.97, 270.78, 110.66, 153.97, 150.28 लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 31298, 40493, 67695, 27665, 38493, 37570 मानव दिवसों का सृजन किया गया तथा क्रमशः 95, 140, 175, 92, 151, 121 स्वयं सेवको को विभिन्न कार्यालयों तथा थाने मे तैनात किया गया। उक्त के अतिरिक्त गैर विभागीय ड्यूटियों के अन्तर्गत क्रमशः 264, 79, 56, 59, 23, 271 स्वयं सेवको को विभिन्न कार्यालयों में तैनात किया गया, जिनके ड्यूटी भत्ते का भुगतान सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा किया गया।

युवा महोत्सव – जनपद स्तर पर युवक/महिला मंगल दलों की सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता का आयोजन करते हुये विजयी टीमों को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग कराया गया वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वऱ में क्रमशः रू0 7.00, 1.00, 2.00, लाख धनराशि व्यय कर क्रमशः 09, 01, 01 विकास खण्ड व जनपद स्तर में युवक/महिला मंगल दलों की प्रतियोगिताऐ आयोजित की गयी।

खेल महाकुम्भ – वित्तीय वर्ष 2017–18 में खेल महाकुम्भ योजना के अन्तर्गत अण्डर–10, 14, 17, 19 एवं 19–35 आयुवर्ग के बालक/बालिकाओं की खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन किया गया जिसके लिये निदेशालय स्तर से कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः रू0 53.42, 59.42, 78.17, 34.83, 34.97, 45.17 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी जिससे क्रमशः 44, 64, 95, 24, 35, 27 न्याय पंचायतों एव 8, 08, 11, 04, 03, 07 विकास खण्डों तथा कुमाऊॅ मण्डल के 06 जनपदों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को नगद पुरूस्कार भी दिया गया।

अध्याय–21

दुग्ध विकास

1.जिला योजना का विवरण वर्ष 2017–18

क्र0स0	सैक्टर / वर्ष / जनपद	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
जिला सैक्टर				
1.	पिथौरागढ	90.00	63.71	63.71
2.	अल्मोडा	113.96	101.58	101.58
3.	नैनीताल	53.61	38.18	38.18
4.	ऊधमसिंह नगर	54.00	54.00	54.00
5.	बागेश्वर	49.74	30.73	30.73
6.	चम्पावत	100.00	69.28	69.28
योग कुमाऊॅ मण्डल		**461.31**	**357.48**	**357.48**

2.राज्य योजना का विवरण वर्ष 2017–18

क्र0स0	सैक्टर / वर्ष / जनपद	अनुमोदित परिव्यय	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि
राज्य सैक्टर				
1.	पिथौरागढ	112.762	112.762	112.762
2.	अल्मोडा	156.482	156.482	156.482
3.	नैनीताल	830.386	830.386	830.386
4.	ऊधमसिंह नगर	470.942	470.942	470.942
5.	बागेश्वर	49.136	49.136	48.901
6.	चम्पावत	156.323	156.323	156.323
योग कुमाऊॅ मण्डल		**1776.031**	**1776.031**	**1775.796**

जिला योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 के अन्तर्गत दुग्ध समितियों के स्तर पर दिये जाने वाले अनुदान हेतु मदवार निर्धारित मानकों का विवरणः–

(ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण)

जिला योजनान्तर्गत ग्रामीण दुग्ध सहकारिताओं के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत प्रति समिति प्रस्तावित वित्तीय सहायता के मानक की मार्ग–निर्देशिका का अनुलग्नकः–

1. नई दुग्ध समितियों के गठन हेतु सहायताः–

क्र0सं0	**विवरण**	**प्रथम वर्ष**	**द्वितीय वर्ष**	**तृतीय वर्ष**	**धनराशि(रू0)**
1.	दुग्ध जांच संयंत्र एवं रसायन आदि	3000	1000	500	4500
2.	फर्नीचर एवं कन्टीजैंसी	5000	–	–	5000
3.	दुग्ध कैन	7000	–	–	7000
4.	प्रबन्धकीय अनुदान	7200	6000	4800	18000
5.	प्राथमिक पशु चिकित्सा पेटिका एवं दवाए	2000	–		2000
6.	कार्यशील पूंजी	5000	5000	–	10000
7.	सचिव प्रशिक्षण	7500	–	–	7500
कुल योगः–		**36700**	**12000**	**5300**	**54000**

(2.) तकनीकी निवेश कार्यक्रमः–

(2.1) पशु औषधि– ₹ 100 प्रति पशु ।
(2.2) डिवार्मिंग – ₹ 40 प्रति।
(2.3) टीकाकरणः ₹ 20 प्रति।
(2.4) फीड सप्लीमेन्ट (यूरिया मौलेसिस लिंक ब्लाक)– ₹ 45 प्रति तीन कि0ग्रा0
(2.5) मिनरल मिक्सचर– ₹ 30 प्रति कि0ग्रा0
(2.6) आपात्कालीन पशुचिकित्सा एवं पर्यवेक्षण इकाई–(अधिकतम 02 यूनिट)

(i) पशु चिकित्सक हेतु–
(क.) मानदेय (समस्त भत्तों सहित) ₹ 22 हजार प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु– ₹ 2.64 लाख।
(ख.) इन्सेन्टिव ₹ 50 प्रति केस, 80 केस प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु– ₹ 0.48 लाख।

(ii) वाहन–
(क.) पशुचिकित्सक हेतु 100 किमी0 / दिन / 20दिन / 12माह @ ₹ 9 / किमी0– ₹ 2.16 लाख प्रति वर्ष (अधिकतम)।
(ख.) जनपदीय सहायक निदेशक के फील्ड पर्यवेक्षण हेतु 100 किमी0 / दिन / 10दिन / 12माह @₹ 9 / किमी0– ₹ 1.08 लाख प्रति वर्ष (अधिकतम)।

योगः– प्रति इकाई– ₹ 6.36 लाख।

(2.7) विविध व्ययः–(अधिकतम 01 यूनिट) ₹ 30,000 / –प्रतिवर्ष।
(2.8) संतुलित पशु आहार अनुदान–
(क) मैदानी क्षेत्र ₹ 2.00प्रति किग्रा0
(ख) पर्वतीय क्षेत्र ₹ 4.00प्रति किग्रा0
(2.9) कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक–
(क) मैदानी क्षेत्र ₹ 1.00 प्रति किग्रा0
(ख) पर्वतीय क्षेत्र ₹ 3.00 प्रति किग्रा0
(2.10) हैडलोड अनुदान–
(1) मैदानी क्षेत्र 25 पैसा / लीटर / कि0मी0
(2) पर्वतीय क्षेत्र 50पैसा / लीटर / कि0मी0

(3.) दुग्ध समितियों में अवस्थापना विकास–

(3.1) दुग्ध कक्ष निर्माण–
(1) मैदानी क्षेत्र ₹ 4.65 लाख प्रति।
(2) पर्वतीय क्षेत्र ₹ 5.15 लाख प्रति।
(3.2) भूसा गोदाम निर्माण–
(1) मैदानी क्षेत्र ₹ 5.15 लाख प्रति।
(2) पर्वतीय क्षेत्र ₹ 5.65 लाख प्रति।
(3.3) डी0पी0एम0यू0 सहित मिल्क एनालॉइजर की स्थापना– ₹ 65,000 / प्रति नग।
(3.4) डी.पी.एम.यू. व वेईंग मशीन सहित मिल्क एनालॉइजर स्थापना– ₹ 80,000 / प्रति।
(3.5) मैनुअल फैट टैस्टिंग मशीन– ₹ 3,000 / प्रति मशीन।
(3.6) इलेक्ट्रिकल फैट टैस्टिंग मशीन– ₹ 5,000 / प्रति मशीन।
(3.7) मैनुअल चैप कटर– ₹ 6,000 / प्रति नग।
(3.8) इलेक्ट्रिकल चैप कटर (मोटर सहित) ₹ 10,000 / प्रति नग।
(3.9) दुग्ध समितियों में सौर ऊर्जा व्यवस्था– (डी0पी0एम0यू0 संचालन हेतु)

(अ) सोलर प्लांट (इनवर्टर व बैटरी सहित)– ₹ 35,000 / प्रति नग।
(ब) सोलर प्लांट (इनवर्टर व बैटरी रहित)– ₹ 20,000 / प्रति नग।

(4.) <u>प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार कार्यक्रम</u>–

(4.1) समिति भवन वॉल पेंटिंग– ₹ 10,000/प्रति समिति।

(4.2) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन– **(धनराशि ₹ में)**

क्र0 सं0	प्रशिक्षण कार्यक्रम	अवधि	प्रति व्यक्ति दर/दिन	कुल सहायता
1.	समिति सचिव रिफ्रेसर प्रशिक्षण	7 दिन	500.00	3,500.00
2.	फारमर्स इण्डक्शन कार्यक्रम	2 दिन	500.00	1000.00
3.	प्रबन्ध समिति सदस्य प्रशिक्षण	3 दिन	500.00	1500.00
4.	स्टाफ प्रशिक्षण (प्रशिक्षक मानदेय सहित)	5 दिन	1000.00	5000.00
5.	5.1 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन गोष्ठी 5.2 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन किट वितरण 5.3 दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन	1 दिन	₹ 2,000/– प्रतिगोष्ठी ₹ 400/– प्रति किट। ₹ 2,200/–प्रति दुग्ध मार्ग।	

(4.3) पशु चिकित्सा एवं पशु प्रर्दशनी कैम्प – ₹ 5,000 प्रति कैम्प।

<u>(5.) स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु सहायता</u>:–

क्र0सं0	विवरण	दर
5.1	पशुशाला (01 पशु व 01 बछड़ा हेतु 60 वर्ग फुट)	₹ 12,000/– प्रति पशुशाला
5.2	पशु नाद एवं पशु चरी व्यवस्था– पशु नाद– पशु चरी व्यवस्था–	 ₹ 4,000/– प्रति। ₹ 2,500/– प्रति।

(6.) <u>दुग्ध गुणवत्ता नियंत्रण एवं जागरूकता कार्यक्रम</u>:–

(6.1) उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम – ₹ 7,000/– प्रति कैम्प।

(6.2) मिल्क टैस्टिंग प्रोत्साहन– ₹ 1.00/–प्रति सैम्पल।

पर्वतीय क्षेत्र (10 ली0 से अधिक की दुग्ध समितियों हेतु)

(6.3) सचिव प्रोत्साहन– दुग्ध व्यवसाय का 3.5%।

(10 ली0 से अधिक की दुग्ध समिति हेतु)

2. राज्य सेक्टर योजना:–

2.1. <u>डेरी विकास योजना</u>:–

- **प्रबंधकीय अनुदान:–**इसके अन्तर्गत दुग्ध संघ स्तर पर मानव संसाधन की कमी को दूर करने के दृष्टिकोण से संघ स्तर पर नियुक्त किये गये प्रबंधकीय स्टाफ, ग्रुप सचिवों को राजकीय अनुदान के रूप में मानदेय कार्यालय श्रम विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।
- **यातायात योजना:–**इसके अन्तर्गत दुग्ध समितियों से दुग्ध संग्रह कर दुग्धशाला तक लाने हेतु दुग्ध परिवहन में आने वाले व्यय में से राजकीय अंश के रूप में अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित दूध के ढूलान पर होने वाले यातायात व्यय के अतिरिक्त व्ययभार को वहन करने हेतु यातयात अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
- **अवस्थापना सुविधायें:–**इसके अन्तर्गत दुग्ध संघों को सिविल कार्य व प्लाण्ट मशीनरीज मदों में इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इससे दुग्ध संघों का सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाता है।

2.2. <u>गंगा गाय महिला डेरी योजना</u>:–

- गंगा गाय महिला डेरी योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत प्राथमिक दुग्ध समितियों की महिला सदस्यों को एक दुधारू गाय क्रय हेतु बैंक ऋण व अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 198.8035 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिससे 703 पशुक्रय

का लक्ष्य निर्धारित था, जिसे क्रय कर पूर्ण कर लिया गया। साथ ही, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थी को पशुनाद के लिये वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जा रही है।

- इस योजना के अन्तर्गत क्रय की गयी दुधारू गाय का तीन वर्ष का पशुबीमा करवाने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

योजना की प्रति यूनिट लागत निम्नवत् है– **(धनराशि ₹ में)**

क्र0 सं0	विवरण	दुधारू पशु की इकाई	इकाई की लागत	अनुदान की धनराशि	बैंक ऋण की राशि	लाभार्थी अंशदान
1.	क्रास ब्रीड गाय	1	40,000	20,000	20,000	0
2.	परिवहन लागत	1	2800	1400	0	1400
3.	दुधारू पशु का तीन वर्ष का बीमा	1	1920	960	0	960
4.	पशु नांद/चरी क्रय हेतु अनुदान	1	2000	2000	0	0
5.	दुधारू पशु हेतु चारे दाने की व्यवस्था	1	5280	2640	0	2640
	योग–	**1**	**52000**	**27000**	**20000**	**5000**

2.3. दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनाः–

- इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को 8.00 प्रतिशत एस0एन0एफ0 अथवा इससे अधिक की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹ 4.00 प्रति लीटर तथा 7.50 से 7.99 प्रतिशत एस0एन0एफ0 की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹ 3.00 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि राजअनुदान उपलब्ध कराया गया है।
- राज्य सेक्टर में दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 1272.3496 लाख (सामा0– ₹ 1113.1272 एवं एस0सी0एस0पी0– ₹ 159.2224 लाख) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसका उपयोग कर लिया गया।

2.4. <u>महिला डेरी विकास योजना</u>ः–

- प्रदेश में महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु महिला डेरी विकास परियोजना के माध्यम से महिला दुग्ध समितियों का गठन कर ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने, ग्रामीण महिलाओं को जीवकोपार्जन हेतु आय–व्यय जागरुकता, सामाजिक उत्थान, स्वावलम्बी बनाने हेतु तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है, जिसके अन्तर्गत वेतन, प्रोपल्शन आदि के अतिरिक्त महिला दुग्ध समितियों का गठन– ₹ 53,85,300.00 प्रति समिति, अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजन/सेमिनार– ₹ 11,000.00 प्रति जनपद तथा महिला दुग्ध उत्पादकों को विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत सचिव प्रशिक्षण, प्रबन्ध कमेटी सदस्य प्रशिक्षण, स्टाफ प्रशिक्षण त्था स्वच्छ दुग्ध उपार्जन गोष्ठी हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।
- राज्य सेक्टर में डेरी विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 137.94407 लाख (सामा0– ₹ 96.073, एस0सी0एस0पी0– ₹ 35.466 लाख एवं टी0सी0पी0– ₹ 6.403 लाख) की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसका उपयोग कर लिया गया।

2.5. <u>दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण</u>ः–

- इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न दुग्ध संघों को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है।

- **2.6. <u>सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना</u>ः–**
- वर्ष 2017–18 हेतु उक्त योजनान्तर्गत सामान्य में ₹ 70.00 लाख के बजट प्राविधान के सापेक्ष ₹ 62.62 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसका उपयोग कर लिया गया।

3. <u>वर्ष 2017–18 की उपलब्धियां</u> :– उत्तराखण्ड राज्य में दुग्ध सहकारिता क्षेत्र के अंतर्गत सभी 13 जनपदों को आच्छादित कर लिया गया है और इस हेतु 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 निबन्धित किये गये हैं। दुग्ध सहकारिता की केन्द्रीयत एजेन्सी के रूप में उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फेडरेशन का भी गठन किया गया हैं।

वर्ष 2017–18 में निर्धारित लक्ष्य 3987 के समक्ष माह मार्च, 2018 तक 4066 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित की गईं। इन दुग्ध समितियों से निर्धारित लक्ष्य 1,57,894 के समक्ष 1,59,421 सदस्य से 1,94,894 कि0ग्रा0 औसत दैनिक दुग्धोपार्जन किया गया। साथ ही विभिन्न दुग्ध संघों द्वारा इस वर्ष राज्य के नगरीय उपभोक्ताओं को 185604 लीटर के निर्धारित लक्ष्य के समक्ष 1,56,009 लीटर औसत दैनिक तरल दुग्ध बिक्री किया गया।

4. <u>डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड की उपलब्धियाँ एक दृष्टि में</u>:–

(सहकारी वर्ष–2017–18, माह/दिनांकः मार्च, 2018 तक)।

- 11 दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ गठित एवं कार्यरत।
- 10 दुग्धशालाऐं, जिनकी दैनिक क्षमता 2.55 लाख लीटर प्रतिदिन।
- 45 दुग्ध अवशीतन केन्द्र, जिनकी क्षमता 1.25 लाख लीटर प्रतिदिन।
- 100 मै0 टन क्षमता की पशुआहार निर्माणशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) में स्थापित।
- 140 दुग्ध मार्गों पर 4,066 दुग्ध सहकारी समितियां गठित एवं कुल 2,652 कार्यरत, जिसमें 1,59,421 सदस्यों तथा 51,796 पोरर दुग्ध उत्पादकों की भागीदारी।
- माह मार्च, 2018 में औसत दैनिक दुग्धोपार्जन 2,47,554 कि0ग्रा0 एवं वर्तमान सहकारी वर्ष में मार्च, 2018 तक औसत दैनिक दुग्धोपार्जन 1,94,894 कि0ग्रा0।
- माह मार्च, 2018 में औसत तरल दुग्ध बिक्री 1,56,932 ली0 एवं वर्तमान सहकारी वर्ष में माह मार्च, 2018 तक औसत दैनिक तरल दुग्ध बिक्री 1,56,009 लीटर।
- माह मार्च, 2018 तक कुल 12,490 मै0 टन आँचल पशुआहार की बिक्री।

6. <u>रोजगार सृजन</u>:–

कार्यरत समितियां–	2652
सदस्यता–	159421
दैनिक दुग्ध उपार्जन (किग्रा0)–	194894 कि0ग्रा0
प्रति समिति औसत दुग्ध उपार्जन–	73.00 लीटर
दैनिक नगरीय दुग्ध विक्रय (ली0)–	156009 कि0ग्रा0
पशु आहार विक्रय (मै0टन)–	10718 मै0टन
प्राथमिक पशु चिकित्सा संख्या/डिवार्मिंग–	31676/89908

4. <u>स्वाट (swot)विश्लेषण</u>:–

<u>ताकत (strength)</u>

1– सहकारी संस्था होने के कारण समय–समय पर शासकीय संरक्षण एवं सहायता।

2– पर्यटक स्थल होने के कारण दूध की बिक्री के लिए अच्छा बाजार उपलब्ध है।

3– पशुपालन एवं डेरी व्यवसाय हेतु विभिन्न श्रोतों से व्यापक निवेश हो रहा है।

4– सहकारी संस्था होने के कारण व्यापक जनसहयोंग है।

<u>कमजोरियॉ</u> <u>(weakness)</u>

1–सहकारी संस्था होने के कारण व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप व्यवसाय में बाधक।

2–त्वरित निर्णय प्रक्रिया का आभाव।

3–अत्यधिक कच्चा व्यवसाय होने के कारण अस्थिरता की स्थिति बनी रहना।

4–पुरानी मशीनरी एवं छोटा संयत्र।

5–कार्मिकों का मूल्यॉकन योग्यता एवं उपयोगिता पर आधारित न होकर वरियता के आधार पर किया जाना।

5. सम्भावनाएँ (opportunities):–

1–दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के उपयोग के प्रति स्वास्थ जागरूकता बढ़ रही है।
2–व्यवसाय का विविधीकरण।
3–ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जनसंख्या वृद्वि तथा कृषि जोते छोटी होने से स्वरोजगार के लिए पशुपालन पर निर्भरता बढ़ रही है।

6. भय (threat):–

1–इंधन में (कोयला,तेल बिजली) तथा पैकिंग मैटेरियल की दरों में उत्तरोत्तर वृद्वि।
2–उपभोक्ताओं में फैट (घी) उपयोग कम करने की और रूझान का बढ़ना।
3–विश्व व्यापार और वैश्वीकरण की बढ़ती चुनौतियॉ तथा नये कारधानों का बोझ।
4–शहरों का तेजी से गॉव की तरफ बढ़ने से कृषि एवं दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में कमी होना।
5–औद्योगीकरण का तीव्र विकास डेरी व्यवसाय को प्रतिस्थापित कर सकता है।

7. प्रमुख आवश्यकतायें/कार्यक्रम/विचारः–

1–दक्ष, प्रशिक्षित एवं उच्च शिक्षा प्राप्त प्रबन्धकीय श्रम शक्ति।
2–वर्तमान श्रम शक्ति का प्रशिक्षण, भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कर क्षमता विकास।
3–दुग्धशाला मे प्लांट मशीनरी का आधुनिकीकरण।

महिला डेयरी परियोजनाः–उत्तराखण्ड में दुग्ध उर्पाजन का कार्य परम्परागत रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। महिलाओं को रोजगार से जोडने के उद्देश्य से जनपद में महिला दुग्ध समितियों के गठन का कार्य एवं दुग्ध उपार्जन कार्य सफलता पूर्वक किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना मे पशु पोषण,स्वयं सहायता समूह,जागरूकता कार्यक्रम, सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते है। वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर में क्रमशः..2, 2, 2, 2, 2, 2, कुल 12 दुग्ध समितियो का गठन किया गया, जिनसे प्रतिमाह औसतन क्रमशः 583, 40, 57, 9, 15, 177 कुल 881 ली0 औसत दैनिक दुग्ध उपार्जन किया गया।

डेरी विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ का विवरणः–

1. पशु औषधि एवं डिर्वार्मिगः– पर्वतीय ग्रामिण क्षेत्रो मे प्राथमिक पशु चिकित्सा, पशु कृमि नाशको की औषधियो की जानकारी एवं उपलब्धता न होने के कारण दुग्ध उत्पादक सदस्यो के पशुओ का दुग्ध उम्पादन गिर जता है जिससे प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन गिर जाता है और दुग्ध उत्पादन दुग्ध व्यवसाय को अलाभप्रद मानकर इससे विमुख होने लगता है पर्वतीय ग्रामिण क्षेत्रो मे दुग्ध समिति सदस्यो के प्शुओ की स्वास्थ्य रक्षा एवं दुग्ध उत्पादन मे वृद्वि हेतु ग्राम स्तर पर, पशु टीकाकरण, औषधि एवं डिवार्मिग की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 2017–18 में कुमाऊ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोडा, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत पशु टिकाकरण में अनुदान 1.290, 0, 0, 0, 0, 0 कुल 1.290, 18000, 0, 0 ,0, 0, 0, 0 कुल 18000, एवं पशु औषधि क्रमशः..0, 10000, 8000, 0, 2000, 11676 कुल 31676 पशु औषधि हेतु 100 प्रति पशु की दर से क्रमशः 0, 10.500, 8.00, 0, 2.00, 11.670, कुल 32.170 लाख व 10000, 4875, 10000, 0, 1000, 12500 कुल 38375 डीवार्मिग हेतु 40.00 प्रति पशु की दर से क्रमशः 3.07, 5.00, 4.00, 0, 0.40, 3.00 लाख व क्रमशः कुल रू. 15.47 लाख का व्यय किया गया है।

2. आपातकालीन पशु चिकित्सा एवं पर्यवेक्षक इकाईः–समिति सदस्यो द्वारा आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। अतः दुग्ध समिति सदस्यो को नाममात्र शुल्क पर आपातकालीन पशु चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी। आपातकालीन पशु चिकित्सा एवं फील्ड पर्यवेक्षक इकाई हेतु 5.00 लाख प्रति यूनिट की दर निर्धारित की गई है।

3. संतुलित पशु आहार अनुदानः–दुग्ध उत्पादक में वृद्धि तथा दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल उन्हें नियमित रूप से संतुलित पशु आहार खिलाना अति आवश्यक है। अतः दुग्ध उत्पादको को इस हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा,कि वे अपने पशुओं का आवश्यकतानुसार संतुलित पशु आहार खिलायें। वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोडा़, चम्पावत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर के अर्न्तगत क्रमशः. 0, 10.600, 23.400, 27.00, 3.00, 22.00, कुल रू. 86.00 लाख का व्यय किया गया है।

4. हैड लोड अनुदानः–पर्वतीय क्षेत्रो मे दुग्ध उत्पादन अत्यधिक कम हैं। तथा अधिकांश ग्राम छितरे हुये व सडक से दूर स्थित है। अतः दुग्ध समितियों में संग्रहित दुग्ध प्रतिदिन रोड हैड तक पहुचाने में व्यावहारिक कठिनाई आती है। दुग्धशालाऐं अपने संसाधनो से इतना व्यय करने की स्थिति में नही है कि वे हैडलोडर को

पर्याप्त भुगतान कर सकें। ऐसी परिस्थिति में दुग्ध विकास कार्यक्रमों को सुदूर स्थित ग्रामो तक पहुचॉने मे कठिनाई आ रही है। अतः हैड लोड अनुदान उपलब्ध कराये जाने के लिये पर्वतीय क्षेत्र हेतु 50 पैसा प्रति लीटर प्रति किमी0 की दर से वर्ष 2017–18 मे कुमाऊ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोडा, चम्पापवत, बागेश्वर, उधमसिंहनगर, के अर्न्तगत क्रमशः 0, 29.670, 34.01, 33.20, 4.49, 0, कुल रू. 101.370 लाख व्यय किया गया।

5. गंगा गाय महिला डेरी योजनाः–राज्य सैक्टर योजना के अर्न्तगत गंगा गाय महिला योजना के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2017–18 में कुमाऊ मण्डल के जनपद नैनीताल, पिथौरागढ, अल्मोड़ा, चम्पावत,बागेश्वर, उधमसिहनगर, के अर्न्तगत क्रमश. 228, 75, 90, 105, 25, 180 कुल 703 .गाय क्रय की गई प्रति लाभार्थी मु0 27000 का अनुदान उपलब्ध करा कर क्रमशः. 45.6, 15.00, 18.00, 21.00, 5.00, 36.00 कुल रू. 140.6 लाख व्यय किया गया है।

6. दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहनः–राज्य सेक्टर योजना के अर्न्तगत सहकारी समितियो के समस्त दुग्ध उत्पादको का दुग्ध प्रोत्साहन योजना 2017–18 से दुग्ध मूल्य के अतिरिक्त प्रति लीटर मु0 4.00 का प्रोत्साहन राशि का वितरण कर क्रमशः 637.217, 39.410, 73.887, 63.421, 3.158, 387.214 कुल रू 1204.307 लाख व्यय किया गया है।

7. मिनरल मिक्सचरः–जनपद मे दुधारू पशुओ के कम दुग्ध उत्पादन तथा बांझपन एक गम्भीर समस्या है इसके निराकरण हेतु दुधारू पशुओ को पर्याप्त मात्रा में मिनरल की आवश्यकता होती है, मिनरल की पूर्ति हेतु दुग्ध उत्पादकों को प्रति किलाग्राम 30 रू0 अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

8. कॉम्पैक्ट फीड ब्लाकः–जनपद मे चारे की अत्यन्त कमी है। अधिकांश दुधारू पशु कुपोषण के शिकार है जिसके कारण दुग्ध उत्पादन कम है। ऐसी स्थिति में पशुपालको को दुग्ध विकास योजनाओ का अपेक्षित लाभ नही मिल पा रहा है। दुग्ध उत्पादन मे वृद्धि तथा दुधारू पशुओ के स्वास्थ्य की देखभाल हेतु उन्हे रियासती दर पर/अनुदान में कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक उपलब्ध कराया जा रहा है।

9. दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो के गुणवत्ता के प्रति उपभोक्ताओं हेतु जागरूकता कार्यक्रमः– दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थो मे हो रहे विभिन्न प्रकार के अपमिश्रण की जानकारी, उनकी जांच तथा होने वाले दुष्परिणामो के प्रति उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलो पर अस्थाई स्टाल अथवा कैम्प लगाकर उपभोक्ताओं का उक्त जानकारियां उपलब्ध करायी जा रही है। इन कैम्पो के माध्यम से दुग्ध उपभोक्ताओ को दूध की गुणवत्ता के साथ साथ उसमे हो रहे अपमिश्रण की जानकारी जिले के विभिन्न क्षेत्रो में उपलब्ध करायी जा रही है।

10. दुग्ध समितियो मे अवस्थापना विकासः– दुग्ध समितियो मे अवस्थापना विकास के अर्न्तगत डी.पी.एम0यू0 सहित मिल्क एनांलाइजर की स्थापना किया जा रहा है डी.पी.एम0यू0 सहित मिल्क एनालाइजर की स्थापना से दुग्ध गुणवत्ता मे सुधार के साथ दुग्ध समिति के कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार हुआ है।

अध्याय – 22
मत्स्य विकास

मत्स्य पालन स्वरोजगार का सशक्त साधन है। वर्तमान में उॅचाई वाले क्षेत्रों में ठंडे पानी की मत्स्य प्रजातियॉ कामन मिरर, सिल्वर एवं ग्रास कार्प पाली जा रही है। प्रमुख जल संसाधन के अर्न्तगत कोसी, रामगंगा, विनोद, गगास ,सुयाल, एवं सरयू प्रमुख नदियॉ है। जनपद में प्राकृतिक झीलों एवं तालाबों का पूर्ण आभाव है। मत्स्य पालन हेतु शुद्व जल की अनुपलब्धता दूर करने हेतु शासन द्वारा कच्चे तालाब निर्माण हेतु बैंक ऋण एवं अनुदान जनपद में ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वृहद जलाशय क्रमशः नानकसागर, बैगुल, धौरा, तुमरिया, उपलब्ध हैं। विभाग द्वारा मत्स्य पालन की संभावना वाले इन तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा राजस्व विभाग से जनपद के मत्स्य पालकों को दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन "नीली क्रान्ति" को बढ़ावा देने के उददेश्य से बहुआयामी प्रयास किये जा रहे है। प्राकृतिक जलसम्पदा के रूप में नैनीताल, खुर्पाताल, साततात, भीमताल एवं नौकुचियाताल प्रमुख झीलें हैं। नदियों के रूप में गौला, कोसी, प्रमुख नदियां है।

मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालन हेतु विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत ग्रामीण स्तर पर तैयार कराये गये कच्चे तालाबों में मत्स्य बीज वितरण किया जाता रहा है। अंगुलिकाओं का वितरण निर्धारित मूल्य व यातायात व्यय वसूल कर किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहॉ वर्ष भर जलश्रोतों की उपलब्धता रहती है।

मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विशिश्ट स्थान है, जहॉ सागरों, नदियों, झीलों, जलाशयों तथा प्राकृतिक तालाबों के साथ–साथ मानव निर्मित तालाबों के रूप में अन्तः स्थलीय जल संसाधन उपलब्ध है। भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामीणों के आर्थिकी का स्रोत मुख्यतः कृषि पर आधारित है। पर्वतीय क्षेत्र में मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र के अर्न्तगत आर्थिक लाभ अर्जन के साथ–साथ क्षेत्र वासियों को प्रोटीन युक्त पौष्टिक सुपाच्य आहार उपलब्ध कराने का साधन हैं। जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं जल संसाधनों के अनुरूप जनपद में शीत जल मत्स्य प्रजातियों कामन कार्य, मिरर कार्य, सिल्वर कार्य व ग्रास कार्य आदि का पालन किया जा रहा है। जनपद के अर्न्तगत प्राकृतिक जल संसाधन सरयू, गोमती व पिण्डर नदी, गरूड गंगा, लाहुर नदी एवं विभिन्न गधेरे है।

कृषकों को निजी भूमि में ऐसे स्थान जहॉ नदियों गधेरों नहरों व प्राकृतिक श्रोतों द्वारा वर्ष भर पानी की उपलब्धता हो छोटे–छोटे तालाब निर्माण/सुधार कर मत्स्य पालन कार्य–व्यवसाय करने हेतु विभाग द्वारा शासकीय सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। तकनीकी सुविधायें निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

2–जलाशय विकास योजना

➢ **मत्स्य संरक्षण एवं संर्वधन हेतु जनचेतना एवं गोष्ठी –** पर्वतीय क्षेत्र मे उपलब्ध जलस्रोतों में उपलब्ध मत्स्य सम्पदा के संरक्षण एवं संर्वधन हेतु जन चेतना व गोष्ठियों का आयोजन कर प्रति गोष्ठी रू 10,000/की दर सें व्यय किया गया। वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, के अर्न्तगत क्रमशः 02, 04, 10 ,07, 10, 07 गोष्ठियों का आयोजन कर क्रमशः.रू .0.20, 0.40, 1.00, 0.70, 1.00, 0.70 लाख की राशि व्यय की गयी।

➢ **मत्स्य बीज संचयः–** मत्स्य बीज संचय हेतु विभिन्न स्रोत्रो जैसे प्रदेश में स्थित मत्स्य प्रक्षेत्रों/नदियों आदि से मत्स्य बीज संग्रहित कर जनपद के भीतर ही दूसरे ऐसे स्थानों पर जहॉ पर मत्स्य सम्पदा का निरन्तर ह्रास हो रहा है तथा मछलियों की कुछ प्रजातिया लुप्त होने के कगार पर है। वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, के अर्न्तगत नदियों मे क्रमशः 2.15, 2.00, 2.00, 0.66, 2.00, 1.90, लाख मत्स्य बीज जनपद ऊधम सिंह नगर हेमपुर हैचरी, काशीपुर से ला कर संचित किया गया है।

➢ **मत्स्य उत्पादकता व्रद्वि योजना** – इस योजना के अर्न्तगत पुराने तालाबों का सुधार कर उन्हें रेयरिंग यूनिट के रुप में विकसित करना है। 100 वर्ग मी0 के तालाब के सुधार हेतु कुल मानक धनराशि रू0 40000 के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान धनराशि रू0 20000 अनुदान देय होगा। वर्ष 2018–19 में प्रत्येक जनपद में प्रति यूनिट रू0 20000 की दर से 10 यूनिट मत्स्य उत्पादकता व्रद्वि योजना में तालाबों का सुधार प्रस्तावित है।

➢ **मत्स्य पालक सशक्तिकरण योजना–** मात्स्यिकी एवं मत्स्य पालन में लगे व्यक्तियों हेतु निवेश सामाग्री उपलब्ध कराने को द्रष्टिगत रखते हुए इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को निवेश/इनपुट समाग्री के क्रय मूल्य पर 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा।परन्तु जलक्षेत्र/तालाब का क्षेत्रफल 0.20 हेक्टेयर या 2000 वर्ग मी0 से अधिक होना चाहिये।

➢ **समन्वित मत्स्य पालन योजना**–समन्वित मत्स्य पालन में मछली पालन के साथ–साथ अन्य पद्धति को समन्वित किया जाता हैं।योजनान्तर्गत पूर्व से निर्मित 0.20 है0 क्षेत्रफल के तालाब पर बत्तख पालन हेतु बाडा निर्माण एवं बन्धों पर पेड लगाये जाने एवं प्रथम वर्षीय निवेश पर होने वाले व्यय धनराशि रु0.91 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत अनुदान रु0 0.455 लाख का अनुदान देय होगा।शेष 50 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी द्धारा स्वंय वहन की जायेगी। विभागीय योजनाओ के माध्यम से जिन लाभार्थियों द्धारा पूर्व में 0.20 है0 से अधिक क्षेत्रफल के तालाब निर्मित कराये गये हैं उन मत्स्य पालकों को इस योजना से लाभान्वित किया जा सके।

➢ **मत्स्य बीज वितरणः–** वर्ष 2017–18 में कुमाऊॅ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, चम्पावत, के अर्न्तगत क्रमशः 3.78, 2.00, 4.05, 206.707 4.62, 0.2595, लाख मत्स्य बीज मत्स्य पालकों के तालाबों में संचय हेतु उन्नत प्रजाति का मत्स्य बीज विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों/अभिकरण की हैचरी से लाकर वितरित किया गया।

राज्य सैक्टर अर्न्तगत योजना (तालाब निर्माण)– पर्वतीय क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के 100 वर्ग मी0 तालाब निर्माण हेतु 1,20,000.00 लागत पर 60 प्रतिशत अनुदान देय है जिस पर तालाब निर्माण हेतु अनुदान 60000.00 एंव निवेश हेतु अनुदान रू 12000.00 देय है। इस प्रकार कुल अनुदान रू 72000.00 देय हैं। निवेश के रूप में मत्स्य आहार एंव मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जाता है।

3– मैदानी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के तालाब निर्माण हेतु 1.0 हैक्टअर तालाब निर्माण हेतु कुल लागत रू0 7.00 लाख व्यय किया जायेगा तालाब निर्माण कार्य के अर्न्तगत लाभार्थी द्वारा तालाब निर्माण के साथ– साथ स्लूयिस गेट निर्माण, फीड स्टोरेज हेतु सेड निर्माण कार्य सम्मिलित है। तालाब निमाण की कुल लागत 7.00 लाख पर 60 प्रतिशत का अनुदान रू 4.20 लाख देय है एंव 1.00 है0 क्षेत्रॅफल कुल लागत 1.50 लाख का व्यय किया जायेगा निवेषेश के

रूप में मत्स्य आहार एंव मत्स्य बीज सम्मिलित है। निवेष की कुल लागत 1.50 लाख पर 60 प्रतिषत अनुदान धनराषि रू 0.90 लाख अनुदान देय होगा। योजना अर्न्तगत 0.05 है0क्षेत्रफल से 0.5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के तालाब निर्माण कार्य किये जायेगे।

4– राज्य योजना अन्तर्गत मत्स्य पालन विविधीकरण योजना अनुसूचित जाति /अनु0 जनजातियों के व्यक्तियों के लिए है। मैदानी क्षेत्रों में विगत 05 वर्ष पुराने तालाब जो मरम्मत योग्य दशा में है का सुधार कार्य किया जायेगा सुधार कार्य अन्तर्गत डिसिल्टिंग डीवार्टिंग विद्युत पानी की समुचित व्यवस्था सम्मिलित है।जिस पर 1.00 है0 क्षे0 के तालाब पर सुधार लागत 3.50 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत अनुदान रू 2.10 लाख अनुदान देय है। मैदानी तालाब सुधार निवेश हेतु 1.00 है0क्षे0के तालाब पर सुधार लागत पर 1.50 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत अनुदान रू 0.90 लाख देय है। निवेश अर्न्तगत मत्स्य आहार, खाद, बिमारी, दवाइयॉ आदि कार्य सम्मिलित है। इस प्रकार कुल 3.00 लाख अनुदान देय है। योजना अर्न्तगत 0.05 है0 क्षेत्रफल से 0.5 हैक्टेयर क्षेत्रफल तक के तालाब का सुधार कार्य किये जायेगे।

पर्वतीय क्षेत्रों ऐसे तालाब जो में विगत 05 वर्ष पुराने जो मरम्मत योग्य दशा में है का सुधार कार्य किया जायेगा सुधार कार्य अन्तर्गत डिसिल्टिंग डीवार्टिंग विद्युत पानी की समुचित व्यवस्था सम्मिलित है।जिस पर 0.01 है0 क्षे0 के तालाब पर सुधार लागत 0.50 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत अनुदान रू 0.30 लाख अनुदान देय है। **पर्वतीय क्षेत्रों** के तालाब सुधार निवेश हेतु 0.01 है0 क्षे0 के तालाब पर सुधार लागत 0.20 लाख के सापेक्ष 60 प्रतिशत अनुदान रू 0.12 लाख देय है। निवेश अर्न्तगत मत्स्य आहार , खाद, बिमारी, दवाइयॉ मत्सय बीज यातायात आदि कार्य सम्मिलित है। इस प्रकार कुल 0.42 लाख अनुदान देय है।

5.समन्वित मत्स्य पालन नयी योजना – इस अर्न्तगत **पर्वतीय क्षेत्रों** में पूर्व से निर्मित तालाब पर 20 वर्गमीटर क्षे. का सेड निर्माण, 20 फलदार पेड़, दवइयॉ, आहार, 50 बत्तख के चूजे सम्मिलित है एवं प्रथम वर्षीय निवेशसहित कुल लागत 1.39 लाख पर 60 प्रतिशत अनुदान पर रू 0.83 लाख देय होगा।

मैदानी क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित तालाब पर 50 वर्गमीटर क्षे. का सेड निर्माण एक यूनिट, 50 फलदार पेड़, दवइयॉ, आहार, 300 बत्तख के चूजे सम्मिलित है एवं प्रथम वर्षीय निवेश सहित कुल लागत 6.60 लाख पर 60 प्रतिशत अनुदान पर रू 3.96 लाख देय होगा।

6. उत्पाद प्रशसकरण हेतु मोबाइल फिश शॉप की स्थापना – इसके दृष्टिगत जन सामान्य कोमछलियों से तैयार विभिन्न प्रकार के व्यंजन को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उदेश्य से अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों हेतु मोबाईल स्टाल (मोटर युक्त वाहन) की व्यवस्था की जायेगी, जिसके अन्तर्गत खाद्य व्यजंन तैयार किये जाने हेतु समस्त सामाग्रीयां जैसे– कुकिंग गैस, चौपर, रेफ्रीजेशन, इन्सुलेटेट बाक्स आदि समिलित होगें। मोबाईल फिश आउटलेट की स्थापना हेतु लागत रू0 2.50 लाख पर 60 प्रतिशत अनुदान रू0 1.50 लाख अनुदान देय है।

7. पर्वतीय क्षेत्रों में तालाब निर्माण योजना अन्तर्गत 50 वर्ग मी0 तालाब निर्माण एंव निवेश पर कुल धनराशि रू0 50,000.00 तालाब निर्माण पर व्यय किया जाता है जिस पर निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अनुदान रू0 20,000.00 अनुदान देय है एवं निवेश पर अनुदान धनराशि रू 5000.00 देय है। इस प्रकार कुल अनुदान रू 25000.00 देय है। निवेश के सापेक्ष मत्स्य पालक को मत्स्य आहार, मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जाता है।

8.पर्वतीय क्षेत्रों में आदर्श तालाब निर्माण योजना – अन्तर्गत 200 वर्ग मी0 तालाब निर्माण एंव निवेश पर कुल धनराशि रू0 3,00,000.00 का व्यय किया जाता हैं जिस पर निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अनुदान रू0 1,35,000.00 अनुदान एवं निवेश हेतु अनुदान रू 15000.00 देय है। इस प्रकार कुल अनुदान रू 150000.00 देय है। निवेश धनराशि के सापेक्ष मत्स्य पालक को मत्स्य आहार, मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जाता है

9.राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना – इस योजनान्र्तगत मत्स्य आहार 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।

10. केन्द्रपोषित योजनान्तर्गत (नील क्रान्ति योजना)– रनिंग फिश कल्चर हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में 100 वर्ग मी0 के तालाब निर्माण हेतु रू0 1,00,000.00 के सापेक्ष अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए 60 प्रतिशत एंव सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अनुदान देय है।

11. मिशन फिंगरलिग योजना अर्न्तगत–मैदानी क्षेत्रों रियरिंग यूनिट का तालाब निर्माण किया जाता है। जिस पर भारत सरकार के मानकानुसार 01 हैक्टअर तालाब की कुल तालाब निर्माण हेतु लागत 600000.00 एवं निवेश हेतु रू0 150000.00 कुल धनराशि रू0 750000.00 का व्यय होता है। जिस पर सामान्य जाति के व्यक्तियों के लिए 40 प्रतिशत एवं अनु0 जाति के व्यक्तियों के लिए 60 प्रतिशत अनुदान देय है। वर्ष 2017–18 में जनपद उधम सिंह नगर में 19.50 हैक्टे0 रियरिंग यूनिट का तालाब निर्माण किया गया है।

12. ट्राउट रेसवेज निर्माण–इस योजनान्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रेां के समुद्रतल से 4000 फीट वाले जनपदों को ट्राउट रेसवेज निर्माण हेतु 50 क्यूबिक मी0 आयतन के पक्के फार्मिग यूनिट का निर्माण लागत रू0 2,00,000.00 के सापेक्ष 40 प्रतिशत रू0 80000.00 सामान्य जाति के व्यक्तियों हेतु अनुदान धनराशि देय है एवं 60 प्रतिशत अनुदान रू 1.20 लाख अनु0जाति एवं जनजाति के लिए देय है। इस प्रकार प्रथम वर्षिय निवेश पर धनराशि 2.50 लाख पर 40 प्रतिशत अनुदान सामान्य जाति के व्यक्तियों हेतु रू0 1.00 लाख देय है एवं 60 प्रतिशत अनुदान रू 1.50 लाख अनु0जाति एवं जनजाति के लिए देय है। इस प्रकार निर्माण एंव निवेश की कुल धनराशि रू0 4.50 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत अनुदान रू 2.00 लाख देय है एवं अनु0जाति एवं जनजाति के लिए कुल अनुदान रू0 2.50 लाख देय है। वर्ष 2017–18 में जनपद बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत 750 घन मी0, 750 घन मी0, 450 घन मी0 रेसवेज का निर्माण हुआ है।

अध्याय – 23

बैकिंग सेवा

बैकिंग सेवा के अर्न्तगत वर्ष 2017–18 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें 552, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखायें 135 तथा अन्य गैर राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखायें 158 कार्यरत है। वर्ष 2017–18 में व्यवसायिक बैंको की जमा धनराशि 3657955.90 लाख रूपया है। बैकों द्वारा वर्ष 2017–18 में 2027486.14 लाख रूपया ऋण वितरित किया गया। वर्ष 2017–18 में जमा धनराशि पर ऋण वितरण का प्रतिशत 55.43 रहा है। वर्ष 2017–18 में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित कार्य में 604653.46 लाख रूपया, लघु उद्योग तथा अन्य में 481621.98 लाख रूपया ऋण वितरित किया गया है।

वर्ष 2017–18 में जनपदवार बैंक सुविधाओं की स्थिति निम्न प्रकार है –

क्र. सं.	मद	इकाई	अल्मोड़ा	नैनीताल	पिथौरागढ़	ऊधमसिंह नगर	बागेश्वर	चम्पावत	योग मण्डल
(क) बैंक शाखाओं की संख्या									
1	राष्ट्रीयकृत बैंक	संख्या	93	141	52	206	28	32	**552**
2	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	संख्या	26	37	30	20	14	8	**135**
3	अन्य निजी व्यवसायिक बैंक	संख्या	12	59	4	60	3	20	**158**
4	जिला सहकारी बैंक	संख्या	1	1	1	4	0	0	**7**
5	सहकारी बैंक की शाखायें	संख्या	21	33	18	33	8	8	**121**
(ख) व्यवसायिक बैंको में ऋण जमा अनुपात									
1	जमा	लाख रू0	453145	1361366.4	358462	1112900	169923	202159.43	**3657955.90**
2	वितरित ऋण	लाख रू0	100434	540791.79	119603	1167000	48609	51048.37	**2027486.14**
3	ऋण–जमा अनुपात	प्रतिशत	22.16	39.72	33.37	104.86	28.61	25.25	**55.43**
4	प्राथमिक क्षेत्र में ऋण वितरण	लाख रू0	11149	177834.29	14196	866003	4908	12185.15	**1086275.44**
i	कृषि तथा तत्सम्बन्धी सेवायें	लाख रू0	2468	51168.14	12125	528596	2970	7326.32	**604653.46**
ii	लघु उद्योग एवं अन्य	लाख रू0	8681	126666.15	2071	337407	1938	4858.83	**481621.98**

अध्याय – 24

समाज कल्याण

1–अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना :– इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रू0 2794.58 लाख के सापेक्ष धनराशि व्यय कर 84102 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

2–पिछडी जाति छात्रवृत्ति :– इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक पढ़ने वाले पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रू0 443.27 लाख के सापेक्ष धनराशि व्यय कर 5383 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

3–दिव्यांग छात्रवृत्तिः– इस योजनान्तर्गत कक्षा 1 से उच्च कक्षाओं तक पढ़ने वाले दिव्यांग छात्र/छात्राओं तथा दिव्यांग अभिभावकों के पाल्यों छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रू0 0.36 लाख की धनराशि व्यय कर 28 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

4–वृद्धावस्था पेंशन :– इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते है, को रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रू0 21044.14 लाख की धनराशि व्यय कर 178496 वृद्धजनों को लाभान्वित किया।

5–दिव्यांग भरण पोषण अनुदानः– इस योजनान्तर्गत 18 वर्ष से अधिक के दिव्यांगजन, जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक है तथा जिनकी मासिक आय रू0 4000/–प्रतिमाह से कम है, को रू0 1000/–प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रू0 2929.04 लाख की धनराशि व्यय कर 26707 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया।

6–दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप अनुदानः– इस योजनान्तर्गत दिव्यांग महिला/पुरूष से विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप रू0 25000/–का प्रोत्साहन दिया जाता है। आवेदनकर्ता आयरकरदाता तथा आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रू0 8.75 लाख व्यय कर 36 दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया।

7–राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना :– इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा बी0पी0एल0 परिवार के मुख्य कमाऊ व्यक्ति, जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष तक की हो, की मृत्यु होने पर, शोक संतृप्त परिजनों को रू0 20,000/–प्रति परिवार आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रू0 184.20 लाख की धनराशि व्यय कर 921 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

8–विधवा पेंशनः– इस योजनान्तर्गत 18 से अधिक वर्ष की आयु की विधवा महिला जिनकी मासिक आय रू0 4000/–से कम है को रू0 1000/–प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रू0 7669.57 लाख की धनराशि व्यय कर 66467 विधवा महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

9–परित्यक्ता पेंशनः– इस योजनान्तर्गत परित्यक्ता महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी, निराश्रित आविवाहित महिलाओं को रू0 1000/–प्रतिमाह की पेंशन दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष

2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रू0 237.82 लाख की धनराशि व्यय कर 2207 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

10–अनुसूचित जाति बीमारी हेतु अनुदानः– राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने के कारण बीमारी हेतु अनुदान समाप्त कर दिया गया है।

11–अटल आवास योजनाः– इस योजनान्तर्गत शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुसूचित जाति के आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए अटल आवास योजना का शुभारम्भ किया गया। इस योजना में बी.पी.एल. चयनित अथवा रू. 32000/– वार्षिक आय वाले आवासहीन अनुसूचित जाति के परिवार को उनकी अपनी निजी भूमि पर भवन निर्माण हेतु दो किश्तों में, पर्वतीय क्षेत्र में रू. 38500/– तथा मैदानी क्षेत्र में रुपये 35000/–की धनराशि अनुदान के रुप में प्रदान की जा रही है। इस योजना में भी इन्दिरा आवास योजना के समान ही धनराशि वृद्वि प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। वर्ष 2017–2018 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रु0 42.145 लाख व्यय कर 161 व्यक्तियों को चयनित किया गया है। जिनकी औपचारिकाताऐं पूर्ण होने के उपरान्त उन्हे अनुदान की प्रथम किश्त उपलब्ध करायी गयी।

12–गौरादेवी कन्याधन योजनाः– इस योजनान्तर्गत इन्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर छात्राओं को जिनके परिवारों ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 15976/– तथा शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय रू0 21206/– है, अधिकतम दो पुत्रियों तक रू0 50000/– के राष्ट्रीयकृत बैंकों की एफ.डी. के रूप में शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन किये जाने हेतु प्रदान की जा रही थी। वर्ष 2018–19 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवशेष छात्राओं हेतु 1285.00 लाख व्यय कर 2570 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। योजना का स्वरूप बदलकर वर्ष 2017–18 से इस योजना को महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया है, जिसे अब **"नन्दा गौरा कन्याधन योजना"** के नाम से संचालित किया जा रहा है।

13–निराश्रित विधवा की पुत्री के विवाह हेतु अनुदानः– इस योजनान्तर्गत ऐसी निराश्रित विधवायें, जो विधवा पेंशन प्राप्त कर रही हैं, की पुत्री के विवाह हेतु वर्तमान में रू0 50,000/– आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रू0 107.50 लाख व्यय कर 215 विधवा महिलाओं को शादी हेतु आर्थिक सहायता देकर लाभान्वित किया गया।

14–अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता अनुदानः– इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को उनकी पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत रू0 50,000/– आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रू0 598.00 लाख व्यय कर 1196 व्यक्तियों को उनकी पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता देकर लाभान्वित किया गया।

15–दिव्यांग पेंशन :– इस योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 4000 के अन्तर्गत हो और दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो को 1000/– प्रतिमाह की दर से दिव्यांगजनों को पेंशन दी जाती है। कुष्ठ रोग से मुक्त दिव्यांगों को 1200/– मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन स्वीकृति का अधिकारी ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में पेंशन स्वीकृति का अधिकार जिलाधिकारी पर निहित है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रु0 2929.04 लाख व्यय कर 26707 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया गया।

16–दिव्यांग कृत्रिम अंग अनुदानः– इस योजनान्तर्गत दिव्यांगों को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र क्रय करने हेतु सरकारी चिकित्सक की संस्तुति के आधार पर अधिकतम रु0 3500/– तक अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रु0 6.85 लाख व्यय कर 135 दिव्यांगों को लाभान्वित किया गया।

17–अकिंचन दाह दफन संस्कारः– इस योजनान्तर्गत लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार हेतु पुलिस विभाग/राजस्व विभाग तथा नगर पालिकाओं को रु0 3500/–प्रति लाश की दर से भुगतान किया जाता है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रु0 1.10 लाख व्यय कर 44 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

18–अनु0जाति अत्याचार उत्पीडन :– इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर जातीय विद्वेष की भावना से किये गये अत्याचारों के एवज में शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुरूप रु. 0.60 से रु0 8,50,000/–तक सहायता पीड़ित व्यक्ति को प्रदान की जाती है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रु0 30.82 लाख व्यय कर 51 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

19–परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदानः– इस योजनान्तर्गत परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना रु0 1000/– प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान की जाती है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रु0 237.82 लाख व्यय कर 2207 महिलाओं को लाभान्वित किया गया।

20–किसान पेंशनः– इस योजना का शुभारम्भ 15 अगस्त 2014 को किया गया। योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हेक्टेयर तक के ऐसे किसान जो वर्तमान में स्वयं की भूमि में खेती कर रहें हो तथा जिनकी किसी अन्य श्रोत से कोई अन्य पेंशन अनुमन्य नहीं है, को रु0 1000/– प्रतिमाह की दर से किसान पेंशन देय है। मासिक आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत 9302 कृषकों को रु0 718.35 लाख की पेंशन वितरित की गई।

21–तीलू रौतेली पेंशनः– तीलू रौतेली पेंशन योजना का शुभारम्भ 01 अप्रैल 2014 से किया गया है। कृषि कार्य करते हुए दिव्यांगता होने पर 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के मध्य दिव्यांगता की स्थिति में रु0 1000/– पेंशन प्रदान की जाती है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत 613 लाभार्थियों को रु0 50.13 लाख की पेंशन वितरित की गई।

22–राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाः– इस योजनान्तर्गत परिवार के कमाऊ सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो की मृत्यु पर उत्तराधिकारी को रु0 20,000/–का अनुदान दिया जाता है। उत्तराधिकारी, बी0पी0एल0 चयनित परिवार अथवा मासिक आय रु0 1,000/– से कम होनी चाहिए। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत 178 लाभार्थियों को रु0 35.60 लाख व्यय कर लाभान्वित किया गया।

23–18 वर्ष से कम उम्र के दिव्यांग बच्चों हेतु भत्ता :– इस योजनान्तर्गत जन्म से दिव्यांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक रु0 700/– प्रतिमाह की दर से अनुदान विभाग द्वारा दिया जाता है, स्वीकृत की प्रक्रिया एव नियम दिव्यांग पेंशन के अनुरूप है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रु0 132.72 लाख व्यय कर 2036 बच्चों को लाभान्वित किया गया है।

24–बौना पेंशनः– इस योजनान्तर्गत बौना व्यक्तियों को चार फिट के कम ऊचांई के वयक्तियों को बौना पेंशन सहायक समाज कल्याण अधिकारी की संस्तृति पर स्वीकृत की जाती है, आय सीमा का कोई बाध्यता नही है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रु0 3.04 लाख व्यय कर 30 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

25–विधवा पुर्नविवाह अनुदान– इस योजनान्तर्गत 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से अविवाहित अथवा विधुर व्यक्ति के विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप रू0 11000/– प्रति लाभार्थी की दर से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्राविधान है।

26–दिव्यांग से विवाह करने पर प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान– इस योजनान्तर्गत दिव्यांग से शादी करने पर प्रोत्साहन स्वरूप रू0 25000/– अनुदान दिया जाता है। इसमें रू0 8.75 लाख की धनराशि व्यय करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत 36 दिव्यांग दम्पत्तियों को लाभान्वित किया गया।

27–अनु0 जाति राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान :– इस योजनान्तर्गत वर्तमान में उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति के छात्रों को प्राविधिक शिक्षा प्रदान करने हेतु 03 विभागीय आई.टी.आई. क्रमशः पाइंस(नैनीताल), मालधनचौड़, रामनगर, नैनीताल एवं जनपद बागेश्वर में संचालित है, जिसमें इलैक्ट्रीशियन, कोपा, फीटर, विद्युतकार, प्लम्बर, आशुलिपिक हिन्दी, वैल्डर व मैकेनिकल इलैक्ट्रौनिक स्वीकृत है। वर्तमान में कोपा, फीटर, व विद्युतकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2017–18 में मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रु0 238.27 लाख व्यय कर 296 प्रशिक्षणार्थी को लाभान्वित किया गया।

28–राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह :– इस योजनान्तर्गत विभाग द्वारा निराश्रित, असहाय वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों को आवास, भोजन, वस्त्र एंव औषधि आदि की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 50 व्यक्तियों की क्षमता वाला आवासीय गृह बागेश्वर में संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह–मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत स्टाफ एवं वृद्धजनों पर रु. 10.23 लाख की धनराशि व्यय कर 13 वृद्धजनों को निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र एवं औषधि आदि की सुविधा उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया। वर्तमान में 13 वृद्धजन निवासरत् हैं।

29–अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन :– अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को अपने घरों से दूर शिक्षा ग्रहण करने हेतु आवासीय सुविधा एवं भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान में कुमाऊँ के अन्तर्गत 05 छात्रावास जनपद **नैनीताल–पाइंस (बालक), शहीद सैनिक छात्रावास (बालक), अल्मोड़ा (बालक), पिथौरागढ़ (बालक/बालिका), चम्पावत (बालक)** संचालित हैं। छात्रावासी विद्यार्थियों के भोजन पर रू. 69/–प्रतिदिन प्रति छात्र की दर से व्यय किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह–मार्च, 2018 तक कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत रू. 109.38 लाख की धनराशि व्यय कर 266 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

30–राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय– इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्र–छात्राओं के शैक्षिक एवं सामाजिक विकास हेतु समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल में 03 अनुसूचित जाति राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जैती, अल्मोड़ा (बालक क्षमता 60 छात्र कक्षा 1 से 05 तक), बेतालघाट, नैनीताल (बालिका क्षमता 150 कक्षा 6 से 10 तक), रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर (बालक क्षमता 60 कक्षा 1 से 5 तक) का संचालन किया जा रहा है । इन विद्यालयों में रहने, खाने, वस्त्र, शिक्षण सामग्री, चिकित्सीय सुविधा आदि निशुल्क उपलब्ध करायी जाती है । इन विद्यालयों में छात्र–छात्राओं का प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाता है ।

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम

उद्देश्य :–

- अल्पसंख्यक वर्ग के परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु रोजगार योजनाओं का संचालन करना।
- रोजगार के लिए बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से सस्ती ब्याज दर में वित्तीय संस्साधन प्राप्त कर टर्मलोन की सुविधा उपलब्ध कराना।
- अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न कौशल व्यवसायों में दक्षता अभिवृद्धि प्रशिक्षण प्रदान करना।
- मौलाना आजाद एजुकेशन फाउडेन्शन फाइनेन्स स्कीम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षण प्राप्त करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण देना।
- राष्ट्रीय निगम के माध्यम से टर्मलोन, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा हेतु ऋण उपलब्ध कराना।